खण्ड-122, अंक-4
शुक्रवार, 6 चैत्र, शक संवत् 1875
(27 मार्च, 1953 ई0)

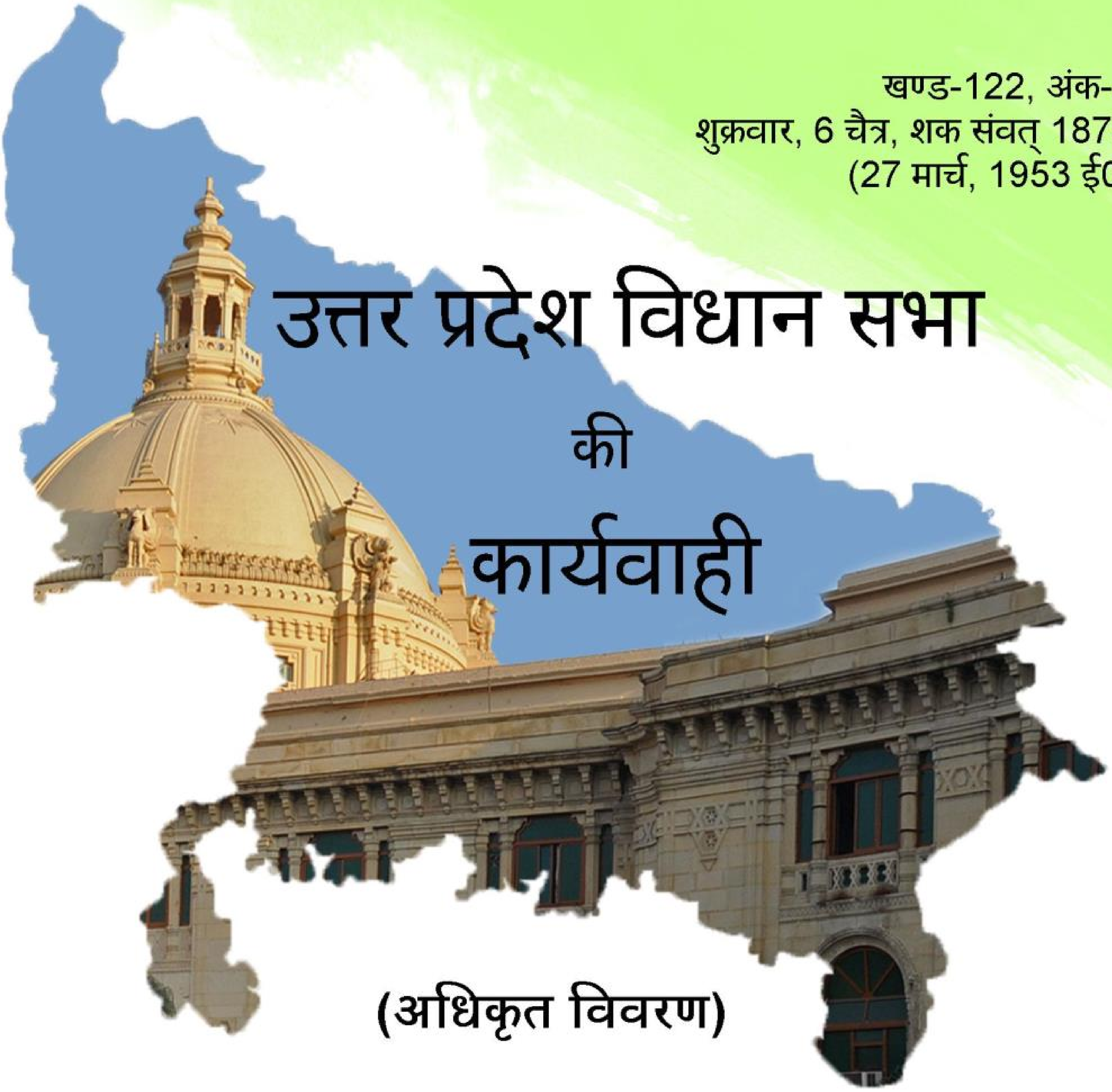

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 122 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २७ मार्च, १९५३

—:o:—

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

—:o:—

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६३)

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरणसिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री

बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल श्री,
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री]
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार, तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामराज शुक्ल श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री

सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

एन० सी० सी० में शिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों के पुलिस सब-इन्स्पेक्टर्स के चुनाव के लिए प्रार्थना-पत्र

*१—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष पुलिस सब-इन्सपेक्टर्स के चुनाव में कितनी दरख्वास्तें एन० सी० सी० के बी० एण्ड सी० सार्टिफिकेट प्राप्त उम्मीदवारों की आयीं ?

*२—क्या सरकार बतायेगी कि इस वर्ष कितने लड़के ऊपर के चुनाव में लिये गये, इनमें से कितने एन० सी० सी० के बी० एण्ड सी० सार्टिफिकेट प्राप्त उम्मीदवार हैं और कितने दूसरे ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—सरकार को खेद है कि वह यह बतलाने में असमर्थ है कि कुल कितनी दरख्वास्तें एन० सी०सी० में ट्रेनिंग पाये हुये उम्मीदवारों की आई थीं। परन्तु चुने गये १२४ उम्मीदवारों में से ३८ ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने एन० सी० सी० में ट्रेनिंग पाई थी।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि थानेदारों का चुनाव करते समय एन० सी० सी० की योग्यता के आधार पर कोई विशेष योग्यता का स्थान उनको देती है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, पिछले साल यह सर्कुलर भेज दिया गया था कि चुनाव करते समय इसको विशेष क्वालीफिकेशन माना जाय।

*३—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—[१० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

जेलों में चालू कपड़े बुनने के कारखाने

*४—श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़,)—क्या यह सही है कि यू० पी० जेलों में चालू सभी कपड़े बुनने के कारखाने बन्द पड़े हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

कारावास उपमंत्री (श्री मुज़फ्फ़र हसन)---जी हां।

*५---श्री झारखण्डे राय---क्या यह भी सही है कि सरकार जेल में खपत होने वाले कपड़े अब गांधी आश्रम से १ रु० १० आना गज के हिसाब से खरीद रही है ?

श्री मुज़फ्फ़र हसन---जी हां, सरकार जेल में खपत होने वाले कपड़े श्री गांधी आश्रम, मेरठ से खरीद रही है लेकिन कपड़े की दर भिन्न-भिन्न है।

श्री झारखण्डे राय---क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में कपड़े के कारखाने हैं ?

श्री मुज़फ्फ़र हसन---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री झारखण्डे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले ६ वर्षों से जेलों में बनने वाले कपड़ों में बढ़ती हुई है या घटती हुई है ?

श्री मुज़फ्फ़र हसन---कमी हुई है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या आश्रम के कपड़े मिलों के कपड़ों से महंगे पड़ते हैं ?

श्री मुज़फ्फ़र हसन---जी हां।

श्री झारखण्डे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० की जेलों में कुल कितना कपड़ा पहले बनता था ?

श्री मुजफ्फ़र हसन---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

गन्ना फैक्टरियों के दुर्गन्धित जल के निकास का प्रबंध

*६---श्री श्रीचन्द (जिला मुज़फ्फ़रनगर)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने १९४९ में एक जांच समिति गन्ना फैक्टरियों के दुर्गन्धित तथा विषैले पानी से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम के सम्बन्ध में बनायी थी ? उसने क्या रिपोर्ट दी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---(क) जी हां।

(ख) इस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी हाल में ही सरकार को प्रेषित की है जिसमें फैक्टरियों से इस पानी को बाहर निकालने की विधि और उसको रासायनिक पदार्थों और मशीनों से काफी दरजे तक साफ करने तथा उसको सिंचाई के लिये काम में लाने के प्रश्नों पर अपनी सिफारिशें की हैं।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को सरकार कब तक अमल में ला सकेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी चार पांच रोज हुये मैंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि करीब आठ दस रोज हुये जब जवाब आया है। अब गवर्नमेंट को उस पर विचार करना होगा, लेबर कमिश्नर से रिपोर्ट लेनी होगी कि हमारी मिलों में इस रिपोर्ट पर कितनी जल्दी और कहां तक अमल हो सकता है। इन सब का फैसला कितनी जल्दी हो सकेगा अभी मैं नहीं कह सकता।

*७—श्री श्रीचन्द—यदि रिपोर्ट अभी पेश नहीं की गयी, तो इतना अधिक समय लग जाने के क्या विशेष कारण हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह कमेटी ४९ में बनी थी तो इसको अपनी रिपोर्ट देने में ४ वर्ष किन कारणों से लग गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न का उत्तर तो मैंने दे दिया था। पूछा गया था कि यदि रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो रिपोर्ट तो आ गई है इसलिये इसका सवाल नहीं उठता था। फिर यह सवाल पूछा गया कि रिपोर्ट इतनी देर में क्यों सबमिट हुई तो मैं नहीं कह सकता कि कमेटी ने इतनी देर क्यों लगाई।

*८—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार कोई योजना बना रही है कि यह पानी खेतों की सिंचाई में प्रयोग किया जा सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस विषय पर कमेटी की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

पीलीभीत के शहर कोतवाल द्वारा एक आदमी का जिन्दा जलाया जाना

*९—श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत के शहर कोतवाल ने एक आदमी को पेट्रोल डाल कर जला दिया था जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस मामले में अभी जांच हो रही है।

*१०—श्री हरिप्रसाद—क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि शहर कोतवाल को जनता के तीन दिन हड़ताल करने पर जेल भेजा गया और दूसरे ही दिन जमानत पर उसको छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—शहर कोतवाल को घटना के दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया और उसके तीन दिन बाद सेशन्स जज, पीलीभीत की आज्ञानुसार जमानत पर छोड़ दिया गया ?

श्री हरिप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह जांच कब शुरू हुई और कब तक खत्म हो जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह एक संगीन मामले की जांच है, जितनी जल्दी हो सकेगी खत्म होगी ठीक समय तो नहीं बताया जा सकता।

श्री हरिप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि क्या वह कोतवाल साहब अब भी थाने के क्वार्टर में रह रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह जमानत पर छूटने के बाद कहां रहते हैं इसकी इत्तला नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सही है कि जो आदमी आग से जला है उस पर पेट्रोल थाने के अन्दर ही लगाया गया था ?

श्री अध्यक्ष—वह कह रहे हैं कि इसकी अभी जांच हो रही है, अभी आप डिटेल नहीं मालूम कर सकते।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इसकी जांच किसके द्वारा कराई जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मैं जानता हूं एस० पी० जांच कर रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि पीलीभीत के लोगों ने कोतवाली पर कब्जा कर लिया था और वहां के एम० एल० ए० साहब पर भी जनता ने मारपीट शुरू की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी मेरे पास कोई इत्तला नहीं है कि कोतवाली पर किसी का एक मिनट के लिये भी कब्जा हुआ हो।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि क्या वह इन्क्वायरी किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा करायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैजिस्ट्रेट द्वारा तो इन्क्वायरी होती ही है।

श्री गेंदासिंह—इस समय जो इन्क्वायरी हो रही है, वह क्या किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन्क्वायरी पुलिस अलग कर रही है, मैजिस्ट्रेट अलग कर रहे हैं।

रुड़की में सब-जेल का निर्माण

*११—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या यह सच है कि रुड़की की सब-जेल का निर्माण बीच में ही रोक दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—रुड़की सबसीडियरी जेल का निर्माण बीच में नहीं रोका गया है।

*१२—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार बतलायेगी कि इस सब-जेल का निर्माण कब तक पूरा हो जावेगा और इसमें कुल क्या व्यय होगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—आशा है कि इस जेल का निर्माण वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में समाप्त हो जायेगा। इसमें कुल खर्चा ३,७६,७०० रुपये का होगा।

मड़ियाहू थाना, जिला जौनपुर के अन्तर्गत डाके तथा चोरियां

*१३—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के मड़ियाहू थाने के अन्तर्गत जून, सन् १९५२ से जनवरी, सन् १९५३ तक कितने डाके पड़े और कितनी चोरियां हुईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई डाका नहीं पड़ा, ३७ चोरियां हुईं।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन चोरियों में कितनी में चोरों और घर के मालिकों में लठबाजी हुई और कितने एक महीने तक अस्पताल में रहे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इतने ब्योरे की बात इस वक्त नहीं बताई जा सकती।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि १२ दिसम्बर को रामपुर नदी गांव में मालिक और लोदी बढ़ई के यहां डाका पड़ा था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वक्त नहीं कह सकता।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करग कि इधर मार्च में भी इस थाने में कोई डकैती हुई है जिसमें एक डाकू गिरफ्तार किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सवाल तो जनवरी तक का था। उसके बाद की बाबत मैं नहीं कह सकता।

*१४—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे की मड़ियाहू थाने के अन्तर्गत पड़ी डकैतियों में डाकुओं द्वारा कितने लोगों को चोट पहुंचायी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता।

*१५-१६—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)— [१० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

शरणार्थी छात्रों को शिक्षा शुल्क से मुक्त करने का आदेश

*१७—श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या राज्य के शरणार्थी छात्रों को शिक्षा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—जी हां, एक निश्चित प्रतिशत तक ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क से मुक्त किया गया है जिनके संरक्षकों की आय ८वीं कक्षा तक १०० रुपये और कक्षा ९-१० में १५० रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि छात्रों के अभिभावकों की आय का तखमीना लगाने की जिम्मेदारी किस पर है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—जांच इसकी की जाती है।

*१८—श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस संबंध में उसने कोई आदेश अधिकारियों के पास भेजे हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*१९-२०—श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)—[१० अप्रैल, १९५३ क लिये स्थगित किये गये।]

नैनीताल बैंक की रामनगर शाखा में डाका पड़ने के कारण गिरफ्तारियां

*२१—श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ११ जून, १९५१ को नैनीताल बैंक की रामनगर शाखा में जो डाका पड़ा था क्या कुछ कम्युनिस्ट इस संबंध में गिरफ्तार किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यदि कम्युनिस्ट से कम्युनिस्ट पार्टी आफ़ इंडिया की सदस्यता का तात्पर्य हो तो इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है।

*२२—श्री शिवकुमार शर्मा—यदि हां, तो कितने तथा उनक क्या-क्या नाम हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि भारत के सभी कम्युनिस्ट भारत की आल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी की बाबत इतनी जानकारी का दावा नहीं रखता, लेकिन यह लोग जिनका इस डकैती से संबंध है वह कोई रेड कम्युनिस्ट पार्टी पंजाब की है उसके सदस्य हैं, जहां तक मालूम हुआ है।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस डकैती के डालन का उद्देश्य कम्युनिस्ट पार्टी को सहायता देना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, जहां तक मालूम हुआ है रेड कम्युनिस्ट पार्टी के काम में मदद करने के लिये डाका डाला गया। कम-से-कम वह लोग ऐसा ही कहते हैं कि हमारा पोलिटिकल उद्देश्य यही था।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि इस डकैती में जो कुछ माल ले गये थे उसमें से कुछ रुपया या माल मिला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रश्न के उत्तर की सामग्री मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस डकैती के संबंध में कुछ अभियुक्त फरार हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, जहां तक मालूम है कुछ लोग फ़रार हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलान का कष्ट करेंगे कि अब तक कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरे पास तो इस वक्त १६ आदमियों की लिस्ट है जो गिरफ्तार हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभियुक्तों में से किसी ने मैजिस्ट्रेट के सामने यह बयान दिया है और कबूल किया है कि कम्युनिस्ट पार्टी की मदद के लिये यह डाका डाला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो जब अदालती कार्यवाही होगी तब इन बातों को बतलाया जा सकता है।

श्री झारखण्डे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर उनको यह ख़बर मिली कि वह लोग लाल कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब हम गवर्नमेंट चलाते हैं तो हमारे पास बहुत से आधार हैं जिनसे हम जान सकें कि किस शख्स का किस पोलिटिकल पार्टी से संबंध है, खास कर जब लोग डकैती वग़ैरह डालने की कोशिश करते हैं।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो गिरफ्तार हुये आदमी हैं वह कुछ जमानत पर भी छूट गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मरा ख़याल है कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं इस वक्त निश्चित रूप से नहीं कह सकता।

श्री झारखण्डे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन लोग हैं जिनका संबंध उनकी समझ में लाल कम्युनिस्ट पार्टी से है और उनके नाम क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं नाम बतला सकता हूं, लेकिन चूंकि जांच का मामला है यह उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—तो आप यह कह सकते हैं। आपका यही उत्तर पर्याप्त है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या फरार आदमियों के लिये सरकार ने कोई इनाम भी घोषित किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसे मेरा ख़याल है कि हुआ है, लेकिन मैं ठीक निश्चित रूप से नहीं बतला सकता, क्योंकि इन सब बातों का इन प्रश्नों से कोई संबंध नहीं।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन डकैती डालने वालों का संबंध किसी विदेशी कम्युनिस्ट पार्टी से भी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका तो अभी तक हमको कोई पता लगा नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या यह सही है कि इस डकैती के तमाम अभियुक्त यू० पी० के बाहर के हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसमें कई आदमी यू० पी० के बाहर के हैं।

*२३—श्री लालबहादुरसिंह (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—
[देखिये आगे पृष्ठ २५६ पर]

*२४–२६—श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—[१० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*२७—श्री लालबहादुरसिंह (अनुपस्थित)—
[देखिये आगे पृष्ठ २५६ पर]

*२८—श्री लालबहादुरसिंह (अनूपस्थित)—[१७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*२९–३०—श्री रामकृष्ण जैसवार—[१७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये किये।]

गोरखपुर रीजनल कन्सिलिएशन आफ़िस के सरकारी माली स निजी काम लेना

*३१—श्री गेंदासिंह—क्या यह सच है कि प्रान्तीय सरकार ने प्रान्त के सभी रीजनल कन्सिलिएशन अफ़सरों को रीजनल कन्सिलिएशन आफ़िस के हाते को ठीक रखने तथा अन्य इसी प्रकार के काम के लिये एक एक माली प्रत्येक रीजनल आफिस में रखा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कानपुर रीजनल आफिस को (जो अभी तक श्रमायुक्त क दफ्तर की ही इमारत में था) छोड़ कर सभी ऐसे दफ्तरों में एक सरकारी माली रखा गया है।

*३२—श्री गेंदासिंह—क्या गवर्नमेंट ने एक सरकुलर प्रान्त के सभी अफ़सरों को इस आशय का भेजा है कि वे सरकारी कर्मचारियों से निजी काम न लें ? यदि हां, तो क्या इस सरकुलर के उल्लंघन की शिकायत गोरखपुर आदि जगहों से सरकार को प्राप्त हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) ऐसा कोई सर्क्युलर तो नहीं है पर यह आशा की जाती है कि सभी अफसर इस बात को ध्यान में रक्खेंगे कि सरकारी कर्मचारियों से सरकारी काम ही लेना चाहिये।

(ख) गोरखपुर व इलाहाबाद के रीजनल कन्सीलियेशन आफिसों से शिकायतें आयी हैं कि सरकारी माली से निजी काम भी लिया जाता है। इलाहाबाद वाली शिकायत निराधार सिद्ध हुई। गोरखपुर की शिकायत पर जांच हो रही है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के माली की शिकायत कब आयी और उसकी जांच कौन साहब कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कब आई, इसके लिये तो काफी तलाश करना होगा। मैं इस वक्त ठीक नहीं बतला सकता कि कब आयी थी।

श्री गेंदासिंह—क्या इसकी भी शिकायत माननीय गृह मंत्री जी के पास पहुंची है कि गोरखपुर के माली के ऊपर वहां के कन्सिलिएशन आफ़िसर साहब दबाव डाल रहे हैं कि वह अपनी शिकायत वापस ले लें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

श्री गेंदासिंह—तो इस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्रमायुक्त को इस बात की ख़बर कर दी गयी है कि वह इस बात पर ध्यान रखेंगे।

गृहविहीन और खानाबदोशों की संख्या

*३३—श्री श्रीनाथराम (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बतान की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितनी ऐसी जनसंख्या है जिनके पास स्थायी निवास क लिये मकान नहीं हैं और जीवनोपार्जन का उचित साधन न होने के कारण अपने डेरे लेकर खानाबदोशों की भांति इधर उधर घूमते रहते हैं ?

डाक्टर सीताराम—जनसंख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री श्रीनाथराम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन गृह-विहीन और खानाबदोशों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण क्या हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—कभी यह आंकड़े एकत्र नहीं किये गये।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इन खानाबदोशों के आंकड़ों को एकत्र करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इस वक्त तो इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन खानाबदोशों को अब तक कौन कौन सी सहूलियतें दी गयी हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह तो उत्तर में ही स्पष्ट कर दिया गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि इन खानाबदोशों में जो लोग अनुसूचित जातियों के हैं उनकी संख्या सरकार के पास है ?

डाक्टर सीताराम—इसकी भी सूचना नहीं है।

श्री श्रीनाथराम—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इस नीति स जो भी गिरी हुई नट, कटरिया, बहेरिया, कंजड़ और बरबार आदि जातियां हैं वे अपनी असमर्थताओं और विवशताओं के कारण सरकारी सहायता प्राप्त करने में बिलकुल असमर्थ हैं और इसका फायदा नहीं उठा पातीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जहां तक सरकार का खयाल है उनको यह सुविधायें उपलब्ध हैं।

*३४—श्री श्रीनाथराम—इतनी जनसंख्या में कितनी जातियां सम्मिलित हैं और वे कौन कौन सी हैं ?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न नहीं उठता।

*३५—श्री श्रीनाथराम—इनको बसा कर और व्यवसाय का साधन उपलब्ध कराके इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने का सरकार क्या प्रयास कर रही है और उसमें उसे कितनी सफलता प्राप्त हो सकी है ?

डाक्टर सीताराम—जो भी गृहहीन जातियां परिगणित जातीय अनुसूची के अन्तर्गत आती हैं, उनको बसाने, व्यवसाय का साधन उपलब्ध करके उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये वे सारी सुविधायें उनको लभ्य हैं जो अन्य शेष परिगणित जातियों अथवा पिछड़े वर्गों को प्रदान की जाती हैं।

वस्तुतः सरकार ने न तो गृहहीन व्यक्तियों का सब स अलग वर्गीकरण ही किया है और न उनके लिये सर्वथा पृथक् सुविधायें ही नियत की हैं।

*३६-३७—श्री बाबूनन्दन (ज़िला जौनपुर)—[१७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

कर्णप्रयाग, जिला गढ़वाल में पुलिस की ज्यादती

*३८—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाल में जिला गढ़वाल के तहसील चमोली के कर्णप्रयाग में मोटर स्टैण्ड के पास एक सिख दूकानदार को मारने की कोशिश करने वालों को पकड़ने के लिये वहां की पुलिस मौके पर गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कर्णप्रयाग के शिल्पकार डिकालीदास के घर के पास सरदार प्रकाशसिंह को मारने का प्रयत्न करने वालों को पकड़ने के लिये पुलिस मौके पर गई थी।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरदार प्रकाशसिंह की यह घटना कहां पर हुई है, शिल्पकार बस्ती में या उसकी दूकान पर ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह मामला चमोली के सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है, इसलिये मैं इसकी बाबत ज्यादा नहीं कह सकता।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह डिकालीदास उस वक्त से इस वक्त तक कहां हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तक तो मैं समझता हूं कि अपने ही घर पर होंगे, अगर और कहीं होंगे तो मैं नहीं जानता।

श्री खुशीराम—कहने का मतलब यह है कि डिकालीदास इस वक्त हवालात में है या अपने घर पर है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने निवेदन किया कि मेरी समझ में तो अपने घर पर है, मुमकिन है कि हवालात में हो।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह जो शिकायतें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास आयीं, उनके विषय में क्या स्टेप लिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद काफी इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि शिकायतों में कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें खुद उनको कुछ तथ्य मालूम होता है।

श्री खुशीराम—क्या मान्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह घटना जो हुई यह मोटर स्टैण्ड पर हुई या कहां पर हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं कैसे बतलाऊं कि कहां पर हुई लेकिन सरदार प्रकाश-सिंह डिकालीदास के घर के पास घायल पाये गये।

*३९—श्री खुशीराम—क्या सरकार के पास पुलिस द्वारा ज्यादती करने की शिकायतें आयी हैं ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिलाधीश के पास कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं। वे पुलिस के खिलाफ घूसखोरी, मारपीट और बलात्कार के बारे में हैं।

हेड कान्सटेबिलों की तरक्की के नियम

*४०—श्री देवमूर्तिराम (जिला बनारस)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस रेगुलेशन पैराग्राफ नम्बर ४४६ द्वारा प्रत्येक जिले में हेड कान्सटेबिलों को तरक्की देने का अधिकार जिला के पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट को है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पैराग्राफ ४४६ पुलिस रेगुलेशन से निकाल दिया गया है और सब-इंस्पेक्टरों की नियुक्ति अब पैरा ४०६ में दिये हुये नियमों के अनुसार होती है।

*४१—श्री देवमूर्तिराम—क्या सरकार को पता है कि लखनऊ रेंज के डी० आई० जी० ने उपर्युक्त रेगुलेशन के पैराग्राफ ४४६ का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पैरा ४०६ के अन्तर्गत सब-इंस्पेक्टर क पद के लिये अस्थायी नियुक्तियां सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस के द्वारा होती हैं परन्तु सेंट्रल रेंज में यह नियुक्तियां अब उन हेड कान्सटेबिलों में से होती हैं जो केन्द्रीय परीक्षा पास कर लेते हैं और जिनका नाम रेञ्ज डी० आई० जी० के आदेशानुसार ऐसे पास किये हुये हेड कांसटेबिलों की सूची में दर्ज हो जाता है।

श्री देवमूर्तिराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेंट्रल रेंज में ही क्यों डी० आई० जी द्वारा तरक्की देने की व्यवस्था की गयी है, और रेंजों में क्यों नहीं की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो प्रयोगात्मक चीज है और अगर प्रयोग सफल हुआ तो सभी रेन्जों में यह चीज हो जायगी ।

श्री देवमूर्तिराम—सेंट्रल रेन्ज के डी० आई० जी० ने किस कैटेगेरी के हेड कान्सटेबिलों को परीक्षा में शामिल किया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसका कायदा यह है कि हर जिले से मांगा जाता है कि आप अपने यहां से लिस्ट भेज दीजिये उन हेड कांसटेबिलों की जिनको आप इसके योग्य समझते हों और फिर एक बोर्ड बैठता है जिसमें डी० आई० जी० होते हैं और दो सुपरिण्टेण्डेण्ट होते हैं। वह बोर्ड सेलेक्ट करता है हेड कान्सटेबुलों को ।

*४२—श्री बलदेवसिंह (जिला बनारस)—[१० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया ।]

अपराध अन्वेषण के लिये स्काटलैण्डयार्ड के कुत्तों की आवश्यकता

*४३—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या प्रदेशीय सरकार ने अपराध अन्वेषण के लिये स्काटलैण्डयार्ड से कुछ कुत्तों को मंगाने का आर्डर दिया था ? यह कुत्ते कब तक आवेंगे और इन पर क्या खर्च होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रकार का कोई आर्डर नहीं दिया गया है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या वे यहां इस प्रदेश में अन्वेषण करने के लिये ऐसे कुत्तों को शिक्षित करने का विचार रखते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न में तो स्काटलैण्ड के कुत्तों का जिक्र है। तो इस प्रदेश में तो स्काटलैण्डयार्ड नाम की कोई जगह जहां तक मैं समझता हूं है नहीं। इसलिये ऐसे कुत्ते यहां मिलते नहीं ।

सम्पूर्णानन्द शिविर में बन्दियों का कार्य

*४४—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्णानन्द शिविर में कितने कैदियों ने कितने दिन किस प्रकार का काम किया और उसमें कितना खर्च हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन—सम्पूर्णानन्द शिविर में अक्तूबर, १९५२ से कैदी काम कर रहे हैं। इन कैदियों की दैनिक औसत संख्या १५३० रही है । इनका मुख्य काम मिट्टी खोद कर बांध पर डालना है। फरवरी, १९५३ तक कैदियों पर ४,३८,९३४ रुपये व्यय हुआ है।

*४५—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या गृह मंत्री ने इस वर्ष कैदियों द्वारा विस्तृत रूप से उत्पादन कार्य करने के लिये कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसमें कितने कैदी कहां कहां काम करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—अभी इस विषय पर विचार हो रहा है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि वहां जो काम हुआ है उसकी क्या वैल्यू है?

श्री मुजफ्फर हसन—यह तो सिंचाई डिपार्टमेंट बता सकता है, कई लाख रुपये का काम हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि सम्पूर्णानन्द शिविर में जो कैदी अच्छा काम कर रहे हैं उनको जल्दी छोड़ने की भी कोई योजना है?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

श्री नारायणदत्त तिवारी—ऐसे कितने अच्छा काम करने वाले कैदियों को छोड़ने का विचार सरकार कर रही है?

श्री मुजफ्फर हसन—जितने अच्छा काम करेंगे वे छोड़े जायेंगे।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर भी इन कैदियों से कोई काम लेने की योजना सरकार सोच रही है?

श्री मुजफ्फर हसन—इसका कुछ जिक्र बजट की तकरीर में माननीय गृह मंत्री ने किया था, उसको आप देखलें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रत्यक कैदी को कितनी मजदूरी प्रति दिन दी जाती है?

श्री मुजफ्फर हसन—वह तो काम क हिसाब से दी जाती है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अच्छा काम करने वाले कैदियों को कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतान की कृपा करेंगे कि शिविर में किन किन जिलों से कैदी भेजे गये?

श्री मुजफ्फर हसन—करीब करीब हर जिले से।

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, बनारस क प्रिंसिपल की नियुक्ति

*४६—श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे की राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, बनारस में सन् १९४८ से प्रिंसिपल पद के लिये नियमानुसार विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और क्या उक्त पद पर किसी व्यक्ति की स्थायी नियुक्ति की गयी है?

डाक्टर सीताराम—(क) जी नहीं,

(ख) जी नहीं।

श्री गंगाधर शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि संस्कृत महाविद्यालय के प्रिंसिपल पद की नियुक्ति के लिये कोई नियम हैं या नहीं ?

डाक्टर सीताराम—नियम तो जरूर हैं।

श्री गंगाधर शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञापन क्यों नहीं निकाला गया ?

डाक्टर सीताराम—क्योंकि अभी यह अस्थायी अरेंजमेंट है लेकिन जब स्थायी अरेंजमेंट किया जायगा तब नियम के अनुसार विज्ञापन निकाला जायगा।

*४७—श्री गंगाधर शर्मा—[१७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

थाना अलापुर, जिला बदायूं के अन्तर्गत डकैतियां

*४८—श्री नरोत्तम सिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि थाना अलापुर, जिला बदायूं में पिछले दिसम्बर व जनवरी में कितनी डकैतियां हुईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दिसम्बर में कोई डकैती नहीं हुई। जनवरी में एक डकैती हुई।

श्री नरोत्तमसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डकैती कौन से ग्राम में की गई और उसमें क्या हो रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ग्राम का नाम तो नहीं बता सकता लेकिन डकैती के मामले में कुछ हथियार भी बरामद हुये हैं, कई आदमी गिरफ्तार भी हो गये हैं और मामला अभी अदालत में जाने वाला है।

झांसी जिला बोर्ड के विद्यार्थियों पर वार्षिक टैक्स

*४९—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि झांसी जिला बोर्ड ने स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के होते हुये भी नवम्बर, ५२ से सभी के साथ शैड्यूल जातियों व छात्र-वृत्ति पाने वाले बालक बालिकाओं पर भी डेढ़ रुपया वार्षिक टैक्स लगाया है। और उक्त रकम के एक मुश्त वसूल करने के कारण कितने ही विद्यार्थियों को पढ़ना छोड़ देना पड़ा है ?

डाक्टर सीताराम—इस फ़ीस के संबंध में शासन के पास शिकायत आई है। यह संभव है इस कारण कुछ विद्यार्थियों ने पढ़ना छोड़ दिया हो।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह आदेश देगी कि वह इस अवैधानिक कर को वापस करदे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, यह आदेश दिया गया है।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)—क्या झांसी जिला बोर्ड ने सरकार के पास इस प्रकार की सूचना भेजी है कि यह टैक्स शिड्यूल्ड कास्ट और बालिकाओं पर नहीं लगाया जायगा ?

डाक्टर सीताराम--यह टैक्स नहीं है बल्कि एक प्रकार का चंदा है जो कि शिड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थियों से १ रुपया और अन्य विद्यार्थियों से डेढ़ रुपया फ़ी माह लिया जायगा। यह चन्दा परिगणित जातियों के नेता श्री जाजू राम तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकारियों ने ही मिल कर तय किया था।

श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह चन्दा किसके लिये इकट्ठा किया गया है?

डाक्टर सीताराम--इस संबंध में तो कोई विशेष सूचना नहीं है।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--क्या सरकार को यह मालूम है कि झांसी जिला बोर्ड पिछले चार वर्षों से निःशुल्क शिक्षा दे रहा है?

डाक्टर सीताराम--इसकी तो सूचना नहीं है।

*५०--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार को पता है कि उक्त कर न दे सकने के कारण बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों को तथा संख्या कम हो जाने पर अध्यापकों को भी निकाल दिये जाने की धमकी दी गयी है?

डाक्टर सीताराम--इस संबंध में शासन के पास कोई सूचना नहीं आई।

*५१--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या उक्त बोर्ड ने टैक्स लगाने से पहले सरकार से स्वीकृति ले ली थी?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

हल्दी थाना, जिला बलिया के निर्माण के लिये ज़मीन

*५२--श्री मान्धाता सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हल्दी थाना, जिला बलिया के बनवाने के लिये जमीन ली गयी है? यदि हां, तो इमारत बनवाने का कार्य कब तक शुरू होगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--थाना हल्दी के भवन के लिए भूमि प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। निर्माण का काम इसके बाद शीघ्र ही शुरू कर दिया जायगा।

श्री मान्धाता सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही कब शुरू की गयी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह तो मैं नहीं बतला सकता लेकिन यह बतला सकता हूं कि उसकी नोटिस निकल चुकी है, नोटिफाई कर दिया गया है ताकि मुआविजे की बात तय हो जाय।

श्री मान्धाता सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि गत वर्ष इसी प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया था कि भूमि प्राप्ति की कार्यवाही शुरू है, तो आखिर में विलम्ब होने का क्या कारण है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुआविजे के तय होने में देर हुई होगी लेकिन गत वर्ष से इतनी तरक्की इस साल हुई कि बजट में मकान बनवाने के लिये कुछ रुपया रख दिया गया है जिसे सदन ने स्वीकार किया है।

*५३—५४—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—[१७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

गवर्नमेंट जे० टी० सी० कालेज, फैजाबाद के लिए परिगणित जाति के उम्मीदवार

*५५—श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट जे० टी० सी० कालेज, फ़ैजाबाद में इस वर्ष कुल कितने उम्मीदवार लिये गये हैं और उनमें से कितने परिगणित जाति के हैं ?

डाक्टर सीताराम—६६ छात्राध्यापक लिये गये हैं और उनमें १ परिगणित जाति का है।

श्री रामदास रविदास—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रीजन भर से कुल कितने हरिजनों की अप्लीकेशंस आयी थीं ?

डाक्टर सीताराम—इसकी सूचना सरकार के पास कोई नहीं है।

श्री रामदास रविदास—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले से कोई हरिजन लिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—इसकी भी तो कोई सूची नहीं है। फैजाबाद डिवीजन से एक परिगणित जाति का विद्यार्थी आया है। हो सकता है कि वह फैजाबाद जिले का ही हो।

देहरादून के चाय बागानों के मजदूरों का स्मरण-पत्र

*५६—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को देहरादून के चाय बागानों के मजदूरों की ओर से कोई मेमोरेन्डम दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार की ओर से उस पर क्या कार्रवाई हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) जी हां।

(ख) इस संबंध में जांच हो रही है। उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मेमोरेंडम उनको प्राप्त हुआ है उस में मजदूरों ने क्या शिकायतें की हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुख्य शिकायत यह है कि जो चाय बागान के मालिक हैं वे अपने बागान को उजाड़ कर उस में बस्ती बसाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह मेमोरेंडम मजदूरों की ओर से सामूहिक दस्तखत से आया है या किसी यूनियन की तरफ से आया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यूनियन की तरफ से आया है।

श्री झारखंडे राय—कब तक उचित कार्यवाही की आशा की जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह बहुत ही पेचीदा और कानूनी सवाल है। जिन लोगों के पास प्राइवेट बागान हैं तो उनको कैसे मजबूर किया जा सकता है कि वे उनमें चाय की खेती करावें। कहां तक उन को मजबूर किया जा सकता है, यह एक कानूनी सवाल है। उस पर काफी विचार करने की आवश्यकता है और उस मसले पर विचार हो रहा है।

पुलिस कर्मचारियों पर चलाये गए अभियोग

*५७--श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रान्त में कितने पुलिस कर्मचारियों पर सन् १९५२-५३ ई० (वित्तीय वर्ष) में मुक़दमे चलाये गये और उनमें से कितने अपराधी सिद्ध हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१९५२-५३ ई० (वित्तीय वर्ष) में कुल ६६३ पुलिस कर्मचारियों पर मुक़दमें चलाये गये और उनमें से १०७ व्यक्ति अभी तक अपराधी सिद्ध हो चुके हैं।

श्री शुकदेव प्रसाद--क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें से कितने ऐसे अपराधी हैं जो घूसखोरी के मामले में पकड़े गये हैं और कितने ऐसे हैं जो बलात्कार के मामले में पकड़े गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--चूंकि माननीय सदस्य ने इतने ब्योरे से पूछा नहीं था, इसलिये ब्योरे की सामग्री मेरे पास है नहीं।

जिला बुलन्दशहर के अन्डर ट्रायल क़ैदी

*५८--श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में ऐसे कितने क़ैदी हैं जो अन्डर ट्रायल हैं और वे किस किस दफ़ा के और कितने समय से चले आ रहे हैं ?

श्री मुज़फ्फ़र हसन--इस समय जिला जेल बुलन्दशहर में १४९ अन्डर ट्रायल क़ैदी हैं। और उनके संबंध का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है। अन्डरट्रायल क़ैदियों के मामले कितने समय से चले आ रहे हैं इसका विवरण इस प्रकार है--

अक्तूबर १९५२	नवम्बर १९५२	दिसम्बर १९५२	जनवरी १९५३	फ़रवरी १९५३	मार्च १९५३
क़ैदी ७	क़ैदी १५	कैदी २२	क़ैदी १८	क़ैदी ६१	क़ैदी २६

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०४ पर)

श्री धर्मसिंह--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जेल में कितने क़ैदियों तथा हवालातियों के रहने का स्थान है ?

श्री मुज़फ्फ़र हसन--हवालातियों का अलग स्थान नहीं होता।

जाति के नाम पर चलने वाली शिक्षा संस्थायें

*५९--श्री धर्मसिंह--क्या शिक्षा मंत्री उन शिक्षा संस्थाओं के नामों को बदलने का विचार रखते हैं जो किसी जाति के नाम पर चली आ रही हैं ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

श्री धर्मसिंह--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जो शिक्षा संस्थायें विशेष जाति के नाम पर चलती हैं उनमें विशेष जातियों के अध्यापक और विशेष जाति के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ?

डाक्टर सीताराम--कांस्टिट्यूशन आफ़ इंडिया की धारा २८, २९ और ३० के अनुसार ऐसा कर सकते हैं।

* ६०-६१--श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--[१७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

बदायूं नगरपालिका द्वारा दी गयी हरिजन छात्रवृत्ति के वितरण से असंतोष

*६२--श्री चुन्नीलाल सगर (जिला बदायूं)--क्या यह सच है कि नगरपालिका बदायूं को सरकार द्वारा दी गयी हरिजन छात्रवृत्ति सहायता, हरिजन छात्रों को जुलाई, १९५२ से अब तक नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

*६३--श्री चुन्नीलाल सगर--क्या यह सच है कि गत वर्ष, १९५१-५२ में हरिजन छात्रों को नगरपालिका बदायूं से आठ मास की छात्रवृत्ति नहीं मिली थी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

श्री चुन्नीलाल सगर--क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जुलाई, सन् ५२ से फरवरी, सन् ५३ की छात्रवृत्तियां किस मास में वितरित की गईं ?

डाक्टर सीताराम--यह छात्रवृत्तियां मार्च, सन् ५२ की, फरवरी ५३ के महीने में दी गईं।

श्री चुन्नीलाल सगर--क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जुलाई, सन् ५२ से फरवरी सन् ५३ तक की छात्रवृत्तियां फरवरी, सन् ५३ में क्यों दी गईं ?

डाक्टर सीताराम--इसका खास कारण यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड बदायूं का निरीक्षण आडिटर्स कर रहे थे। इसलिये वहां पर देरी हो गई। जितने क्लर्क थे वे उस काम में बिजी थे। इसलिये हरिजन छात्रों की छात्रवृत्तियां वक्त से नहीं मिल सकीं।

*६४--श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)-- [१० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*६५--६६--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ २५६ पर।]

सुल्तानपुर व प्रतापगढ़ जिलों में संस्कृत पाठशालाओं को वार्षिक सहायता

*६७--श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों में किस संस्कृत पाठशाला को सरकार से कितनी वार्षिक सहायता मिलती है ?

डाक्टर सीताराम--इस संबंध में संलग्न तालिका मेज पर रक्खी जाती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३०५ पर।)

श्री रणंजय सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतलावेगी कि इनमें से आदर्श पाठ-शाला कौन कौन हैं ?

डाक्टर सीताराम--आदर्श पाठशाला के संबंध में अभी डायरेक्टर आफ़ एजूकेशन ने लिस्ट बनाना शुरू की है जिसकी अभी पूरी सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री रणंजय सिंह--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि साधारण पाठशाला और आदर्श पाठशाला में क्या अन्तर है ?

डाक्टर सीताराम--अन्तर तो जरूर रखा गया है लेकिन अभी उस की सूचना हमारे पास नहीं है इसलिये अभी यह बताना कठिन है ।

*६८-६९--श्री रणंजय सिंह--[१० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

बलिया जिले के छिछोरकाण्ड में मारे गये व्यक्ति

*७०--श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिला के सन् ५० वाले छिछोरकान्ड में कितने आदमी मारे गये और वे कौन थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बलिया जिले के सन् १९५० वाले छिछोरकान्ड में श्री श्रीरामकुंवर सिंह के परिवार के निम्नलिखित ५ व्यक्ति मारे गये --

(१) श्री सीताराम सिंह
(२) श्री जयनारायन सिंह
(३) श्री रामचन्द्र सिंह
(४) श्री रविप्रताप सिंह
(५) श्रीमती श्रीपतीदेवी

श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि इस कणड के कौन से प्रमुख कारण थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मालूम होता है वहां कुछ कम्युनिस्ट लोगों पर मुक़दमें चल रहे थे और उसी सिलसिले में जो उनके ख़िलाफ गवाही देने वाले थे जिनसे नाराजगी थी उनमें से एक तो राधामोहन सिंह को उन के घर पर जाकर २३ तारीख़ को मारा और राम प्रताप सिंह को ३० तारीख़ को घर पर जा कर मारा और जो लोग बचाने आये उनको भी मारा और कारण यही था कि उस वक्त कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ मुक़दमा चल रहा था ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या यह सही है कि कुंडवा मानिकपुर कांड के अनुसार जैसे मरे हुये व्यक्ति की स्त्री को पेंशन मिलती है उसी तरह से छिछोरकांड वाले परिवार को भी सहायता करने पर सरकार विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--विचार तो हुआ था, एक तो जहां तक मालूम हुआ है इस परिवार की हालत कुछ ऐसी है कि दाल रोटी का काम चल जाता है । दूसरे जिस पार्टी के हाथों यह काम हुआ है अगर वह जिन्दा रही तो न मालूम कितने लोग उस के शिकार होंगे चाहे सरकार कितनी ही मदद करे ।

*७१--श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या यह सच है कि इस कान्ड का संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह सच है कि इस कांड में भाग लेने वालों का संबंध एक राजनीतिक पार्टी से था।

*७२--श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपया उन तमाम सुविधाओं को जो राजनैतिक उत्पीड़ित परिवारों को दी जाती हैं, इस काण्ड में मरे हुये व्यक्तियों के परिवारों को भी देने का विचार रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

*७३-७४--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--[१७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

जाति विशेष के नाम पर चलने वाली शिक्षा संस्थायें

*७५--श्री केवलसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार किसी जाति विशेष के नाम पर चलने वाले कालेज तथा स्कूलों को दी जाने वाली इम्दाद को बन्द करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं, ऐसा करने में वैधानिक रुकावटें हैं।

श्री नेकराम शर्मा--क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वह वैधानिक आपत्ति क्या है ?

डाक्टर सीताराम--कांस्टीट्यूशन आफ़ इंडिया, आर्टिकिल नम्बर २८, सब-सेक्शन २ में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं अगर उनमें से चेरिटेबिल एन्डाउमेंट हैं उनको सरकार सहायता देती है। अतः यह कहना कि उनको बन्द कर दिया जाय अवैधानिक है।

पाठ्यक्रम में गांधी साहित्य का स्थान

*७६--श्री केवलसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त की शिक्षा पद्धति में पूज्य गांधी जी द्वारा लिखित साहित्य को स्थान देने पर विचार किया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं, क्योंकि गांधी जी की जीवनी, आदेश, सिद्धान्त, इत्यादि पर काफी सामग्री पाठ्यपुस्तकों में प्रायः रहती है।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गांधी जी ने स्वास्थ्य रक्षा और नीति धर्म पर जो पुस्तकें लिखी हैं उनको वह पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का विचार रखती है ?

डाक्टर सीताराम--इस पर सुझाव तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रश्न सरकार के सामने अभी विचाराधीन नहीं है जिसको मैं अभी आप के सामने उपस्थित कर सकूं।

चन्द्रप्रभा बांध पर काम करने वाले क़ैदियों पर व्यय

*७७--श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चन्द्रप्रभा बांध पर कुल कितने क़ैदी काम करते हैं ?

श्री मुज़फ़्फ़र हसन--चन्द्रप्रभा बांध पर काम करने वाले क़ैदियों की दैनिक औसत संख्या १,५३० रही है।

श्री जवाहरलाल---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि सेंट्रल जेल जिन जिलों में स्थित हैं वहां के कैदियों से भी किसी तरह का काम लेने की कोई व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री मुज़फ़्फ़र हसन---जी हां, वह तो कार्य किया जा रहा है कि कहां-कहां यह काम चलाया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बांध में काम करने वाले क़ैदियों को जब छांटा गया तो उसके छांटने की भित्ति यानी क्राइटेरियन क्या था ?

श्री मुज़फ़्फ़र हसन---यह सूचना तो इस वक्त मेरे पास नहीं है।

*७८---श्री जवाहरलाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एक क़ैदी पर प्रति दिन जो व्यय होता है उसका उस क्षेत्र की प्रचलित मज़दूरी की दर से क्या अनुपात है ?

श्री मुज़फ़्फ़र हसन---चन्द्रप्रभा बांध में एक क़ैदी पर जो दैनिक व्यय होता है उसका और क़ैदी की दैनिक आय का अनुपात १५:१४ है।

लीलावती पन्त राजकीय, माध्यमिक विद्यालय भीमताल (ज़िला नैनीताल) में स्थानाभाव

*७९---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को मालूम है कि लीलावती पन्त राजकीय माध्यमिक विद्यालय भीमताल (ज़िला नैनीताल) को स्कूल के कमरे न होने के कारण अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

डाक्टर सीताराम---जी हां।

*८०---श्री नारायण दत्त तिवारी---अगर हां, तो सरकार इस कमी को दूर करने के हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---८ नये कमरों के निर्माण की योजना विभाग के विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन दे सकते हैं कि इन आठ कमरों के निर्माण की व्यवस्था इसी वर्ष में हो जायगी ?

डाक्टर सीताराम---नहीं, इस वर्ष में नहीं हो पायेगी, लेकिन ५४ और ५५ के लिये इस पर विचार किया जा रहा है।

*८१---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि लीलावती पन्त राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भीमताल को अभी अस्थायी रूप से ही राजकीय विद्यालय माना गया है ? अगर हां, तो उसे स्थायी कब तक घोषित किया जायगा ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि इस विद्यालय के अध्यापक अभी तक स्थायी निश्चित नहीं किये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम---चाहे अध्यापक स्थायी हों या अस्थायी, सब गवर्नमेंट सर्विस के अन्तर्गत आते हैं। उनकी जब सीनियारिटी काउण्ट होगी तो वे स्थायी कर दिये जायेंगे।

हरिजनों को मकान बनवाने के लिए सहायता

*८२--श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष कितना रुपया हरिजनों के मकान बनाने के लिये जिला नियोजन अधिकारियों को दिया गया था ?

डाक्टर सीताराम--७०,००० रुपया दिया गया था ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ७० हजार रुपया किन-किन जिलों के नियोजन अधिकारियों को कहां-कहां दिया गया ?

डाक्टर सीताराम--यह १४ जिले हैं, जैसे सहारनपुर ८,५५०, आजमगढ़ ४,०००, आगरा ४,०००, बलिया १२,०००, इटावा ३,३००, फैजाबाद ६,०००, गढ़वाल २,२००, गाजीपुर ७,०००, जौनपुर १५००, लखनऊ ५,०००, नैनीताल ५,०००, गोरखपुर २,०००, मथुरा २,०००, बिजनौर, ७,४५० ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मकान के लिये जो ये रुपये दिये गये हैं उनसे हरिजनों के कितने मकान बनाये गये ?

डाक्टर सीताराम--इसकी तो कोई सूचना नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतालायेंगे कि जो रुपया जिला नियोजन अधिकारियों को इस प्रकार दिया गया उसमें से कितना रुपया उपयुक्त हुआ ?

डाक्टर सीताराम--इसकी सूचना नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर्स को आदेश दिये गये हैं कि अगर उस साल के अन्दर मकान न बन पायें तो वह रुपया दूसरे साल के लिये रख दिया जाय । वह दूसरे साल यूटिलाइज कर लिया जायगा क्योंकि मकानों का ऐसा मामला होता है कि वह उसी साल नहीं बन सकते ।

*८३--श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नियोजन अधिकारी अलीगढ़ को कितना रुपया गत वर्ष हरिजनों के मकान बनाने को दिया था ?

डाक्टर सीताराम--कोई रुपया नहीं दिया गया था ।

*८४--श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह रुपया जिला अलीगढ़ के किस भाग में कितना कितना किस प्रकार व्यय किया गया ?

डाक्टर सीताराम--प्रश्न नहीं उठता ।

बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को शिक्षा के लिये सहायता

*८५--श्री धर्मसिंह--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सरकार द्वारा कितना धन शिक्षा संबंधी कार्य के लिये वार्षिक अनुदान के रूप में दिया जाता है ?

डाक्टर सीताराम—विभिन्न राजाज्ञाओं के अन्तर्गत परिषद् के प्राप्यक की गणना करने पर जो धनराशि आती है वही अनुदान शिक्षा के हेतु दिया जाता है। इस वर्ष जिला परिषद्, बुलन्दशहर को शिक्षा के लिये कुल ५,०८,३९४ रु० का अनुदान दिया गया है।

श्री धर्मसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बुलन्दहशहर की शिक्षा पर कितना रुपया व्यय होता है ?

डाक्टर सीताराम—६ लाख ५२ हजार ४३४ रुपया सालाना व्यय होता है।

श्री धर्मसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के लिये शिक्षा के संबंध में अनुदान देने की क्या नीति है ?

डाक्टर सीताराम—डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में शिक्षा पर जितनी रकम खर्च होती है उसका दो तिहाई सरकार देने की कोशिश करती है। जो फीगर्स आते हैं उन पर कैलकुलेट किया जाता है। इस तरह से बुलन्दशहर को ७७.९ प्रतिशत कंट्रीब्यूशन यू० पी० सरकार ने दिया है जब कि यू० पी० का औसत सिर्फ ७७.५ प्रतिशत है।

मुहल्ला कुतुबपुर, थाना हसनगंज के सिपाहियों द्वारा वाल्मीकियों पर अत्याचार

*८६—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख २२ सितम्बर को ९ बजे रात्रि को मु० कुतुबपुर, थाना हसनगंज के सिपाहियों ने कुछ वाल्मीकियों को बुरी तरह से पीटा जिसकी डाक्टरी जांच भी उसी रात को हुई और उस घटना की शिकायत लिखित रूप से समस्त अधिकारी तथा मंत्री महोदय को दी जा चुकी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, इस संबंध में कुछ शिकायतें जिला अधिकारियों व सरकार को दी गईं, लेकिन जांच करने पर उनकी पुष्टि न हो सकी।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में जांच किन अधिकारियों द्वारा करायी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुछ जांच सर्किल इंस्पेक्टर ने की और कुछ जांच सिटी-मैजिस्ट्रेट ने की।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुष्टि न होने का कारण उक्त शिकायत ही गलत थी अथवा सबूत ही प्राप्त न हो सका ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चूंकि शिकायत गलत थी, इसलिये सबूत प्राप्त नहीं हो सका।

रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के आफिस के कर्मचारी

*८७—श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के आफिस में कितने कर्मचारी किस-किस पद पर हैं ?

*८८—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के आफिस के कर्मचारियों का मासिक वेतन क्या है और उनकी नियुक्ति कब से हुई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन के दफ्तर में २० कर्मचारी और ५ चपरासी हैं। उनके पद व मासिक वेतन और उनकी नियुक्ति की तिथि संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३०६ पर।)

*८९—श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के आफिस के कर्मचारियों के कार्य का विभाजन हुआ है? अगर हां, तो यह बटवारा कब हुआ और किस प्रकार?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, कार्य विभाजन अधिकारियों की नियुक्ति के समय ही यथानुकूल किया गया था।

*९०—श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—[१० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

बिसवां का माडल थाना

*९१—श्री सुरेश प्रकाश सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिसवां थाना कब से और क्यों माडल थाना (Model thana) बनाया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उस समय पर प्रचलित योजना के अनुसार बिसवां थाना १५ फरवरी, १९५३ ई० से माडल थाना बनाया गया।

बनारस क्वीन्स कालेज के हाते का शिलास्तम्भ

*९२—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस)—क्या सरकार को यह विदित है कि बनारस के क्वीन्स कालेज के हाते का शिलास्तम्भ उसी जिले के परगना महाइच, गांव प्रहलादपुर से यहां लाया गया है?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां।

*९३—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी—यदि यह बात सही है, तो उस मूल स्थान (जहां से यह शिलास्तम्भ लाया गया है।) की ऐतिहासिक महत्ता बनाये रखने के लिये कोई स्मृति-चिन्ह बनवाने का सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसा कोई प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जिला मुजफ्फरनगर में डकैतियां

*९४—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में (१) गांव में, (२) नगरों में, १ जनवरी, सन् ५२ से ३१ दिसम्बर, ५२ तक कहां-कहां और कब डकैतियां हुईं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नगरों में कोई डकैती नहीं हुई । गांवों में हुई डकैतियों के संबंध में सूचना साथ में नत्थी नकशे में देखी जा सकती है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३०७ पर)

*९५--श्री श्रीचन्द--इनमें से कौन-कौन डकैतियां ऐसी हैं जिनका पता अभी तक नहीं लग सका है और इनके संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बसी खुर्द, शुक्तारी और काजीपुरा में पड़ी डकैतियों का पता नहीं चला । उनके संबंध में तहकीकात बंद कर दी गई है ।

* * * *

राज्य में क़त्ल व डकैतियां

*२३--श्री लालबहादुर सिंह (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ ई० में प्रांत में कुल कितने कत्ल तथा डकैतियां हुईं ? पिछले वर्षों से इनमें वृद्धि हुई है या कमी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१५५२ कत्ल व ६९१ डकैतियां हुईं । इनमें पिछले वर्षों से कमी हुई है ।

* * * *

ज्ञानपुर, रामपुर, नैनीताल सरकारी डिग्री कालेजों पर व्यय

*२७--श्री लालबहादुर सिंह (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञानपुर, रामपुर, नैनीताल सरकारी डिग्री कालेजों में गत वर्ष कितना व्यय हुआ ?

श्री हरगोविंद सिंह--४,३३,३२८ रु० ९ आ० ७ पा० ।

* * * *

मुरादाबाद राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल को डिग्री कालेज बनाने का एकत्रित चन्दा

*६५--श्री महीलाल (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद नगरवासियों द्वारा राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल को डिग्री कालेज बनाने के लिये सन् १९२१-२२ ई० का चन्दे का २३,४५,६७८ रु० जमा है ? यदि हां, तो यह अब तक व्यय क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरगोविंद सिंह--ऐसा कोई चन्दे का रुपया जमा नहीं हुआ था ।

मुरादाबाद जिले में हरिजनों को कुयें बनवाने के लिये स्वीकृत धन

*६६--श्री महीलाल--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन सहायक विभाग की ओर से सन् १९५२-५३ ई० में मुरादाबाद जिले को हरिजनों के कुयें बनाने के लिये जो रुपया दिया गया था वह व्यय हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक व्यय हो जायगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह--सन् १९५२-५३ ई० में मुरादाबाद जिले को हरिजन सहायक विभाग की ओर से कुयें बनाने के लिये ५,००० रु० मंजूर हुआ । वह अभी व्यय नहीं हुआ है, परन्तु यथा समय व्यय हो जावेगा ।

अतारांकित प्रश्न

गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों और इण्टर कालेजों को सहायता

१—श्री राम सहाय शर्मा (जिला झांसी)—क्या शिक्षा मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि सन् १९५२-५३ में गैर सरकारी मान्यता प्राप्त इन्टर कालेजों और हायर सेकेन्डरी स्कूलों को कुल कितनी आर्थिक सहायता (Grant-in-aid) दी गयी है ?

श्री हरगोविंद सिंह—सदस्य महोदय, सहायक विद्यालयों की, वर्ष १९५२-५३ की, सूची शिक्षा मंत्री जी के कमरे में देख सकते हैं।

२—श्री राम सहाय शर्मा— [१७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला बुलंदशहर में राजनीतिक पीड़ित परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

३—श्री धर्मसिंह—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जिले में पिछले दो वर्ष में कितने राजनैतिक पीड़ित परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गयीं, उनके नाम और पते क्या-क्या हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३०८ पर)

चीनी मिल के कर्मचारियों का बैठकी भत्ता

४—श्री गेंदासिंह—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की किस चीनी मिल ने अब तक सरकार की विज्ञप्ति नं० १४२५ (एस० टी०) (२) /१८—१३-(एस०टी०)-५०, ता० ५ जुलाई, १९५० के अनुसार कर्मचारियों को बैठकी का भत्ता नहीं दिया है और यदि नहीं दिया है, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—४६ चीनी मिलों ने। वे हाईकोर्ट में पेश हुई रिट दरख्वास्तों पर निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

५—श्री गेंदासिंह—इस विज्ञप्ति के विरुद्ध प्रदेश की किस चीनी मिल ने हाई कोर्ट में रिट दरख्वास्त पेश की है और कब तक इस प्रकार की दरख्वास्तों का निर्णय हो जाने की आशा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—४६ चीनी मिलों ने। कुछ नहीं कहा जा सकता।

कसिया, जिला देवरिया में बंदीगृह बनने का आयोजन

६—श्री राम सुभग वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया, तहसील पडरौना के अन्तर्गत कसिया में बंदीगृह (जेलखाना) बनने का आयोजन था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

७—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार उसको बनवाने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वहां पर जेल रखना कहां तक उपयोगी होगा यह विचारणीय है।

संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक

८—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सत्य है कि सरकार प्रत्येक जिले में संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षण के लिये एक निरीक्षक नियुक्त करने का विचार कर रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर आदि जिलों में खेतिहर मजदूरों अथवा किसानों में असन्तोष के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक 'कामरोको' प्रस्ताव मेरे पास श्री रामसुन्दर पान्डेय जी की तरफ से आया है। वह इस प्रकार है:

"आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर आदि जिलों में गलत इन्दराज दुरुस्त करने के कानून बन जाने के बावजूद भी जिलाधिकारियों एवं सरकार द्वारा की गयी उपेक्षा एवं पक्षपातपूर्ण जांच से खेतिहर मजदूरों एवं किसानों में असंतोष व्याप्त हो गया है जिसके फलस्वरूप क़त्ल और मुक़दमों की भरमार है। आजमगढ़ जिले के अधिकारी पी० ए० सी० बटालियन की टुकड़ी और पुलिस द्वारा किसानों के काश्तकारी खेतों को भी कटवा रहे हैं। प्रान्तीय सरकार के मुख्य मंत्री, गृह मंत्री और माल मंत्री के यहां बार-बार लिखते रहने पर भी ध्यान न देने के कारण अराजकता की सी दशा उपस्थित हो गयी है।

अतः मैं चाहता हूं कि उक्त विषय पर विचार करने के लिये आज का सदन स्थगित किया जाय।"

इसमें अगर कोई बातें सही हैं तो महत्व की चीज हो जाती है, लेकिन निश्चितता के बारे में इसमें कुछ स्पष्ट लिखा नहीं है। मैं माननीय रामसुन्दर पान्डेय जी से यह कहूंगा कि इसको अवैध करार देने के पेश्तर—अभी नियम ६८ के अनुसार मैं इसे अवैध क़रार नहीं दे रहा हूं— सिर्फ वे यह बतावें कि वे किस तरह से समझते हैं कि एक तो यह बहुत अर्जेन्ट है और दूसरे यह निश्चित है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे इस 'कामरोको' प्रस्ताव पर राय जाहिर करने का मौक़ा प्रदान किया है।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव पर राय जाहिर करने का नहीं, उसकी निश्चितता व अर्जेन्सी पर।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—अध्यक्ष महोदय, इस 'कामरोको' प्रस्ताव के संबंध में सब से जरूरी जो विषय है वह यह है कि सरकार और माननीय सदस्यों द्वारा जो ग़लत इन्दराज के संबंध में बनाया हुआ कानून है.....

श्री अध्यक्ष—आप इसके बारे में मत कहिये। आप यह बतलाइये कि इसके निश्चित होने के संबंध में क्या बातें हुईं। यह आप सदन को बतायें और मुझे बतायें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ में जो इस तरह की घटनायें हुयी हैं और उनके संबंध में वहां की जनता की ओर से जो दरख्वास्तें आयी हैं, उन पर सरकार की ओर से जो पक्षपातपूर्ण नीति रही है, उसके कारण वहां जनता में असंतोष व्याप्त है। मैं थोड़े समय में आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेमरी जमालपुर गांव के जमींदार सीताराम राय बलिया जिले के रहने वाले हैं। उस गांव में उनका एक न मकान है और न एक बैल है, फिर भी किसानों की जोत की जमीन भूतपूर्व जमींदारों को ही दी जा रही है। मैंने खुद माननीय माल मंत्री और माननीय गृह मंत्री के पास लिख कर भेजा लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, सेमरी जमालपुर के किसान जो हरिजन हैं उनकी फ़सल जमींदारों ने खलिहान से उठा लिया है। खैरा मुहम्मदपुर गांव में रामधन भर और बल्ली चमार, जिन के पक्ष में मैजिस्ट्रेट का फैसला था, उनकी फसल घोसी के थानेदार पी० ए० सी० बटालियन के साथ कटवाकर उठा ले गये। भोजीपुर बेलवली के गांव में दुखी अहीर है। दफा १४५ में उसकी डिग्री हो गयी थी, दो नम्बर का झगड़ा था, एक नम्बर ४ और दूसरा नम्बर ५। नम्बर ५ में किसान के पक्ष में डिग्री हुई थी।

श्री अध्यक्ष--इसके बारे में भी सरकार के पास भेजा।

श्री रामसुरन्दर पांडेय--जी हां, मैंने भेजा है। जिसमें किसान की डिग्री है वह नम्बर ५ है और रक़बा ९१० कड़ी है। उस को पुलिस के लोगों ने दिन दहाड़े कटवा दिया। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त ढ़डवल पटयांव के राम केवल अहीर के खेत को पुलिस के द्वारा कटवाया गया।

श्री अध्यक्ष--अगर २०, २५ केसेज हैं, तो आप केसेज का नाम एकदम दे दीजिये, तफसील नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--अध्यक्ष महोदय, वही दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--तफसील में तो जब आप को सदन से इजाजत मिल जाय तब कहियेगा। अभी तो मुख्तसिर में कहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--इसी तरह से फ़तेहपुर बरोही के सुन्दर चमार की फ़सल खलिहान से उठा ली गयी। जस्टिस इक़बाल के भाई ने जो बहुत बड़े जमींदार हैं पुलिस से मिल कर फतेहपुर चौबे के कई हरिजनों की फसल बन्दूकों के बल से खेत से कटवा ली। माननीय उमाशंकर मिश्र एम० एल० ए० की रिपोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उनकी बन्दूक़ का लाइसेंस जब्त कर लिया, लेकिन मुक़दमा चलाने की कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं की गई। मितहरा ग्राम के चमारों की फ़सल जमींदारों ने बन्दूक़ लेकर कटवा ली। मिसिपुर के राजदेव मिश्र की फसल दरवाजे पर से पुलिस उठवा ले गयी। भटनी गांव के कालू अहीर की फ़सल जमींदार ने कटवा ली। मलेरी कोट के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता इन्द्रदेव चौहान को सब पुलिस इंसपेक्टर थाना घोसी ने परगना हाकिम घोसी के आदेश से मारा गया और १०७/११७ में बन्द कर दिया गया। इसके अलावा मोहीउद्दीनपुर और गौहारपुर के ६७ किसानों पर ३७९ का मुक़दमा चलाया गया और वह इसलिये चलाया गया कि वे किसान खेत को जोतते थे और पहले उन्होंने ग़लत इन्दराज की जांच की दरख्वास्त दी थी। इसी प्रकार इन्दारा ग्राम के घुर-मारी और लखन भर के खेतों को १४५ में पुलिस द्वारा कुर्क़ करा लिया गया और मारा गया। हथिनी ग्राम के रामटहल वग़ैरह ३५ आदमियों पर १०७ का मुक़दमा चलाया गया। इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, मेनडाड़ ग्राम के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता साथी असगर का क़त्ल जिलाधिकारियों की उदासीनता और भूतपूर्व जमींदारों के संगठित दल से हुआ।

श्री अध्यक्ष--ये आप भेज चुके हैं सरकार के पास ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---जी हां।

श्री अध्यक्ष---तो आप के उदाहरण काफ़ी हो गये। अब आप मुझसे आज्ञा मांगने का निश्चित कारण कहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय---तो अध्यक्ष महोदय, इस तरह से यह सारी फ़ाइल मेरे पास मौजूद है और सब की प्रतिलिपि मेरे पास है और माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री, और माननीय माल मंत्री जी को इस संबंध में बाइस चिट्ठियां लिखी गयीं, लेकिन उन चिट्ठियों का कोई असर अब तक नहीं हुआ और न सम्भावना ही है। क्योंकि सरकार जिला-धिकारियों के ही रिपोर्ट सच मानती है पुनः जांच नहीं करना चाहती है। मैं आप के द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कि यदि इसका जल्द ही कोई उपाय नहीं किया गया तो जो लोग लाठी वाले हैं, और जिनका सम्पर्क कांग्रेस के नेताओं और बड़े-बड़े अधिकारियों से है वे खेतिहर मजदूरों और किसानों का जिन्दा रहना दूभर कर देंगे, ऐसी असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। इसलिये मैं आप के द्वारा इस आदरणीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार करने के लिये अनुमति प्रदान करें।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री रामसुन्दर पांडेय की बात सुनने के बाद भी मेरी यही राय है कि जो प्रस्ताव वह लाये हैं वह बिल्कुल ही अनिश्चित है और साथ ही निराधार भी है। यह सही है कि वह समय-समय पर मेरे पास बहुत सी शिकायतें लाते रहे हैं। उनकी शिकायतें यह रही हैं कि वहां के सरकारी अधिकारी और कांग्रेस वाले मिल कर वहां के ग़रीबों और किसानों को लूटते रहे हैं। साथ ही इसके इस सदन के कई माननीय सदस्यों की तरफ़ से भी एक दरख्वास्त आयी है जिसमें कहा गया है कि ऐसे लोग जो कि श्री पांडेय जी को अपना नेता मानते हैं उन्होंने आजमगढ़ के एक हिस्से में एक अजीब आफ़त मचा रखी है। पुलिस ने वहां आफ़त मचा रखी है और लोगों को लूटती मारती है, यह कहना गलत होगा और इसका कहीं रामसुन्दर जी ने भी प्रमाण नहीं दिया कि पी० ए० सी० ने ज्यादती की। जहां तक ग़लत इन्दराजों का मामला है उस के लिये मैजिस्ट्रेटस् को आज्ञा दे दी गयी है कि वे ऐसे मामलों की जांच कर के उचित कार्यवाही करें। वैसे यहां तो जो शिकायतें हमारे पास आती रहती हैं उन को तो हम जांचते ही रहते हैं। जितनी शिकायतों का उन्होंने जिक्र किया उन सबका जवाब देना मेरे लिये तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार की शिकायतों पर सदन का काम रोकने के लिये कोई आधार नहीं है।

श्री अध्यक्ष---मैंने यह बात पहले ही कह दी थी कि जहां तक महत्व का सवाल है, बहुत से मामले हैं और वह महत्व रखते हैं, लेकिन निश्चितता के बारे में, अरजेंसी के बारे में जो नियम है उसका एक हिस्सा मैं आप को पढ़ कर बता देना चाहता हूं क्योंकि इस प्रकार के कामरोको प्रस्ताव इस सदन में माननीय सदस्यों की ओर से आते रहते हैं। इसलिये उससे माननीय सदस्यों को आगे के लिये सहूलियत हो जायेगी और वे आयन्दा उसका ख्याल रख सकेंगे।

"Not more than one matter shall be discussed on the same motion."

[एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं हो सकेगी।]

निश्चितता में यह भी होना चाहिये कि कोई एक ही निश्चित बात हो जो महत्व की हो। जो बातें कही गयी हैं उनमें १५, २० प्रश्न रखे गये हैं लेकिन जो मेरे पास प्रस्ताव आया था उसमें गोल लिखा हुआ है उस में किसी एक निश्चित बात का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसी हालत में मैं इसको निश्चित करार नहीं दे सकता और इसलिये मैं यह भी इजाजत देना मुनासिब नहीं समझता कि यह सदन की अनुमति के लिये पेश किया जाय।

लेखा समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा

श्री अध्यक्ष—लेखा समिति के निर्वाचन के संबंध में मुझे यह सूचना देना है कि श्री रामबली मिश्र, श्री त्रिलोकी नाथ कौल और श्री कुंवर कृष्ण वर्मा ने अपने नामों को वापस ले लिया है। उस दिन मैंने २३ नाम सुनाये थे। इस प्रकार उनमें से शेष २० नाम रह जाते हैं। इन्हीं को मैं चुना गया घोषित करता हूं।

वित्त समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा

श्री अध्यक्ष—उस दिन इसमें भी १७ नाम थे उनमें से श्री पुत्तू लाल जी, श्री हरखयाल सिंह पिपल तथा श्री उल्फत सिंह चौहान ने अपने नाम वापस ले लिये हैं। इसलिये बाक़ी १४ सदस्य चुने गये।

घूस निवारक विधेयक के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—घूस निवारक विधेयक के संबंध में कानूनी राय यह है कि यह पेश नहीं हो सकता इसका कारण यह है कि इसमें जो कर्मचारी आते हैं उन पर अगर इसके प्रतिबन्ध लागू हों तो उस में वे कर्मचारी भी आ जाते हैं जो केन्द्रीय सरकार से संबंध रखते हैं। ऐसी अवस्था में संविधान अनुसूची मद ७० के अनुसार सूची (१) में यह संघीय विषय भी है इससे यह राज्य विधान सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। इस कारण मैंने इसकी इजाजत नहीं दी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—यह तभी होना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—मैंने इसकी सूचना दे दी है कि मैंने इसको ऐजेंडा में शामिल क्यों नहीं किया है जिससे इसका निर्णय भी न करना पड़े कि इसको लिया जाय या न लिया जाय क्योंकि अन्यथा उस में सदन का समय व्यर्थ नष्ट होता।

श्री राजनारायण, श्री रामनारायण त्रिपाठी तथा श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्री हरगोविन्द पन्त (उपाध्यक्ष)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से....

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—श्रीमान् जी, व्यवस्था का प्रश्न।

श्री अध्यक्ष—अभी उन्होंने कोई चीज नहीं कही है।

श्री हरगोविन्द पन्त—आपकी आज्ञा से श्री राजनारायण और श्री राम नारायण त्रिपाठी.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न.....

श्री अध्यक्ष—अभी आप बैठ जाइये, उन्हें अपनी पूरी बात कह लेने दीजिये।

श्री हरगोविन्द पन्त—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से श्री राजनारायण, श्री रामनारायण त्रिपाठी एवं श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर उत्तर प्रदेशीय विधान सभा विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन इस सदन के समक्ष उपस्थित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३०९ पर)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में दो प्रश्न उठते हैं पहले तो यह कि यह एक ग़ैर सरकारी प्रस्तावों का दिन है। इसलिये यह आज उपस्थित नहीं किया जा सकता। दूसरे इसलिये कि पूरी रिपोर्ट पेश नहीं की गयी है ।

श्री अध्यक्ष—क्या आप नियम बता सकते हैं कि यह आप कौन से नियम के अनुसार कह रहे हैं ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—नियम तो इस समय याद नहीं है। नियम अभी बतला दूंगा।

दूसरे नियम ५२ में लिखा हुआ है "विशेषाधिकार समिति अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी जो सदन की मेजों पर रखा जायगा ।"

तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रतिवेदन के बारे में जो कि सदन की मेजों पर रखा गया है मेरा यह निवेदन है कि यह प्रतिवेदन है ही नहीं। इस माने में कि इसमें तमाम बातें सम्मिलित नहीं हैं। और इसी सदन में पिछली वर्षों में ब्लीट्ज केस के उदाहरण हैं और माननीय चन्द्रभानु गुप्त के ख़िलाफ जो प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट थी उसके भी उदाहरण हैं। उन रिपोर्ट्स में जितनी कार्यवाही हुई आदि से अन्त तक अभियुक्तों के ख़िलाफ जितने पत्र लिखे गये और अभियुक्तों के जितने बयान हुये वे सब तमाम छपवाकर रखे गये थे लेकिन यह जो प्रतिवेदन है इसमें सिर्फ विशेषाधिकार समिति के बहुमत और माइनारिटी की रिपोर्ट ही सम्मिलित है। माननीय सदस्यों से क्या पत्र व्यवहार हुआ, उन्होंने क्या-क्या दरख्वास्तें दीं और उस पर क्या कार्यवाही हुई इस मसले पर कोई ज़िक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं आप की बात समझ गया। आप का मतलब है कि जो जांच हुई है उसकी रिपोर्ट में पूरे काग़ज़ात नहीं हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—नियम ५२ के मुताबिक़ यह रिपोर्ट नहीं कही जा सकती है। नियम ५२ में लिखा हुआ है "विशेषाधिकार समिति अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी जो सदन की मेजों पर रक्खा जायगा।" प्रतिवेदन में तमाम बातें होती हैं जैसा कि मैंने ब्लीट्ज और माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त के केस की मिसाल दी थी कि केस की तमाम बातें डिटेल में सामने रखी गयी थीं और तब उस पर विचार हुआ था।

श्री हरगोविन्द पन्त—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिवेदन का अर्थ तो बिलकुल स्पष्ट है। जो प्रश्न विशेषाधिकार समिति के सामने विचार के लिये भेजा गया था उस की जांच के बाद जो राय उसने अपनी क़ायम की उसका ही प्रतिवेदन भवन के सामने रखा गया है। परन्तु मैं भवन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन से संबंध रखने वाले जितने भी काग़ज़ात हैं वे सब छपने को दिये गये हैं और उनकी प्रतियां छप जाने के बाद भवन के सदस्यों में शीघ्र से शीघ्र वितरित कर दी जांयगी। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—पहले मैं वैधानिक आपत्ति के ऊपर अपना निर्णय दे दूं। उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। मेरी जो पहली आपत्ति है उसके लिये मैं नियम १८ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---वह नियम तो बतला दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, आपने पूछा था कि कौन सा नियम है।

"18. Unless the House decides otherwise in public interest, on the second and fourth Friday of each month, Private Members' business shall have precedence over Official business."

[१८—जब तक सदन जनहितार्थ अन्यथा विनिश्चय न करे, प्रत्येक मास के द्वितीय और चतुर्थ शुक्रवार को असरकारी सदस्यों के कार्य को सरकारी कार्य की अपेक्षा पूर्वता मिलेगी।]

"67. Notwithstanding anything contained in these rules, the Speaker may refer any question of privilege to the Committee of Privileges for examination, investigation of report."

[६७—इन नियमों में किसी बात के रहते हुये भी अध्यक्ष विशेषाधिकार का कोई प्रश्न परीक्षा जांच प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सकता है।]

नियम ६७ के अनुसार आपने उस दिन इन तीन माननीय सदस्यों का मामला ब्रिच आफ प्रिविलेज कमेटी के पास एक्जामिनेशन, इनवेस्टिगेशन और रिपोर्ट के लिये भेजा था। तो ब्रिच आफ प्रिविलेज कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वह केवल इनवेस्टिगेशन के संबंध में है और वह रिपोर्ट छपी नहीं है जैसा कि स्वयं माननीय उपाध्यक्ष जी ने माना है कि वह रिपोर्ट छपी नहीं है। वह शीघ्र से शीघ्र छप कर आ जायगी। चूंकि रिपोर्ट छपी नहीं है इसलिये मैं उसे एक्जामिनेशन व इनवेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं मानता हूं। चूंकि रिपोर्ट अधूरी रहती है इसलिये उस पर सदन विचार नहीं कर सकता है। इस लिये आप ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करें जिससे जब पूरी रिपोर्ट सदन के सामने आवे तभी उसे मेज पर रखा जाय। दूसरी बात यह कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया कि मैं रिपोर्ट उपस्थित करता हूं तो नियम ५२ के अनुसार वे उसे मेज पर रख सकते हैं, उपस्थित नहीं कर सकते। तो मेज पर रखने की आज्ञा न मांग कर उन्होंने उसे उपस्थित करने की आज्ञा मांगी है इसलिये इसे मेज पर रखना नहीं माना जा सकता है।

श्री अध्यक्ष---पहली आपत्ति यह उठायी गयी है कि जिस रोज प्राइवेट मेम्बर्स का बिजनेस हो उस रोज और कोई बिजनेस नहीं हो सकता है। उसका यह नियम है---

"Unless the House decides otherwise in public interest, on the second and fourth Friday of each month, Private Members' business shall have precedence over Official business."

इसका अर्थ यह है कि जो आफिशियल बिजनेस है उसके ऊपर प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस को प्रिसिडेंस होगा। जो सरकारी काम है वह काम आज नहीं लिया जायगा। लेकिन यह प्रिविलेज का सवाल सदन का सवाल है, यह सरकार का सवाल नहीं है और सदन का जो प्रश्न है प्रिविलेज का वह हर जगह विधान सभाओं में और पार्लियामेंट में भी उसका तरीक़ा यह है कि उसको प्रायरिटी हर कार्य के ऊपर रहती है। सदन चाहे तो आज इसके ऊपर विचार कर सकता है और उसको प्रायरिटी होगी। यह बात दूसरी है कि सदन यह समझे कि इस वक्त वह अन्य गैर सरकारी कार्य करे, यह सदन के ऊपर है लेकिन विशेषाधिकार के प्रश्न को प्रायरिटी है। तो यह आपत्ति वैध आपत्ति नहीं है क्योंकि यह सदन का कार्य है।

[श्री अध्यक्ष]

दूसरी आपत्ति नियम ५२ के बारे में उठायी गयी है कि रिपोर्ट ही नहीं है। दफा ६७ के अनुसार मैंने यह प्रश्न विशेषाधिकार कमेटी के पास भेजा था। उसमें यह शब्द हैं—फार एक्जामिनेशन, इंवेस्टिगेशन और रिपोर्ट है। इंवेस्टिगेशन दूसरी चीज है और एक्जामिनेशन दूसरी चीज है। उस मामले के बारे में जांच करना और उसके बाद रिपोर्ट करना। तो जांच करने के बाद कार्यवाही हो गई और उसके बारे में तहकीकात भी हो गयी और जो रिपोर्ट कमेटी ने उचित समझी, दी। तो किसी माननीय सदस्य को जिस वक्त वह पेश हो यह आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं है कि जिसको प्रिविलेज कमेटी अपनी रिपोर्ट कहती है उसको वह यह कहे कि रिपोर्ट ही नहीं है। इस विषय में अगर कोई आपत्ति हो सकती है कि यह रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है तो जिस वक्त कोई माननीय सदस्य उस रिपोर्ट को विचार के लिये कहें उस वक्त यह आपत्ति उठायी जा सकती है। रिपोर्ट केवल पेश करते वक्त तो इस विषय में कोई आपत्ति इस क़िस्म की उठा नहीं सकते, विचार करने के वक्त में ही उस पर आपत्ति उठ सकती है कि मुकम्मल कागजात हमारे पास नहीं आये।

यानी दूसरी चीज साफ यह है कि यह कहना कि यह रिपोर्ट नहीं है गलत है। इस विषय में जो रिपोर्ट देते हैं उन्हीं को यह अधिकार है कि वे कहें कि रिपोर्ट है या नहीं। उसमें कोई त्रुटि रह गयी है तो वह विचार के वक्त माननीय सदस्य बतला सकते हैं कि रिपोर्ट मुकम्मल है या नहीं। एक बात यह भी है कि माननीय उपाध्यक्ष ने यह कह दिया है कि विचार करने के वक्त के पहले ही वे माननीय सदस्यों के सम्मुख वे कागजात भी जो छपने गये हैं उपलब्ध कर देंगे। इसलिये भी मैं समझता हूं कि मेरिट्स की दृष्टि से भी उस में यह आपत्ति उठाने की आवश्यकता नहीं रहती।

तीसरा प्रश्न माननीय नारायणदत्त जी ने जो उठाया उस संबंध में मैं उन्हें एक दफ़ा थोड़ा सा और मौक़ा देना चाहता हूं कि उस को वह स्पष्ट करें क्योंकि समझ में बात कुछ आयी नहीं जिसके ऊपर मैं कुछ फैसला दूं। नियम यह दिया हुआ है रिपोर्ट के विषय में :—

"After the report of the Privilege Committee has been placed on the table of the House, the Chairman of the Committee or any member of the Committee or any member of the House may move that the report of the Committee be taken into consideration."

[विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के सदन में मेज पर रखे जाने के उपरान्त समिति का सभापति अथवा समिति का कोई सदस्य अथवा सदन का कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकता है कि समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।]

इसमें शब्द है उपस्थित करेंगे। टेबिल पर रखना और उपस्थित करना। अगर उनका मतलब यही है कि टेबिल पर रखना तो मैं समझता हूं कि उनको थोड़े से शब्द बदल देने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी।

क्योंकि उपस्थित करने का यह मतलब नहीं है कि जैसे बिल वगैरः इंट्रोड्यूज (पुरःस्थापित) होता है उस तरह की कोई चीज है मगर हिन्दी के आधार पर इस शब्द के अर्थ का विपर्यास हो सकता है। अगर उपस्थित करने के बजाय टेबिल पर रखता हूं कह देते तो नारायणदत्त जी को आपत्ति नहीं होती। मैं समझता हूं कि यही नारायणदत्त जी को आपत्ति थी। श्री उपाध्यक्ष कृपया उसे ऐसे शब्दों में स्पष्ट कर दें जिससे आपत्ति उनकी दूर हो जाय।

श्री हरगोविन्द पन्त—माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में उपस्थित शब्द का अर्थ तो मैं यही समझता हूं कि इसको भवन के समक्ष रखा जाय। अब चाहे मेज पर रख दिया जाय या सामने उपस्थित कर दिया जाय। तो मेरा अभिप्राय वही है जो आप चाहते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा मालूम होता है कि सदन के कुछ सदस्यों को इस पर

तुरन्त ही विचार करने में कुछ आपत्ति है। इसलिये मैं तो यह प्रार्थना करूंगा कि आगामी सोमवार, दिनांक ३० मार्च, को इस प्रतिवेदन पर विचार करने की व्यवस्था कर दी जाय और उस समय तक जितने संबंधित आवश्यक कागजात हैं उनके छपने पर मैं चाहूंगा कि सब सदस्यों को दे दिये जायं। और वे दे दिये जायंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आपने यह नहीं कहा कि मैं मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब इस तरह से बाल की खाल निकालने की मैं इजाजत नहीं देता। उनका वही मतलब है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई रिपोर्ट २ हिस्सों में भवन में रखी जाये?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये तो मैंने पहले ही अपना निर्णय दे दिया है कि इसको आप रिपोर्ट न कहें यह बात गलत है। उससे संबंधित जो कागजात हैं जो आप चाहते हैं वे बाद में उपाध्यक्ष जी पेश कर देंगे और उनसे रिपोर्ट के होने न होने से कोई संबंध नहीं है।

तो अब ३० तारीख को इसके ऊपर विचार होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—३० तारीख पर मुझे एतराज है।

श्री अध्यक्ष—इसमें एतराज का प्रश्न नहीं है क्योंकि वह तो जिस वक्त मूव करेंगे उस वक्त आप कुछ कह सकते हैं। उन्होंने तो सिर्फ आपको नोटिस दी है।

*उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२—(क्रमागत)

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्,

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज प्रत्येक संकल्प के लिये समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अभी वह बोल रहे हैं। उनके भाषण समाप्त होने के पहले यह बात नहीं आ सकती।

श्री झारखंडे राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल आपके सामने यह निवेदन कर रहा था कि किस परिस्थिति से मजबूर हो कर और किन कारणों से प्रेरित हो कर मैंने यह विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया था। आगरा सेंट्रल जेल में आगरा जिला कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी डाक्टर बी० डी० शुक्ल आज नजरबंद हैं। उनके ऊपर कोई निश्चित आरोप नहीं लगाया गया है। एक ऐसी फैक्टरी में हड़ताल कराने का चार्ज उनके ऊपर लगाया गया है जिसका नाम साबरी ग्लास फैक्टरी है। यह फैक्टरी खुद गत चार सालों से बन्द रही है और उसमें हड़ताल कराने का चार्ज लगाया गया था। ऐसे ही सीताराम जाटव के मकान पर गुप्त मीटिंग करने का चार्ज उन पर लगाया गया है। इस नाम का कोई व्यक्ति वहां पर नहीं है। ऐसे अनिश्चित आरोप के आधार पर एक आदमी को पिछले ८ महीनों से गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है और उनकी नजरबंदी की मियाद भी जहां तक मैं जान पाया हूं, अनिश्चित है। जब कि वे अपने परिवार के एक मात्र भरण-पोषण करने वाले थे और उनकी आमदनी से ही उनके परिवार का पेट भरता था। उनके परिवार को कोई भत्ता नहीं दिया गया। अब जो

*२६ मार्च, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री झारखंडे राय]

उनको भत्ता दिया जा रहा है वह उनके परिवार की हालत को देखते हुये नगण्य है। उसी आगरा सेंट्रल जेल में मुगल बेग नाम के एक दूसरे मजदूर कार्यकर्त्ता हैं जो फिरोजाबाद मजदूर सभा के मंत्री हैं और मजदूर सभा की ओर से ९० रुपये मासिक उनके परिवार के लिये मिलता था। आज उन्हें एक पैसा भी भत्ता नहीं दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आगरा सेंट्रल जेल में ही कुछ ऐसे कैदी हैं जिनको मैं राजबंदी समझता हूं और मेरी परिभाषा के मुताबिक वे राजबंदी हैं, उनको वहां और बंदियों से ही अलग नहीं रखा गया है बल्कि उनको आपस में भी एक दूसरे से अलग रखा गया है और उनको कोई किताब, नोटबुक, कलम या वह सामान जो कानूनी है या जो लिखने पढ़ने के लिये एक पढ़े लिखे आदमी के प्रयोग के लिये आवश्यक हैं वह नहीं दिये जाते हैं और न कोई दैनिक अखबार ही उनको दिये जाते हैं। श्री संत कुमार.....

श्री अध्यक्ष---इस समय भाषण हो रहा है और उसको सुनने के लिये सदन में शांति कायम रहनी चाहिये।

श्री झारखंडे राय---एक राजबंदी श्री संतकुमार हैं उनको जेल में चक्की की मशक्कत दी गई है और उनको प्रार्थना पर मजबूर करके खड़ा किया जाता है जब कि वह खड़ा होना नहीं चाहते हैं और उनको जबर्दस्ती जोड़े-जोड़े बिठाया जाता है जैसे कि जो माननीय सदस्य जेल में रहे हैं वह जानते होंगे कि सी० क्लास के कैदियों के साथ किया जाता है और यह प्रक्रिया पूरी कराई जाती है और उनको जबर्दस्ती सुबह शाम परेड पर खड़ा किया जाता है। उनको जबर्दस्ती नंगा करके उनकी तलाशी ली जाती है। एक और राजबंदी बस्ती के श्री केशरी हैं। उनकी बीमारी में कोई दवा का प्रबंध नहीं किया गया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनको तनहाई कोठरी में डाल दिया गया और उनको ४० डंडे गिन कर रसीद किये गये। श्री प्रकाश चन्द्र पांडे ने जो बस्ती कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता हैं २ जून सन् ५२ को गृहमंत्री से लिखित प्रार्थना की थी लेकिन उस पर कोई ऐसी कार्यवाही नहीं हुई जिससे उन बंदियों को संतोष होता। इसी तरह से बस्ती जेल में कामरेड नीबर, जो एक किसान बन्दी हैं उनको लगातार ३ हफ्ते तक इस लिये मारा गया कि वह रोज सुबह शाम लाल झंडे का गाना गाते थे। उन्होंने जोड़े-जोड़े बैठने से इन्कार किया और इस सबकी शिकायत भी माननीय मंत्री जी के पास भेजी गई थी लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। सीतापुर जेल में प्रकाशचन्द्र पांडेय राजबन्दी रूप में बंद थे। उनकी रातदिन अड़गड़ा---खटखटाने के जरिये नींद हराम कर दी गई थी। इस चीज का उनकी ओर से पूरा विरोध किया गया तब भी वह चीज बंद नहीं की गई और बन्द उस वक्त हुई जब उन्होंने भूख हड़ताल और वस्त्र हड़ताल भी शुरू कर दी। इन श्री प्रकाश चन्द्र जी की रिहाई दस मई को होनी चाहिये थी लेकिन उनकी रिहाई १२ मई को दो दिन बाद की गई और वह भी बार-बार विरोध प्रदर्शन के बाद जब भूख हड़ताल की गई और कपड़े पहनना छोड़ा गया तब उनकी रिहाई की गई बनारस सेंट्रल जेल में कुल २२ कम्युनिस्ट राजबंदी हैं, और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा है। वहां एक १९ साल का लड़का शिव लोचन प्रसाद है जिस को अन्य लोगों के साथ चक्की की मशक्कत दी गई है। सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल जो चाहे सो अपने यहां करते हैं, हालांकि सरकार का एक ही कानून है लेकिन होता यह है कि एक जगह एक कानून है और दूसरी जगह दूसरा कानून। जेल मैनुअल तो सब जगह एक ही होना चाहिये और वही लागू होना चाहिये। जोड़े-जोड़े बिठाया जाता है और बैरकों में इस तरह के बंदियों को बन्द किया जाता है। इस तरह से सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल ज्यादती कर रहे हैं। और कैदियों को उनके जो हक हैं उनसे वंचित कर रहे हैं और जिनका संबंध विरोधी पार्टियों के साथ है उनकी वहां बुरी हालत की जाती है। बस्ती जिले के धवाय-धामपुर केस का जिक्र माननीय रामकुमार शास्त्री ने कल भवन में किया था

मैं इसके बारे में आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि धवाय-धामपुर के बंदियों को हम राजबंदी समझते हैं इसलिये कि आज संघर्ष का स्वरूप वही नहीं है जो १९४७ के पहले था। आज कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय पैमाने के ऊपर कोई जबर्दस्त उथल-पुथल होजाय, ऐसा भी संभव है कि राष्ट्रीय पैमाने पर किसी विषय को ले कर सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हो यह भी संभव हो सकता है। सब कुछ फेल हो जाने के बाद जनता न बरदाश्त करे तो उबल पड़े और एक भयानक विद्रोह हो जाय। लेकिन उसके पहिले लोकल और पार्शल स्ट्रगिल ही चलेगें और वे संघर्ष चलेंगे जिन का संबंध जनता की दैनिक कठिनाइयों से होगा, नित्यप्रति की परेशानियों से होगा। उन्हीं को ले कर तो आज देहातों में संघर्ष चल रहे हैं। वह उन वर्गों के बीच में है जो वर्ग कल तक समाज पर हावी था और उस वर्ग के साथ है जो आज हावी होना चाहता है। तो देहातों में राजनैतिक संघर्ष का स्वरूप वर्ग संघर्ष के रूप में है। वह वर्ग संघर्ष जो भूतपूर्व जमींदार थे, या भूस्वामी या सम्पत्ति स्वामी वर्ग है उसके और उन लोगों के बीच में, जो भूमि स्वामी या सम्पत्ति के साधनों से वंचित हैं उनके बीच में हो रहा है। तो धवाय-धामपुर का जो संघर्ष है वह निश्चित रूप से एक सामन्त और किसान संघर्ष है। वहां जो दो जमींदार जान से मारे गये वह बहुत ही अत्याचारी थे। उनसे उस देहात की जनता त्रस्त थी। वह दिल से चाहते थे कि अगर यह उठ जायं तो अच्छा होता। वह भगवान से मनायेंगे, मंदिर में जाकर पूजा करेंगे मन में बद्दुआ देंगे लेकिन स्वतः अपने आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन धीरे-धीरे चेतनता आती गयी। और वह मौका आया जब कि एक खेत के ऊपर संघर्ष हुआ और वह दो आदमी मारे गये। ऐसी हालत में जो उनके नेता थे जो वहां पर नहीं थे, आज उन को सजा हो चुकी है हाईकोर्ट से उनकी फांसी की सजा कालेपानी में बदल दी गयी है। लेकिन मैं साफ कहता हूं कि उनके नेता श्री राम मुहम्मद सिंह आजाद, जो आजाद हिन्द फौज में कैप्टेन रह चुके थे उनका उस केस से कोई संबंध नहीं था, वहां पर वह मौजूद भी नहीं थे। लेकिन चूंकि वह नेता थे.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि हाईकोर्ट के किसी फैसले के ऊपर आप आक्षेप न करें।

श्री झारखंडे राय—तो मैं समझता हूं कि वे मुलजिम निर्दोष रहे हैं। लेकिन आज वे भी राजबंदी नहीं माने गये उनके पुराने राजनैतिक जीवन को देखते हुये, आजाद हिन्द फौज में उनकी सेवाओं को देखते हुये उनके साथ उत्तम व्यवहार नहीं हो रहा है बल्कि वैसा ही व्यवहार हो रहा है जैसा कि किसी टीनियस क्राइम करने वाले कैदी के साथ होता है।

बस्ती जिले में छतहरा एक स्थान है, शोहरतगढ़ के पास जहां के कामरेड छब्बू जेल में बन्द हैं। वहीं के शीतल प्रसाद त्रिपाठी जी हैं। मैं समझता हूं कि बस्ती जिले से आये हुये माननीय सदस्य उनके नाम से परिचित हैं। वह कांग्रेस में जब थे तो जिला कांग्रेस कमेटी में भी सम्मानित पदों पर रह चुके हैं। लेकिन ४२ के बाद उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया और टी०बी० के मरीज हो कर जब वह फरार जिन्दगी बिता रहे थे तो उनके प्रति वारन्ट हटा लेने के लिये ११८ माननीय सदस्यों के दस्तखतों से एक मेमोरेंडेम भी माननीय गृहमंत्री की सेवा में दिया गया था। उन को टी०बी० है या नहीं वह आज बहस का विषय नहीं है। लेकिन कम से कम इतना तो साफ है कि उनके भूतपूर्व जीवन को देखते हुये और आज उन के वर्तमान जीवन को देखते हुये और इस बात को देखते हुये कि उन्होंने क्या सेवायें की हैं, सवा सौ के लगभग माननीय सदस्यों ने अपने दस्तखत से मेमोरेंडम दिया था। वह राजबंदी हैं। उन का एक निश्चित विचार धारा और जीवन दर्शन को लेकर चलने वाली पार्टी के साथ संबंध है। कम से कम वह तो राजबंदी हैं। लेकिन वह भी अन्य बंदियों के साथ उन्हीं की नाई जीवन बिता रहे हैं। दुक्खहरन नाम के एक बंदी सुल्तानपुर जेल में बन्द हैं। वह टी०बी०

[श्री झारखंडय राय]

के मरीज हैं और मेरा खयाल है कि बहुत जल्द ही खत्म हो जायेंगे । मैं तो इस विषय में माननीय गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि कम से कम टी० बी० के मर्ज को देखते हुये उनको छोड़ दें, नहीं तो एक कलंक का टीका कम्युनिस्ट नेता श्री आर०डी० भारद्वाज के मरने से लगा था, दूसरा यह भी लग जायगा । बलिया जिले के कुड़वा, मनियर सुल्तानपुर और छिछोर केसेज का जिक्र मैं विस्तार से नहीं करना चाहता । लेकिन इन केसेज से जो राजबंदी सजा पाकर जेलखाने में गये वे राजबंदी निश्चित रूप से थे । देश की ४ बड़ी राजनीतिक पार्टियों में कम्युनिस्ट पार्टी जिनको अपना सदस्य मानती है अपनी पार्टी से संबंधित व्यक्ति मानती है कम से कम उनको तो इस सरकार को राजबंदी मानने में एतराज नहीं होना चाहिये ।

गाजीपुर जिले के महुआरी केस के भगवान सिंह भी जेल में बन्द हैं.....

श्री अध्यक्ष—आप उदाहरण थोड़े से दे लें लेकिन विधेयक पर आ जायं ।

श्री झारखंडे राय—मैं एक बात और कह करके इस विषय को खत्म करूंगा कि गाजीपुर जिले के हुसपुर कोन्हिया गांव के किसान बंदियों के अलावा भगवान जिनके विषय में एक सवाल भी आ चुका है वह जब बनारस से बरेली सेंट्रल जेल ले जाये जा रहे थे तो उन्होंने जेल गेट पर इक्के की मांग की कि बेड़ी पड़ी हुई है, मैं इतनी दूर पैदल नहीं चल सकता हूं इसलिये इक्का मिलना चाहिये तो इस पर उनको जेलखाने के जेलर ए०पी० मुकुन्द जी ने पिटवाया और उसका नतीजा यह हुआ कि उनके सारे बदन में चोट लगी और दो दांत उनके हमेशा के लिये टूट गये ।

अध्यक्ष महोदय, इस तरीके के जो राजबंदी जेलखाने में हैं, और जो सोशलिस्ट पार्टी के सत्याग्रही राजबंदी हैं उनको भी वह बर्ताव नहीं मिलना चाहिये जो आज मिल रहा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने कल कम्युनिस्ट पार्टी के १९३०–३२ के आंदोलन के प्रति व्यवहार पर बोलते हुये कहा था कि कम्युनिस्टों ने देश के साथ विश्वासघात किया और आजादी की लड़ाई को आघात पहुंचाया । मैं मानता हूं कि ३० और ३२ के आंदोलनों में कम्युनिस्ट पार्टी की नीति गलत थी और प्रैक्टिकल मिस्टेक उन्होंने की, लेकिन मैं नहीं समझता माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय गृह मंत्री जी सन् १९४२ के आंदोलन का जिक्र करना सिर्फ भूल गये या जान बूझ कर छोड़ दिया ।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी नहीं, मैंने उसका नाम लिया था ।

श्री झारखंडे राय—तो सन् १९३०, ३२ और ४२ में कम्युनिस्ट पार्टी की जो गलती थी वह प्रैक्टिकल मिस्टेक थी और भटकाव था । लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या राजनीतिक पार्टियों के जीवन में गलतियां नहीं हुआ करतीं? क्या राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं की रण नीति, स्ट्रेटेजी और टैक्टिस हमेशा सही रहा करती है ? मैं पूछना चाहता हूं सन् ४५–४६ में युद्धोत्तर क्रांति की लपटें सारे देश में जब उठ रही थीं जब हिमालय से कन्याकुमारी तक देश मचला पड़ा था कि ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिशपूंजी को अंग्रेज नेशनल्स को यहां से मिटा देंगे, जब मजदूरों की बड़ी-बड़ी जंगी हड़तालें हो रही थीं, जब किसानों के संगठित विद्रोह फूट रहे थे, जबकि विद्रोह चरम सीमा पर पहुंच चुका था तो हिन्दोस्तान के जहाजी मल्लाहों ने उसमें भाग लिया और बम्बई, कराची, मद्रास में नाविक विद्रोह हो गया । अंग्रेजी हुकूमत चरचराने लगी । उस समय मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से कि क्या वे और उनके

साथी अंग्रेजी हुकूमत के साथ समझौता करने के लिये हाथ नहीं बढ़ा रहे थे और उस मौके पर जब कि एक कड़ा धक्का ब्रिटिश सरकार को देने की जरूरत थी, जब रावी के किनारे कांग्रेस के सत्र में जवाहरलाल जी के नेतृत्व में जो प्रतिज्ञा की गयी थी कि देश में अंग्रेजी हुकूमत को जड़मूल से निकाल कर बाहर करेंगे उस प्रतिज्ञा को अच्छी तरह से पूरा करने का मौका था, उस समय क्या कम्प्रोमाइज करने की जरूरत थी ? क्या उनसे यह समझौता करने की जरूरत थी कि अंग्रेजों की पूंजी देश में प्रचलित रहे ? और उनकी पेंशन इत्यादि की शर्तों को मान लेना, देश के बटवारे को मान लेना क्या जरूरी था ? तो मैं समझता हूं कि अगर विश्वासघात की बात न भी कही जाय तो कम से कम राजनीतिक मूल कहना तो उचित होगा । राजनीतिक मूल तो लोग जानते ही हैं कि हर राजनीतिक पार्टी और उसके बड़े-बड़े नेताओं के जीवन में हुआ करती हैं । राष्ट्रपिता महात्मा जी भी अगर हिमालियन ब्लंडर कर सकते थे और अनेक भूलें कर सकते थे, जो उन्होंने अपनी जीवन गाथा में स्वीकार की हैं, तो यदि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने जीवन में कोई व्यावहारिक मिस्टेक की और किसी आंदोलन के विरोध में कुछ कर डाला हो तो ऐसा तो हुआ ही करता है । मैं समझता हूं कि ऐसे मौके हर राजनीतिक आंदोलन और हर एक पार्टी के इतिहास में आया करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि हिन्दोस्तान के कम्युनिस्ट हिन्दोस्तान के हाथ पैर बांध कर किसी विदेशी ताकत के पैरों पर डालना चाहते हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिलकुल गलत बात है। हिन्दोस्तान के कम्युनिस्ट अगर रूस की या चीन की प्रसंशा करते हैं तो इस लिये नहीं कि रूस और चीन से उनको इस नाते मुहब्बत है कि रूस और चीन में कोई विशेष बात है सिवाय इसके कि रूस और चीन में वह स्वप्न पूरा हो रहा है और पूरे होने के रास्ते पर वह लोग बहुत दूर तक बढ़ चुके हैं, और हिन्दोस्तान के कम्युनिस्ट उस स्वप्न को चरितार्थ करना चाहते हैं। जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था, जिस तरह की आर्थिक प्रणाली हम हिन्दोस्तान में कायम करना चाहते हैं वह वहां कायम हो चुकी है। यह हमारे मुल्क का दुर्भाग्य कहा जा सकता है या दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि रूस का सौभाग्य है कि पहली समाजवादी क्रांति वहीं पर हुई सन् १९१७ में, और हिन्दोस्तान में नहीं हुई। तो जिस रास्ते पर वे लोग बढ़ चुके हैं उस रास्ते पर हम बढ़ना चाहते हैं और उसी कम्युनिज्म के उसूल को हम अपने यहां अपने देश की परिस्थिति के अनुसार लागू करना चाहते हैं। एक उसूल जो हमें प्यारा है वह वहां लागू हो रहा है, इस लिये हम उनकी प्रशंसा करते हैं। हम ज़ार के रूस की प्रसंशा नहीं करते, हम च्यांगकाई शेक के चीन की प्रशंसा नहीं करते हम स्टालिन के रूस और माओत्से तुंग के चीन की ही प्रशंसा करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राधामोहन सिंह ने, जो बलिया से आये हैं, छिछोर केस का जिक्र किया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि छिछोर केस का जो फैसला हुआ है, उसने साफ-साफ बतला दिया है कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है । जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्धित थे वे सब छोड़ दिये गये । जिन लोगों ने पारिवारिक कटुता के कारण उस मामले में हिस्सा लिया था उनको सजायें हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय राधामोहन सिंह जी सर्यू पांडेय को कह सकते हैं कि वे क्रिमिनल हैं । सर्यू पांडेय गाजीपुर के जाने माने कार्यकर्ता हैं। उन्होंने सन् ३० से लेकर ४२ तक हर राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। सन् ४२ में उनको काले पानी की सजा हुई । करीब-करीब चार साल तक जेलखाने में रहे और सन् ४६ में कांग्रेसी मिनिस्ट्री के बनने पर रिहा किये गये। कामरेड जय बहादुर सिंह जो आजमगढ़ जिले के एक जाने माने नौजवान बहादुर कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय आंदोलनों में जबरदस्त हिस्सा ले चुके हैं उनको कैसे कहें कि वह क्रिमिनल हैं। यदि वे किसी ऐसे साधन के जरिये काम करते हैं जिस साधन से माननीय गृह मंत्री उनकी सरकार

[श्री झारखंडे राय]

या उनके ऐसा विचार रखने वाले सहमत नहीं हैं, इस कारण उनको क्रिमिनल मानना मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत चीज है और ऐसी सरकार के लिये जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों पर चलने का दावा करती है, जो अहिंसावादी है, उसके लिये और भी गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज मलाया में जो स्वातन्त्र्य संग्राम चल रहा है, जो वहां के नौजवान पिछले चार वर्षों से जूझ रहे हैं, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की मिली जुली बर्बरता के खिलाफ, क्या उनको राजबंदी नहीं माना जायगा? रास्ता अपनी-अपनी समझ का होता है और देश की परिस्थिति के अनुसार बदलता है। इस देश में सन् ५७ में जो विद्रोह हुआ, उसका रास्ता क्या अलग नहीं था। एक समय था जब कांग्रेस में इस देश के अंग्रेज वाइसराय की बीमारी से स्वस्थ होने के प्रस्ताव पास होते थे और उसी समय बहुत से हिन्दोस्तान के नौजवान कालेपानी में अपनी नौजवानी बिताया करते थे और अपने आजाद देश का स्वप्न देखा करते थे। उस समय वह रास्ता नहीं था, जो महात्मा गांधी का दिखलाया हुआ था। सन् १९४२ में जो रास्ता अपनाया गया वह नहीं था जो महात्मा गांधी ने दिखलाया था। इस लिये मैं समझता हूं साधन में मतभेद है, रास्ते में मतभेद है, परन्तु स्वार्थ एक है, मैं समझता हूं कि साधन में अन्तर होने के कारण किसी आदमी को क्रिमिनल मानना सर्वथा अनुचित है। वियतनामी डाक्टर होचो मिन्ह के नेतृत्व में फ्रांस के साम्राज्यवाद को चुनौती दे रहे हैं और करीब-करीब तीन चौथाई पर कब्जा कर चुके हैं, क्या वे राजबंदी नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पठानिस्तान हमारे ही देश का पहले हिस्सा था जो अब दूसरे मुल्क का हिस्सा हो गया है। वहां के बहादुर कबायली पाकिस्तान के खिलाफ़ लड़कर अपने को आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वे क्या राजबन्दी नहीं हैं? परन्तु आज पाकिस्तान की बर्बरता और जुल्मों के कारण फ्रंटीयर गांधी और खुदाई खिदमतगार तक राजबंदी नहीं माने जाते हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान के इतिहास में चार चांद जोड़ दिये थे। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारे इस प्रस्ताव को मान लें, जो एक जमाने में समाजवादी नेता रहे हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में रहे हैं और 'समाज' ऐसी महान् पुस्तकों के लेखक रहे हैं। वह इस बात को सोचें कि यह प्रस्ताव कहां तक सही है। इस प्रस्ताव को मैंने पेश किया है और मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव का दुर्भाग्य भी है और एक प्रकार से सौभाग्य भी है क्योंकि माननीय मंत्री जी और बहुत से सदस्यों की असली शकल क़लई उतर जाने के बाद हमारे सामने दिखलाई पड़ने लगी है। लेकिन मैं तो कहना चाहूंगा कि वे सोचें और गौर करें इस प्रस्ताव की बुनियाद पर, और इसकी इंट्रिन्सिक वैल्यू को सोचें कि आया वह बिल उन को मान लेना चाहिये या नहीं। जैसा माननीय राजनारायण जी ने मेरे प्रस्ताव में संशोधन दिया है कि "सर्व-मान्य" के बाद "ग़ैरसाम्प्रदायिक तथा जनतंत्रवादी" शब्द जोड़ दिये जावें, तो मैं कहता हूं कि गृह मंत्री जी यह जोड़ दें कि "ग़ैरकम्युनिस्ट" और मैं मानने के लिये तैयार हूं। मेरी चुनौती है कि वह इसे स्वीकार कर लें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि 'समाजवाद' के लेखक माननीय सम्पूर्णानन्द जी इस बात को जानते हैं कि मार्क्स ने लिखा है कि जो राज्य तथा समाज व्यवस्था पशुबल पर आधारित होता है उसका परिवर्तन भी उसी प्रकार के पशुबल से सम्भव होता है। माननीय मंत्री जी ने 'व्यक्ति और राज्य' में दिखलाया है, उसमें मैंने देखा कि वह मार्क्सवाद के पूरे दर्शन को मानते हैं। इस पुस्तिका को पढ़ने का सौभाग्य मुझे आगरा जेल में सन् ४० में हुआ था। जहां तक डायलेक्टिकल प्रोसेस का प्रश्न है उसे वे मानते हैं लेकिन एक तत्व जिसे मार्क्सवादी मैटर कहते हैं वह इस मूल सत्ता को चेतन मानते हैं और कहते हैं, वह अचेतन नहीं है। सिवाय इसके वह पूरा मार्क्सवाद सब मानते हैं। मुझे तो उस समय ऐसा लगा था कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी मेरे मन की बात उस में लिख रहे हैं क्योंकि मैं भी उस समय आस्तिक था। अब तो नास्तिक

हो गया हूं। वह इस बात को मानते हैं कि जो राजसत्ता पुलिस, फौज, जेल और कचहरी पर आधारित है उसे बदलने के लिये संगठित फ़ोर्स की जरूरत मार्क्स ने लिखी है और वह भी इसलिये कि एक आखरी स्टेज पर जाकर शक्ति प्रयोग अनिवार्य हो जाता है और मार्क्स उसे उस रूप में मानते थे। मैं भी केवल उसी रूप में मानता हूं और हमारी पार्टी भी मानती है और हर वह व्यक्ति जो समाजवाद और साम्यवाद में विश्वास करता है, वह मानता है। समाजवाद और साम्यवाद में कोई फ़र्क़ नहीं है। एक पहली सीढ़ी है। और दूसरी दूसरी सीढ़ी है। माननीय परिपूर्णानन्द जी की इन दोनों को अलग अलग करने की चेष्टा कुचेष्टा है।

माननीय अध्यक्ष, जनता और जनतंत्र का भी प्रश्न उठाया गया कि वे क्या हैं। मैंने कल भी बतलाने की कोशिश की और मैं उसे फिर कहना चाहता हूं कि जनता हमारे देश में टाटा और बिरला नहीं है। वे लोग जिन्होंने राजनैतिक आन्दोलन में ग़द्दारी की है उनको हम जनता नहीं कह सकते। जिन लोगों ने अंग्रजों से मिल कर हिन्दुस्तान की जनता का शोषण किया है और उनको यहां बनाये रखने में हर तरह की कोशिश की है, उन को हम जनता नहीं मान सकते। हम साफ़ कहना चाहते हैं कि हमारी समझ में जितना हिन्दुस्तान के मजदूर किसान और मध्यम वर्ग वाले हैं। चाहे वह खेतिहर मजदूर हों, चाहे शहरी मजदूर हों, चाहे किसान हों.....

श्री अध्यक्ष--आप कृपा कर के दोहरायें नहीं क्योंकि इसमें बेकार समय जायेगा।

श्री झारखंडे राय--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, कल एक नैतिकता का प्रश्न भी उठाया गया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान के हत्यारों को पेंशन देना नैतिकता है। वह माउंट बेटेन जिसने मलाया में अनेक आज़ाद हिन्द फौज वालों को गोली से उड़वा दिया जिसका कोई रेकार्ड नहीं। वह माउन्ट बेटेन जिसने सुभाष बोस के द्वारा बनाये गये शहीद स्टेचू को सिंगापुर में डायनामाइट से उड़वा दिया, वही माउंट बेटेन जो अन्तिम समय हिन्दुस्तान को बांटकर गया और जाते जाते साजिश कर के अंग्रेजों के जरिये हजारों हथियार पंजाब में बांटे जिसके कारण हिन्दुओं ने मुसलमानों का और मुसलमानों ने हिन्दुओं का क़त्ले आम किया था और खून की नदियां बही थीं। वही माउन्ट बेटेन जिसके कारण हिन्दुस्तान के माथे पर अमिट कलंक लग गया है। ऐसे हत्यारे की माननीय मंत्री जी भले ही विदाई में आंसू बहायें लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसकी केवल कल्पना करके हमारी आंखों में तो खून उतर आता है। मैं समझता हूं कि १९४२ के बलिया और गाजीपुर के हत्यारे जिनमें हार्डी वुड, बैरेट, निदरसोल और हैलट वग़ैरह हैं उनको आप पेंशन दे सकते हैं। अगर हमारी सरकार होती तो वह तो ऐसा नहीं कर सकती थी। हम तो आप से आशा करते थे कि आप उनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करेंगे तो हमारी छाती ठंडी होती और उस जनता की छाती ठंडी होती जिन्होंने अपने दुधमुंहे बच्चों को संगीनों की नोक के सामने कर दिया था ऐसे लोग शायद सदन में बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष--विषयांतर हो रहा है। यह विषय नहीं है। आप कृपया विधेयक पर आ जायं।

श्री झारखंडे राय--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह नैतिकता का कोई प्रश्न नहीं है। यह तो राजनैतिक अपौरच्यूनिज्म, पोलिटिकल अपौरिच्यूनिज्म का सवाल है जो किया जाता है। हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने जैसा कहा है कि कांग्रेस ने अहिंसा के सिद्धांत को कभी भी सिद्धांत के रूप में, धार्मिकरूप में नहीं माना है। इसकी शिकायत राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी को भी हमेशा रही है। फिर ऐसे लोग कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई हिंसा करता है इसलिये वह राजबंदी नहीं है।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनकी सरकार हिन्सा पर आधारित है, क़दम क़दम पर वह लाठी चार्ज करवाती है, शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले लोगों पर झांसी में गोली चलवाती है, रोटी मांगने वाले निहत्थों को गोली से भून देती है, अध्यापकों को शान्ति से मरने भी नहीं देती है, गोरखपुर में मजदूरों पर गोलियां चलवाती है। यह गोलियां

[श्री झारखंडे राय]

हिन्सा की है या अहिन्सा की है। यह बात हिन्सा और अहिन्सा के नाम पर गृह मंत्री नहीं कह सकते हैं। हां, पूज्य गांधी जी कह सकते हैं। जो सरकार हिन्सा के ऊपर ही आधारित है और पुलिस, फौज, जेल और अदालत के जोर पर ही चल रही है और जो इस सदन में निहत्थे अध्यापकों की आवाज को भी दबा देती है वह हमसे यह नहीं कह सकती है, हां, गांधी जी कह सकते हैं। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, यही कहना चाहता हूं कि अध्यापकों के साथ न्याय होना चाहिये। रास्ता आप निकालेंगे या मैं निकालूंगा कि रुपया कहां से लायें। हमारे विरोधी पक्ष के नेता माननीय राजनारायण जी ने कहा था कि जो ३६ लाख रुपया अंग्रेजों को पेंशन के रूप में देते हैं, अगर उनको बन्द कर दिया जाय तो उसी से अध्यापकों की समस्या इस समय हल हो जायगी। अब रास्ता आप निकालिये, हम कहां से निकालें कि रुपया कहां से आएगा, उनकी तनख्वाह और भत्ता वगैरह बढ़ाने के लिये। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार शान्ति के साथ अध्यापकों को मरने भी नहीं देना चाहती है, सदन के सामने तो वह सरकार हमसे नहीं कह सकती है कि हम हिन्सक हैं। हां, महात्मा जी कह सकते हैं लेकिन आप नहीं कह सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा सदन का समय और लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप आपस में बातें न करें। आप मेरी तरफ मुखातिब हों।

श्री झारखंडे राय---माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने जो उस तरफ बैठते हैं यह भी सवाल उठाया और खासकर के माननीय रामनरेश जी शुक्ल ने, उन्होंने हमसे एक आश्वासन भी चाहा कि सोवियट रूस की जेलों में बन्दियों के साथ क्या व्यवहार होता है। मैं कहना चाहता हूं कि सोवियट यूनियन में आज कोई राजबन्दी नहीं है जो वहां की सरकार को उलटने में जेल गया हो। जितने लोग थे सन् १९३६ तक, वे गोली से ठंढे कर दिये गये। लेकिन आज जहां तक मैं जानता हूं सोवियट यूनियन की किसी जेल में कोई राजबन्दी, जो दावा करता हो कि हम राजबन्दी हैं, जो वहां की आज की सरकार के खिलाफ़ काम कर के एक नये प्रकार की सरकार क़ायम करना चाहता हो, ऐसा कोई राजबंदी नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल (ज़िला प्रतापगढ़)---मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अभी माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि सोवियट रूस में कोई भी क़ैदी राजबन्दी नाम का नहीं है तो क्या रूस में कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति जा कर इन बातों को देख सकता है?

श्री झारखंडे राय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था कि मेरी जानकारी में और मेरी समझ में सोवियट रूस की जेलों में कोई ऐसा आदमी नहीं है और माननीय रामनरेश जी शुक्ल को मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनको सोवियट यूनियन का विज़ा दिला दूंगा और वह वहां जा कर खुद देख सकते हैं कि वहां कोई राजबंदी है या नहीं और उसके साथ वहां क्या व्यवहार हो रहा है। मैं जहां तक जान पाया हूं वहां की पुस्तकें पढ़ने के बाद कि सोवियट यूनियन में जेलों में वहां के साधारण नागरिकों को जो बाहर अधिकार हैं उससे अधिक आराम दिया जाता है। सोवियट यूनियन और सोशलिस्ट सोवियट प्रणाली के अन्दर यदा-कदा लोग अपराध करते हैं जो एक बहुत बड़ा प्रश्न वहां की सरकार के लिये होता है। यहां चोरी लोग इसलिये करते हैं कि पेट पलता है, डकैती इसलिये करते हैं कि उनको वे साधन प्राप्त नहीं हैं जो अनेक लोगों को प्राप्त हैं। यहां तो बहुत से अपराध इसलिये होते हैं कि साम्पत्तिक संबंध इतना गड़बड़ है कि उसमें संघर्ष होना जरूरी है। अगर साम्पत्तिक संबंध बदल जायंगे और एक सोवियट सोशलिस्ट प्रणाली क़ायम हो जायगी तो ९९ फ़ीसदी अपराध तो अपने आप खत्म हो जायंगे। कुछ ऐसे लोग जिनकी आदत हो गयी है या कुछ ऐसे बिगड़े मस्तिष्क के लोग अपराध कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिये वहां साइकालोजिकल ट्रीटमेंट की पूरी रेफ़ारमेंटरी खुली हुई है जहां उनको रखा जाता है, और कोई मियाद नहीं, जब तक एक्सपर्ट्स का बोर्ड यह न कह दे कि अब फलां आदमी समाज में रहने लायक़ है तब तक उस को नहीं छोड़ते चाहे वह मामूली अपराध हो, चाहे बड़ा अपराध हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां हमारे एक बहुत प्रभावशाली वक्ता माननीय चन्द्रसिंह जी रावत ने भी दो बातें कहीं। एक तो उन्होंने साधन और साध्य की बात उठाई और दूसरे एक ऐसी बात कही जो मैं समझता हूं कि माननीय जवाहर लाल जी के पूरे सिद्धांत और आज की नीति के खिलाफ़ है। उन्होंने कहा कि बुरे साधन से एक अच्छे साध्य की प्राप्ति उचित नहीं है। मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूं कि यह प्रश्न बहुत दार्शनिक और बहुत विवादास्पद है। एक ऊंचे आदर्श और ऊंचे साध्य की प्राप्ति के लिये साधन कौन सा अपनाया जाता है वह एक बहसतलब विषय है कि जिस पर हमेशा दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने बहुत जोर दिया साधन के ऊपर, और इस बात को बारबार कहा कि अगर बुरे तरीक़े से अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति होती है तो हमें वह ग्राह्य नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि महात्मागांधी या यदा कदा बड़े महात्मा या ऋषि, मुनि ही ऐसा कह सकते हैं लेकिन हम साधारण प्राणी जो इस पृथ्वी पर रहते हैं वे इस नियम का हमेशा पालन नहीं कर सकते। दूसरी बात माननीय रावत ने सोवियट यूनियन के बारे में कही कि वहां पर इंसानियत को जलील किया गया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब महामानव मार्शल स्टालिन की मौत हुई तो हिन्दुस्तान के कोने कोने से प्रत्येक संस्था और पार्टी की ओर से शोक संवेदना के प्रस्ताव पास किये गये और वहां भेजे गये, उसमें से जितने मैंने पढ़े, कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी श्री अजय घोष के बयान को छोड़ कर, सब से सुन्दर और हृदय विदारक बयान पंडित जवाहर लाल नेहरू का था। लेकिन आज उसी शख्स के बारे में यहां कहा जाता है कि उसने इंसानियत को जलील किया।

मैं रूस के बारे में क़रीब-क़रीब एक साल से बराबर सुन रहा हूं लेकिन माननीय परिपूर्णानन्द जैसे विद्वान के मुंह से मैंने कभी भी, एक बार भी यह नहीं सुना कि अमेरिका में क्या हो रहा है। जब हमला किया गया सोवियट रूस और चीन पर किया गया। इसमें कभी भी दो रायें नहीं हो सकतीं कि अमेरिका की नीति से सोवियट रूस की नीति प्रगतिशील है ही, कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता लेकिन हमेशा दोनों की तुलना करना और एक के बारे में हमेशा कहते रहना तथा दूसरे के बारे में कभी कुछ न कहना यह किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता।

अगर आप जे० सी० कुमारप्पा और सुन्दर लाल जैसे गांधीवादियों के बयानों को देखें, पं० सुन्दरलाल के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने पोलिटिक्स से सन्यास ले लिया है और वे जो जी चाहे कुछ कह सकते हैं लेकिन जे०सी० कुमारप्पा तो बड़े भारी गांधीवादी माने जाते हैं, जहां तक मैंने उनकी बातों को सुना, पुस्तकों और लेखों में पढ़ा, उनके साथ बातें करके मैंने तो यही नतीजा निकाला कि इस प्रकार सोवियट रूस पर हमला करना और उसके बारे में ऐसी बातें करना कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता।

रामगढ़ की डकैती का जिक्र भी किया गया। उसका जवाब तो माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं ही दे दिया कि जो लोग पकड़े गये हैं उनका कम्युनिस्ट पार्टी से कोई संबंध नहीं है।

इसके अतिरिक्त एक बहुत ही सैद्धांतिक प्रश्न उठाया गया कि जो वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, उसके बानी मुबानी हैं, तरफदार हैं, वे जेलखाने में क्यों वर्ग नीति की बुनियाद रखना चाहते हैं। यही तो विरोधाभास है। आज की जो असलियत है, जो वास्तविकता है उसको कैसे भुलाया जा सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बातें कही जाती हैं। लोग यह भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बातें कहने से पूर्व राष्ट्रों की सीमाओं को तोड़ दो, हिमालय पहाड़ को ढाह दो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता? जो राष्ट्र की सभ्यता है, राष्ट्र की संस्कृति है, राष्ट्र की सीमाएं हैं, जो वस्तुस्थिति है, जो वास्तविकता है उसको तो मानना ही होगा। सोवियट यूनियन में आज तक एक राष्ट्र नहीं बन पाया। वहां पर १६ राष्ट्र अभी तक अलहदा अलहदा हैं और उनके अधिकार भी अलग अलग हैं। वहां तुर्कमान और कज्जाकिस्थान हैं, जिनकी भाषा, वेशभूषा तथा अपना निजी तौर तरीक़ा है। क्या कोई कह सकता है कि साइबेरिया और

[श्री झारखंडे राय]

मंगोलिया के जो नागरिक हैं वे उसी प्रकार से रहते हैं जिस प्रकार से एशिया में कम्युनिस्ट रहते हैं। इसलिये आज वहां की जो राष्ट्रीयता है, सीमायें हैं, संस्कृति हैं उनको मान कर हमको चलना होगा। हम सरकार को उलटना चाहते हैं लेकिन आज जो स्थिति है उसमें हमें राज्य-ढांचे में ही रह कर काम करना पड़ रहा है। अतः जो बहस की गयी है उसमें यथार्थवाद से आंखें मूंदने की कोशिश है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी प्रश्न उठाया गया और उसके सिलसिले में जो कुछ कहा गया उससे यह मालूम हो रहा था कि जो कुछ स्थिति हिन्दुस्तान में आयी, आज जो आजादी चाहे वह असली हो या नकली हो, वह केवल कांग्रेसवालों के प्रयत्नों से आयी। परन्तु मैं यह बात ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गलत समझता हूं। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई शुरू हुई उस दिन से जिस दिन से हिन्दुस्तान गुलाम हुआ। मीर कासिम, सिराजुद्दौला और नंदकुमार ने भी उसमें आरम्भ में भाग लिया। सन् ५७ की क्रांति हुई, उसके बाद और भी प्रयत्न किये गये, महात्मा गांधी ने भी इसमें अपना आन्दोलन चलाया और सन् २१,३०,३२,४१,४२ इन तमाम वर्षों में तरह तरह के आन्दोलन हुए, पोस्ट वार रेवोल्यूशन हुआ आजाद हिन्द फौज आन्दोलन हुआ इन तमाम पार्टियों ने जो आन्दोलन किया उसका नतीजा हुआ, वह आजादी जो यहां मिली हुई है। आज कांग्रेस की वह शकल नहीं रह गयी जो पिछले थी और मैं श्री राजनारायण जी से इस मामले में पूरी तरह से सहमत हूं कि उस वक्त जब कांग्रेस ने साम्राज्य विरोधी संयुक्त मोर्चा बनाया था तो उसमें कम्युनिस्ट भी शामिल थे, सोशलिस्ट भी शामिल थे और वे तमाम लोग शामिल थे जो कि आज कांग्रेस से अलग हैं।

एक सदस्य---कम्युनिस्ट नहीं शामिल थे।

श्री झारखंडे राय---सन् ३६ के बाद वे भी शामिल हो गये थे। वे सब शामिल थे जब कि आज कांग्रेस से अलग हैं। लेकिन आज कांग्रेस से सोशलिस्ट अलग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी अलग है, रेडिकल पार्टी भी अलग है और यहां तक कि आचार्य कृपलानी जैसे महान् गांधी-वादी भी उससे अलग हो गये। आज कांग्रेस एक स्वार्थ-विशेष वर्ग की पार्टी है। जो कांग्रेस पहले संयुक्त साम्राज्य विरोधी संस्था थी वह आज नहीं है। आज हिन्दुस्तान के जो थोड़े बहुत अधकचरे, भोंडे और स्वार्थी हैं वे ही उसमें हैं। यह आजादी सुभाष चन्द्र बोस की आई० एन० ए० की करामातों के फलस्वरूप भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, १८.....

श्री अध्यक्ष---आप अलग जा रहे हैं। आप कांग्रेस का इतिहास बतला रहे हैं। आप अपने को विधेयक तक ही सीमित रखें।

श्री झारखंडे राय---माननीय राम नरेश शुक्ल जी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्या सोवियट यूनियन में स्वतंत्रता है? सोवियट यूनियन में मरने की स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता की अपनी अपनी विचार धारायें हैं। यहां स्वतंत्रता है कि लोग भूखों मरते रहें, यहां स्वतंत्रता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता रहे, यहां स्वतंत्रता है कि एक तो बहुत ऐश की जिन्दगी बितावे और एक बहुत ही दरिद्र नारायण की तरह से रहे तो ऐसी आजादी सोवियट यूनियन में नहीं है। ऐसी आजादी जहां भोजन, वस्त्र और पढ़ाई लिखाई के लिये भी ठोकरें खाते फिरें ऐसी आजादी सोवियट यूनियन में नहीं है। यहां आजादी की बात एक और कही जाती है बोलने की। हमारे मुल्क में प्रधान मंत्री से लेकर नीचे तक के लोगों में यह मर्ज घर कर गया है। मार्शल स्टालिन और माओत्से तुंग तो यदाकदा कहीं एक बार बोलते हैं। लेकिन हमारे यहां एक ऐसी परिपाटी सी चल पड़ी है जिसके हम सभी मरीज हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं कि एक आदमी ईमानदारी से सुबह से बराबर श्रम करता है और उसका उसे फल मिले और उससे वह अपनी जरूरियात की चीजों को पूरा करता रहे? तो उसे बोलने की क्या जरूरत

है अधिकांश लोग कहते हैं कि वहां बोलने की आजादी नहीं है लेकिन जो लोग भी सोवियट यूनियन से लौटकर आये हैं, और ऐसे व्यक्ति लौट कर आये हैं जो कम्युनिस्ट नहीं हैं बल्कि कम्युनिस्ट नाम से भी दूर भागते हैं,उनके बयानात और लेखों को मैंने पढ़ा है और उनसे मिल कर भी उनकी बातें समझी हैं उनसे मालूम हुआ है कि ये सारी बातें भ्रामक हैं, सारी धारायें ग़लत हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वहां के संबंध में कोई ग़लत धारणा न रखें।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य अभी कुछ देर और बोलेंगे ?

श्री झारखंडे राय---मैं ५ मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष---सवा दो बज रहे हैं। अच्छा हो कि आप दो तीन मिनट में खत्म कर दें।

श्री झारखंडे राय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बतला रहा था कि इन तमाम बातों को आप के समक्ष रखने का मेरा मतलब इतना ही था कि यह विधेयक कम्युनिस्ट विधेयक नहीं है। यह विधेयक इसलिये नहीं लाया गया है कि कुछ कम्युनिस्ट जो जेलखाने में हैं उनको कुछ सहूलियतें मिलें बल्कि तमाम राजबंदियों के लिये पेश किया गया था अगर कभी यह सरकार बदल जाय और उन सरकारी सीट्स पर बैठने वाले जेलखाने जायं तो उनके लिये भी यह लागू होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री और तमाम माननीय सदस्य जो इस प्रस्ताव के विरोधी हैं, उनसे मेरी अपील है कि इस पर वे फिर से विचार करें और मेरी उस चुनौती को ध्यान में रख कर अर्थात् "गैर कम्युनिस्ट" शब्द जोड़ कर, इस प्रस्ताव को मान लें तो उसे मैं भी मान लूंगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के संबंध में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता यों नहीं है कि अधिकांश माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये हैं उनसे माननीय झारखंडे राय जी के तर्कों का पर्याप्त रूप से खंडन हो जाता है। फिर भी दो चार बातें मैं निवेदन करना चाहता हूं। झारखंडे राय जी को इस बात की शिकायत है कि अक्सर माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव की मैरिट्स पर, इसके गुण-दोष पर विचार न करके व्यर्थ में कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में विचार करना शुरू कर दिया और उन्होंने मेरी बाबत भी यह शिकायत की है कि मैंने इस वादविवाद को एक विशेष दिशा की ओर कैनेलाइज़ कर दिया। यह उन्हीं का शब्द है। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में विचार किया उनका विचार करना सर्वथा उचित ही था। कोई भी कानून हो वह वैकुअम में, हवा नहीं बना करता। जो भी कानून बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं उनको तो यह सोचना ही होगा कि देश, काल और पात्र कौन सा है। किसके लिये कानून बन रहा है। यह कानून किसके ऊपर लागू होगा। इस कानून से किसको अधिक फायदा पहुंचने की संभावना है और उसको यह तो सोचना ही होगा कि जिसको इससे फायदा पहुंचने वाला है उसको फायदा पहुंचना उचित है या अनुचित है। जो भी समाजसेवी रहा है उसको यह तो सोचना ही होगा। ऐसी दशा में माननीय सदस्यों ने जो विचार किया और जिन माननीय सदस्यों की समझ में यह बात आयी कि इस कानून से अधिकतर कम्युनिस्ट लोगों को ही फायदा पहुंचने की सम्भावना है और जिन लोगों की समझ में यह बात आयी कि इस समय जो कम्युनिस्टों का रवैया है उसको देखते हुए उस पार्टी को कोई खास प्रीमियम नहीं देना है तो उन लोगों ने जो किया वह उचित ही किया। और मैंने जो इस विवाद को कैनेलाइज़ किया तो मैंने भी उचित ही किया और माननीय सदस्यों ने भी मुनासिब बात की। यहां पर वायलेंस और नान-वायलेंस, हिंसा और अहिंसा के जितने सब रिफ्रेंस हुए वह अप्रासंगिक नहीं है। मैं इतना अवश्य यहां

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

कहना चाहता हूं कि यह तो राज्य शासन राजनीतिक फिलासिफी, पोलिटिकल फिलासिफी का एक बहुत बड़े महत्व का प्रश्न है। इस फिलासिफी को बहुत विस्तार के साथ विचार नहीं किया जा सकता परन्तु साथ ही मैं बहुत ही आवश्यक बात कह दूं कि आज से कई वर्ष पहले जब सम्पूर्णानन्द ने किन्हीं पुस्तकों को लिखा था और किन्हीं लेखों को लिखा था उस समय उनके जो विचार थे वही विचार आज भी उनके हैं और जहां तक मैं जानता हूं वही विचार उत्तर प्रदेश के गृहमंत्री के भी हैं। किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को जो गुलामी की अवस्था में पलाता है, जो अपने को शोषित पाता है इस बात का पूरा अधिकार है कि प्रत्येक साधन से जिससे सफलतापूर्वक अपने को छुड़ा सके उस गुलामी से छुड़ाने का यत्न करे। किसी दूसरे को डिक्टेट करने का यह कहने का अधिकार नहीं है कि तुम फलां साधन लो और फलां साधन से काम न लो। जिस समय अंग्रेजी सरकार से हमारी लड़ाई की बात थी हमें पूरा अख्तियार था कि वह अगर तलवार के जोर से भी काम लेकर अपने को बंधन से मुक्त करता तो वह उचित था, लेकिन यह महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व का असर समझिये, या हमारी परिस्थितियों का असर समझा जाय इस देश के बहुत बड़े शक्तिशाली जो राजनीति के पंडित रहे उन्होंने मुनासिब समझा कि अहिंसा से काम लो। यह हमारे चुनने की बात थी। जो हमारे विरोधी थे उनको कहने का हक नहीं था कि फलां तरीके से काम लो और फलां तरीके से काम न लो। यह बिलकुल स्पष्ट बात है कि और इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं और चूंकि हममें से बहुत से लोगों का यह ख्याल था इसलिये यही वजह थी कि जिस जमाने में हम कांग्रेस की अपनी अहिंसा वाली लड़ाई लड़ रहे थे उस जमाने में भी ऐसे लोग भी थे जो उसके विरुद्ध हिंसा वाले रास्ते को चाहते थे और उस पर चल रहे थे। लेकिन उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई बल्कि यों कहिये कि उनके साथ हमारा सहानुभूति का बर्ताव था। तो अपने रास्ते पर चलते हुए और यह जानते हुए कि वह लोग हिंसा के रास्ते पर चलते हैं जहां तक बन पड़ा हम से हमने उन लोगों की सेवा भी की। अब झारखंडे राय जी का जिस पार्टी से संबंध है उस पार्टी के बड़े नेता उनको बतला सकेंगे कि बनारस ही में मेरे जैसे तुच्छ आदमी तक को मौका मिला है कि हम ने अपने को खतरे में डाल कर भी उनके साथियों से मिलने का मौका उन को दिया है और हम समझते हैं कि हम ने इस में कोई अहसान नहीं किया और न यह कोई हमारा कम्युनिस्ट पार्टी पर अहसान था और हम इस को अपना कर्त्तव्य समझते थे और हम ने कभी कोशिश नहीं की कि जो पार्टी या जो लोग अपने किसी रास्ते पर चलते हैं उनको उस से हटा कर अपने रास्ते पर चलाया जाय हम इतने बड़े महात्मा कोई नहीं थे। हम अहिंसा द्वारा अपने को आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन जो कोई दूसरे रास्ते को अपनाते थे उन से भी हमारी कोई शिकायत नहीं थी, न हम ने कभी किसी की निन्दा की और न किसी को एक्सपोज ही किया। यह तरीका तो कम्युनिस्ट पार्टी ने सन् ४२ में अपने हाथ में लिया कि देश भक्तों को और मुल्क का काम करने वालों को बदनाम करना शुरू किया। लेकिन हम ने वही तरीका इस्तेमाल किया कि जिस से हम अपने शोषित देश को गुलामी से मुक्त कर सकें और उसी तरीके से हम ने काम लिया। यह तो एक बात हुई।

इस के साथ ही एक दूसरी बात आती है कि देश के स्वाधीन होने के बाद क्या होना चाहिये। जो बात एक राज्य के लिये है वही एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के लिये भी है। इस संबंध में कि जन साधारण का सुधार हो और अन्याय और शोषण का विरोध हो, इसके लिये जो अधिकार एक व्यक्ति के हैं वही व्यक्तिसमूह या राज्य के भी हैं कि अन्याय शोषण और जुल्म का मुकाबिला अहिंसा से करें और अगर नहीं हो सकता है तो हिंसा से करें और जैसा कि महात्मा जी से भी कहा है कि कायरता से तो हिंसा लाख दर्जे अच्छी है परन्तु एक बहुत बड़ा "परन्तु" यहां पर आता है और वह यह है कि जिन देशों में लोकतंत्र शासन होता है या लोकतंत्र प्रणाली चलती है वहां पर यह बात

मान ली गई है, और बिना इसके वहां का काम भी नहीं चल सकता कि यद्यपि सिद्धांत रूप से, थ्योरी में व्यक्ति या व्यक्तिसमूह को इस बात का अधिकार है कि किस चीज को वह अन्याय समझता है और उस को ठीक करने का अगर कोई उपाय समझ में नहीं आता है तो हिंसा से काम लिया जा सकता है लेकिन ब्योहार में उससे काम नहीं लिया जाता और यह अधिकार केवल लेटेन्ट या प्रसुप्त ही रहता है, कोई इस का प्रयोग नहीं करता क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था में गवर्नमेंट को बदलने का तरीका मौजूद है वैसे भी और समझाकर बुझाकर भी हम राज्य को उसकी नीति में बदल सकते हैं और अगर उस से भी काम न चले तो ४-५ साल में तो हर जगह गवर्नमेंट बदलती ही है और लोगों को समझाकर अल्पमत से बहुमत बनाया जा सकता है और लोग भी समझ सकते हैं कि अल्पमत वाले ठीक हैं और फिर वही बहुमत में आ सकते हैं, यह भी हो सकता है कि सारी दुनियां गलत हो और एक आदमी ठीक हो ऐसे भी उदाहरण हुए हैं। इसलिये ठीक तरीका यही है कि अल्पमत को बहुमत को मिलाने की कोशिश करना चाहिये और अगर वह इस में भी समर्थ न हों तो उन को समझ लेना चाहिये कि उन की बात लोग अभी ठीक नहीं समझ रहे हैं और यह अच्छा है बनिस्बत इस के कि समाज में उथलपुथल की जाय क्योंकि हम स्वयं नहीं समझ सकते कि हम जो निर्णय कर रहे हैं वह ठीक है या नहीं, हर बात के निर्णायक हम स्वयं ही नहीं हो सकते और प्रत्येक आदमी इस का निर्णय करने लगे तब तो समाज विच्छिन्न हो जायगा। इसलिये यह ऐसे अधिकार हैं कि जो केवल थ्योरी में ही हैं और जो प्रसुप्त रहते हैं, लेटेन्ट रहते हैं उनको अमल में नहीं लाया जाता है। आप रूस की ही शासन प्रणाली को ले लें और वही नहीं बल्कि दुनियां में हर जगह मजदूरों को यह जन्मसिद्ध अधिकार दिया गया है कि "राइट टु स्ट्राइक" उस को हासिल है और रूस के मजदूरों को भी हड़ताल करने का हक़ है लेकिन वहां भी मजदूरों के इस अधिकार को व्यवहार में प्रसुप्त या लेटेन्ट ही रखा गया है। वैसे वह मजदूर का हक़ है और उस को सब जगह मिला हुआ है तब लेकिन समाज का हित इसी में है कि वह उस का अधिकार रहे लेकिन उस का प्रयोग न हो और वह अधिकार प्रसुप्त केवल थ्योरी ही में रहे तो जहां लोकतंत्र होता है वहां यही बात होती है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी इस बात को नहीं मानती है।

एक बात कल ही माननीय झारखंडे राय जी ने कही उसके लिये हम बहुत ही कृतज्ञ हैं। और वह यह कि उन्होंने कहा कि सन् १९४२ के आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी से गलती हो गयी। ठीक है यद्यपि वह गलती देश को बड़ी महंगी पड़ी। सन् १९३२ से लेकर जब से कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, तब से १९४२ तक एक दो तीन चार बार इतने दिन तक नहीं समझे और फिर भी भूल हो तो फिर कोई भूल नहीं कह सकता।

झारखंडे राय जी ने एक बात बहुत सुन्दर कही, उनकी बात से मैं यह समझा, यदि मैं उसे ठीक समझा हूं कि कम्युनिस्टों ने उस गलती का प्रायश्चित करने का निश्चय किया है। अगर मैं ठीक समझा हूं तो कम्युनिस्ट पार्टी आदर की पात्र हो जायगी। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया है कि जिन लोगों ने विदेशी शासन को मदद किया उनको आगे चलकर वोट नहीं मिलेंगे। तो १९४२ में जितनी मदद कम्युनिस्टों ने की उतनी मदद किसी ने नहीं की। सन् १९३२ से लेकर १९४२ तक किसी ने उतनी मदद नहीं की। १९४२ में पूंजीपतियों ने अरबों रुपया कमाया। उनके घर में सोना बरसा। कांग्रेस वाले और सोशलिस्ट जेल में थे। कम्युनिस्ट पार्टी बाहर थी। लेकिन उन्होंने कहीं भी किसी जगह मजदूरों को हड़ताल करने नहीं दिया, क्योंकि पिपुल्स वार थी। इससे बढ़ कर एक्सप्लायटर्स की क्या मदद हो सकती है। अगर मैं झारखंडे राय जी का ठीक मतलब समझा हूं तो देश में कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य आया तो कम्युनिस्ट लोगों को एक भी वोट नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने विदेशियों और एक्सप्लायटर्स की मदद की है। अगर मैं ठीक समझा हूं तो यह बहुत सुन्दर प्रायश्चित है और जरूर कम्युनिस्ट पार्टी एक आदर का पात्र हो जाती है।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

तो जैसा कि मैंने कहा थ्योरिटिकल तरीके पर तो हर समुदाय को अधिकार है कि अन्याय के विरुद्ध लड़े। लेकिन जहां डेमोक्रेसी हो वहां इस अधिकार को काम में नहीं लाना चाहिये, ऐसा माना जाता है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी इसको नहीं मानती। कम्युनिस्ट पार्टी का सिद्धांत यह है कि जल्दी से जल्दी वायलेंस से काम लेना चाहिये। इसलिये उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं। वह इस बात को समझते हैं और मैं भी इस बात को मानता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी कदापि इस बात का भरोसा कर ही नहीं सकती कि इस देश में कभी वह बहुमत में आयेगी, इस देश के लोगों को कभी समझा सकेगी, अपनी बात मनवा सकेगी। इतना आत्मविश्वास उनको है ही नहीं। वह कभी विश्वास नहीं करते कि वह अल्पमत से बहुमत में आयेंगे। इसलिये वह समझते हैं कि हमारा कोई दूसरा रास्ता रह ही नहीं जाता है सिवाय इसके कि वायलेंस से काम लें।

कल श्री रामकुमार शास्त्री ने बस्ती के एक केस का जिक्र किया था। शायद उनका नाम राम मुहम्मद सिंह और अब मसीही हो गये हैं। तो उनका नाम राम मुहम्मद सिंह मसीही हो गया है। हमारे झारखंडेराय जी उसको पोलिटिकल मानते हैं। दो काश्तकारों में कोई बात हो जाय। एक काश्तकार समझे कि मेरी बात अदालत में कोई सुनता नहीं और दूसरे काश्तकार को मार दे। एक जमींदार और एक काश्तकार में झगड़ा हो सकता है, भाई भाई के अन्दर झगड़ा हो सकता है। तो अगर यह रास्ता खुल जाय कि वह समझे कि मेरे लिये यह बात असह्य हो गयी है इसलिये वायलेंस से काम लेना चाहिये, अगर यह बात चल जायेगी तो यह देश और समाज को छिन्न करके छोड़ देगी। हमारा और कम्युनिस्ट पार्टी का यही झगड़ा है। उनके लिये वायलेंस के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। थ्योरी में जो कुछ भी हो। हम भी जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी भी पसंद करेगी कि बिना वायलेंस के काम चल जाय। लेकिन वह यह विश्वास ही नहीं करती है कि वह कभी बहुमत में आ सकेगी, इसलिये जितनी जल्दी हो सके सैबोटेज किया जाय, वायलेंस किया जाय, हर तरह से मजबूर करके, तंग करके, जबरदस्ती लोगों को दबा दिया जाय। यही उनके लिये रास्ता है इस रास्ते को हम कदापि पसंद नहीं कर सकते। देश स्वाधीन हुआ, इस स्वाधीनता के बाद हमारे पास मौका है कि हम अपने समाज को अपने ढंग से चलायें, हम उस स्वाधीनता को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, जब तक इस देश के अन्दर इस समाज के अन्दर शक्ति है तबतक समाज ऐसे लोगों को कदापि प्रश्रय देने को तैयार नहीं होगा।

बाजी बातें कुछ विलक्षण ढंग की गयीं, जो ठीक ठीक समझ में नहीं आई। उदाहरण के लिये कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आज कांग्रेस ने वायलेंस को अपना लिया। मैं नहीं समझा कि इसका क्या मतलब है। महाभारत में कहीं कहीं कूट श्लोक आये हैं और शुकोक्त सागर में कूट छंद आते हैं जिनका मतलब नहीं समझा जा सकता तो इसी प्रकार उनका मतलब भी समझ में नहीं आया और खास करके जो पार्टी पावर में हो, इस पार्टी को वायलेंस करने की क्या जरूरत है यह समझ में नहीं आया। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट से मतलब है तो हम वायलेंस से काम लेते हैं, यह छिपाते नहीं और यह समझा जा सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि "व्हेन दि स्टेट विल विदर अवे।" जब ऐसा दिन आ जायेगा तो क्या कहना है। लेकिन जब तक ऐसा दिन नहीं आता है तब तक तो स्टेट रहेगी और गवर्नमेंट भी रहेगी जैसा कि रूस में है। स्टेट रहेगी तो गवर्नमेंट भी रहेगी और गवर्नमेंट के मानी कोई खास होते हैं। एक तो यह है कि स्टेट में जो सारी शक्ति है वह सब गवर्नमेंट में केन्द्रीभूत होती है, चाहे इसको कोई माने या न माने और जब शक्ति सब उसमें रहती है तो एक प्रकार से गवर्नमेंट "मोनोपोली आफ वायलेंस" रखती है। यह छिपी हुई बात नहीं है। अगर समाज में कोने कोने में, नगर नगर में, गली गली में, घर घर में वायलेंस रोकना हो तो उसका तरीका यह है कि गवर्नमेंट के पास शक्ति केन्द्रित होनी चाहिये। फौज गवर्नमेंट के पास हो, पुलिस गवर्नमेंट के पास हो,

बंदूक चलाना बुरा भले ही हो लेकिन वह सब गवर्नमेंट के पास रहे और हिन्दुस्तान में स्टेट तो विदर अब नहीं करेगी तो स्टेट रहेगी तो गवर्नमेंट रहेगी तो फिर उसके लिये मोनोपोली आफ वायलेंस ठीक है। हम जब गवर्नमेंट में हैं, तो हमारी इच्छा हो या न हो लेकिन हमें बंदूक चलाने और लाठी चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है और जेलखाने भेजने की जरूरत भी पड़ सकती है। कांग्रेस की गवर्नमेंट या किसी पार्टी की गवर्नमेंट हो यह चीज जरूर रहेगी। लेकिन एक बात मैं अवश्य बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस वायलेंस से उतनी ही दूर है जितनी कि पहले थी जबकि कांग्रेस कांग्रेस थी और कांग्रेस पार्टी नहीं हुई थी। उस वक्त जितनी दूर वह वायलेंस से थी, उतनी ही दूर है। लेकिन जहां कांग्रेस गवर्नमेंट का प्रश्न आता है तो हम जरूर वायलेंस की बात करते हैं।

एक बात का जिक्र किया गया कि यह बिलकुल गलत बात है, समझने की भूल है कि कांग्रेस ने स्वाधीनता दिलाई। श्री झारखंडे राय ने कहा है कि यह तो एक हिस्टोरिकल प्रोसेस था और वह प्रोसेस तभी शुरू हुआ जबकि हिन्दोस्तान गुलाम हुआ। तो यह ठीक है थीसिस के साथ एंटी थीसिस हो गयी होगी और कहीं कहीं उसके बीज आ गये होंगे। लेकिन कांग्रेस हिन्दुस्तान को स्वाधीनता दिलायी यह उतना ही सही है जितना कि यह कहना सही है कि रूस में जब जारशाही के विरुद्ध क्रांति हुई तो उसका श्रेय लेनिन और बोलशेविक पार्टी को था। यह हो सकता है कि जारशाही के जमाने में ही रेवोल्यूशन का बीज पैदा हो गया हो लेकिन उसका फाइनल प्रोसेस जो है वह बोल्शेविक पार्टी और लेनिन के हाथ से हुआ और उसका श्रेय उन्हीं को है जो उन्होंने वहां एक नया आर्डर कायम किया। इसी तरह से हिन्दुस्तान को स्वाधीनता दिलाने का श्रेय कांग्रेस को है, इसमें रत्ती भर संदेह की बात नहीं है।

बार बार यहां पर अध्यापकों के आंदोलन का जिक्र हुआ। वह अच्छा है या बुरा है उसके सिलसिले में कुछ नहीं कहता, हां एक सिनिस्टर बात जरूर कहता हूं कि अपने भाषण में श्री झारखंडे राय ने जब वह इस प्रकार की मिसाल दे रहे थे कि जब लोगों के लिये चीज असह्य हो जाती है, तो क्या करें जब कोई और तरीका न हो? तो ऐसी कई मिसालें दीं। उन्होंने ज्यादतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के एक केस में जमींदारों ने जाकर गांव लूट लिया, कुछ औरतों को बेइज्जती की और जब उस वाकये की रिपोर्ट की गयी तो सुनवाई नहीं की गई। मेरे पास उन्होंने खत भेजा था और उस खत से यह मतलब निकलता था कि श्री झारखंडे राय जी ने ये बातें प्रत्यक्ष देखी हैं, जैसे उन्हीं के सामने गांव लूटा गया और स्त्रियों की बेइज्जती की गयी। लेकिन यह वाकया नहीं था। वह तो उसके बाद पहुंचे। मैं ज्यादा आजादी के साथ तो उस मामले के बारे में यहां नहीं कह सकता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जहां तक औरतों की बेइज्जती की बात है, मुझे जमींदारों की वकालत करने की जरूरत नहीं और न मैं यह कहता हूं कि सभी जमींदार अच्छे होते हैं या खराब होते हैं, लेकिन उस मामले की जांच हुई और उन औरतों की शिकायत न होते हुए भी मेडिकल जांच कराई गयी और वह शिकायत झूठी पायी गयी। अगर कोई बुरा काम करे तो उसकी बुराई होनी चाहिये। लेकिन उसको इस तरह एग्जेरेट करके पेश करने से किसी का फायदा नहीं होता और जब तक पूरी जांच ऐसे मामलों की न हो, इस तरह से कोई चीज कह देना उससे किसी को कोई फायदा नहीं हो सकता। तो मैं यह कह रहा था कि श्री झारखंडे राय जी ने इस बात का जिक्र किया था कि जब असह्य हो जाता है तो लोग क्या करें, उसी में उन्होंने अध्यापकों का जिक्र किया कि अध्यापक हैं उन्होंने दरख्वास्त मिनिस्टर के पास भेजी, मिनिस्टर से मिले, अब सत्याग्रह कर रहे हैं,

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

उसके बाद वे चुप रह गये । इसका मतलब यह है कि वे अध्यापकों को उपदेश देते हैं कि तुम वाइलेंस करो और उनके इस बात के कोई माने नहीं होते जहां पर वे रुके । मैं यह बतला देना चाहता हूं कि चाहे कोई भी हो, जो गलत काम करेगा जो वाइलेंस से काम लेगा, उसको वाइलेंस के लिये तैयार रहना चाहिये । कोई गवर्नमेंट इसको बरदाश्त नहीं कर सकती कि कोई ग्रूप या कोई व्यक्ति गवर्नमेंट को तोड़ने की और समाज को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश करे ।

एक बात मैं और कहता हूं । बार-बार यह कहा गया कि चार आल इंडिया पार्टीज हैं, जिनमें जन संघ भी शामिल है, और जिनका एलेक्शन कमीशन ने जिक्र किया है। इनके अतिरिक्त हिन्दू महासभा है, रामराज्य परिषद् है, जो एलेक्शन कमीशन के हिसाब से स्टेट पार्टीज हैं। आज जन संघ की तरफ से जम्मू कश्मीर का आन्दोलन चल रहा है उसमें हिन्दू महासभा और राम राज्य परिषद् के लोग भी शरीक हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की उस आंदोलन के बाबत क्या नीति है मैं नहीं जानता । कम्युनिस्ट पार्टी का अवसरवादिता का व्यवहार होता है । अभी हाल में यहां किसी गांव के लोग आये थे जिनको गौ चराने की तकलीफ थी । मैंने सुना कि उनके साथ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग शरीक थे और हंसिया और हथौड़ा के साथ गौ माता भी विराजमान हो गयी थीं। कोई आंदोलन हो वे अवसर देख कर शरीक हो सकते हैं। जो कश्मीर का आंदोलन चल रहा है उसकी बाबत कम्युनिस्ट पार्टी की क्या नीति है और आगे क्या रहेगी। यह नहीं मालूम है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वाले यह नहीं चाहते हैं कि यह आंदोलन हो और उन्होंने इस तरह का न कोई प्रस्ताव पास किया है । एक चीज यह भी है कि हिन्दुस्तान में कम्युनिज्म के नाम पर, सोशलिज्म के नाम पर जो खड़े किये जा सकते हैं, उनकी संख्या कम है, लेकिन कम्युनिलिज्म के भाव बड़ी आसानी से इस देश में जगाये जा सकते हैं। यदि इस प्रकार का कानून पास कर दिया जायगा तब तो फिर लोग और आसामी से ऐसे आंदोलनों में शरीक होंगे क्योंकि फिर न तो बाहर कोई दिक्कत होगी और न भीतर कोई दिक्कत होगी। अध्यापकों का आंदोलन तो शायद पोलिटिकल नहीं है, लेकिन जो कश्मीर का आंदोलन है वह तो पोलिटिकल ही कहा जायगा क्योंकि वे कुछ ऐसी ही बातें कह रहे हैं कि कश्मीर का मर्जर होना चाहिये और क्या-क्या होना चाहिये। जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं वे कहां जा करके रुकेंगे मैं नहीं कह सकता । इन सब बातों को सोच करके मैं मजबूर हूं कि अपनी राय नहीं बदल सकता । हमारे मित्र माननीय उपाध्याय जी ने कहा था कि रेजोल्यूशन की मेरिट्स को देखना चाहिये और इस बात को भूल जाना चाहिये कि इसको झारखंडेराय जी ने मूव किया है और यह समझ लेना चाहिये कि इसको श्री रामनरेश शुक्ल जी ने मूव किया है। पहले तो मेरा यह विश्वास है कि रामनरेश जी ऐसा रेजोल्यूशन मूव नहीं करेंगे दूसरे वे मनुष्य हैं कुसंगत में पड़ करके मूव करते, तो मुझे मजबूर हो करके उनका विरोध करना पड़ता । मैं फिर इस प्रस्ताव का जिसको श्री झारखंडे राय जी ने रखा है, विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजबंदी विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१४

विपक्ष में—९८।)

कार्यक्रम में परिवर्तन करने का सुझाव

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य क्या सुझाव पेश करना चाहते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं चाहता हूं कि आज यह तीन प्रस्ताव पहला, दूसरा और तीसरा, यह ले लिये जायं। उनकी इजाजत दे दी जाय और वह आज पेश हो जायं और बाक़ी दूसरे दिन के लिये रख दिये जायं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—मैं इसका विरोध करता हूं। जैसा है वैसे ही रहना चाहिये।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि जो प्रस्ताव सदन में उपस्थित हो रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पर अधिक सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। इसलिये टाइम का बंधन विरोधी दल की ओर से आना, आश्चर्य की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह प्रक्रिया नियमावली के नियम ७४ में कुछ समय दिया है। इसलिये आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती कि समय नियुक्त किया जाय और साथ ही यह भी है कि यह तो असरकारी कार्यवाही चल रही है और इसमें बहुत से लोग बोलना चाहते हैं इसलिये इसके अनुसार ही मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि श्री राम नरेश जी शुक्ल इस बात को मान लेगें कि आज गैर सरकारी दिन है और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं.....

श्री नेकराम शर्मा—प्वाइंट आफ आर्डर सर, उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने किसी सदस्य का नाम पुकार लिया कि अपना भाषण आरम्भ करें तो यह डिस्कशन कैसे लागू हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—यह सही है कि मैंने प्रस्ताव के पेश करने की इजाजत दी थी लेकिन क्योंकि एक सुझाव आया था इसलिये सदन की सहूलियत के लिये ले लेना मुनासिब समझा। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। जहां तक बोलने की बात है तो वह तो हर प्रस्ताव पर आदमी बोल सकता है। दूसरे और तीसरे नम्बर के प्रस्ताव इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जिसके बारे में हमारे माननीय सदस्य ने प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया था, उन्होंने स्पीकर महोदय से संशोधन रखने की आज्ञा मांगी थी। शायद वह मोटी पोथी पढ़ कर अपने को परिपक्व अवस्था में ले आये होंगे। इसलिये हर प्रस्ताव के लिये एक घंटा या डेढ़ घंटा रख दिया जाय। इसमें मैं समझता हूं कि माननीय रामनरेश जी की सद्भावना की पूर्ति हो जायगी और लोगों को भी बोलने का मौक़ा मिल जायगा और अन्य जो महत्वपूर्ण विषय हैं वह भी समावेश हो जायंगे।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फ़ैजाबाद)—श्रीमन्, बाद में देख लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस समय कार्यवाही जारी रहे। अगर आवश्यकता होगी तो बाद में देखा जायगा।

कर्घा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प

श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करघा वालों की बदकिस्मती तो इस हाउस की इस बात से साबित हो रही है कि.....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव उपस्थित कर दें।

श्री बशीर अहमद हकीम—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि—इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में कर्घा उद्योग की उपयोगिता एवं महत्व को दृष्टि में रखते हुये यह आवश्यक है कि इस उद्योग को समुचित रक्षा प्रदान की जाय और प्रोत्साहन दिया जाये और इस हेतु एक कर्घा उद्योग संरक्षण समिति बनायी जाय, जो इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करे और जिसके निम्नलिखित सदस्य हों :

समिति

(१) कुटीर उद्योग मन्त्री (चेयरमैन)

(२) कुटीर उद्योग विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर (कर्घा उद्योग इंचार्ज) (सेक्रेटरी)

(३) चार सदस्य विधान सभा, एक सदस्य विधान परिषद् के उन, सदस्यों में से जिनको कर्घा उद्योग से पूर्ण स्नेह हो,

(४) दो सदस्य कर्घा संचालकों के प्रतिनिधि जो कर्घा उद्योग के अच्छे अनुभवी हों।

माननीय उपाध्यक्ष, यह कर्घा उद्योग वालों की बदक़िस्मती है कि यह विभाग जिनके हाथों में इस वक्त है वह इस सदन में मौजूद नहीं हैं। मैं इसके साथ-साथ यह भी अर्ज़ करूं कि ऐसा है फिर भी कुदरत इनका साथ दे रही है और वह इस तरह से कि जब ग़ैरसरकारी प्रस्तावों के लिये कि कौन पहले आये, कौन बाद में, कौन लिया जाय, कौन न लिया जाय, उसके लिये जब कार्यवाही की गयी तब यह कर्घा उद्योग का मसला पहले नम्बर पर आया। मुझे इन्तिहाई अफ़सोस के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारी सरकार, चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो, चाहे वह सूबों की सरकार हो, सबकी सब यह चाहती तो हैं कि कर्घा उद्योग की उन्नति हो, उसकी तरक्क़ी हो। लेकिन यह विभाग जिन लोगों के हाथों में दिया जाता है वह ग़ालिबन इस चीज़ को महसूस नहीं करते और न महसूस करने का कारण है। बरतानियां के ज़माने से हिन्दुस्तान के दिमाग़ को इस उद्योग के ख़िलाफ़ किया गया, इसकी ज़हनियत बिगाड़ी गयी न सिर्फ इसलिये बल्कि और उद्योगों के लिये भी ऐसा किया गया। कर्घा उद्योग के करने वालों को ज़लील समझा गया, चमड़ा बनाने वालों को ज़लील समझा गया, इसका प्रचार किया गया और हम लोगों पर उसका असर इतना पड़ा कि हमारे दिमाग़ यह सोचने लगे कि कर्घा उद्योग ज़लील काम है, चमड़ा बनाना, चमड़ा पकाना, चमड़ा निकालना ज़लील काम है। उसी दिमाग़ से हमने काम लिया और ऐसे लोगों को जो कर्घा लगाये हुए थे उनको ज़लील समझने लगे। आज वह हम सब का दिमाग़ इतनी जल्दी, सात साल के अन्दर बदल जायगा ऐसा नामुमकिन है। यह हो सकता है कि अब भी कुछ लोगों के दिमाग़ों में इस क़िस्म की बात हो। मैं अर्ज़ करूंगा कि यह कर्घा उद्योग इस यू० पी० का सब से बड़ा उद्योग है। एक ज़माना था जब कि हिन्दुस्तान की यह सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, इसका कपड़ा दूसरे मुमालिक में बड़े शौक़ से और बड़ी ख़्वाहिश से इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यहां अंग्रेज़ आया उसने जिस तरह हमको गुलाम बनाया, जिस तरह हमारे मुल्क पर क़ब्ज़ा किया वैसे ही यहां की सनअतों पर भी उसने क़ब्ज़ा करने की कोशिश की। उन्होंने इस क़िस्म की कहानियां मशहूर की और इस तरह से हमारा दिमाग़ गन्दा किया गया कि हम यह समझने लगे, और हम ही नहीं करघा का काम करने वाले भी यह समझने लगे कि कपड़ा बनाना ज़लील काम है, कपड़ा बनाने वालों से ताल्लुक़ रखना ज़लालत है। इसके साथ ही साथ अंग्रेजों ने क़ानून का भी सहारा लिया, कानून बनाये। कर्घा वालों को सजायें दीं। आज भी इस क़िस्म की चीज़ें हो रही हैं लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सन् ४५ में जब कि कंट्रोल का बड़ा ज़ोरशोर था हम लोगों ने मुख़ालिफत की थी और बावजूद इसके कि यहां सन् ४६ में एक कमेटी माननीय मुख्य मंत्री जी ने गुप्ता जी की चेयरमैनशिप में बनायी थी, उस वक्त गुप्ता जी यहां के पार्लियामेंटरी सेक्रेट्री थे। उनकी

जो रिपोर्ट आयी उसको हम लोगों ने मंजूर किया और उस पर अमलदरामद करने की कोशिश की। उस रिपोर्ट में यह था कि करघा वालों का संगठन कोआपरेटिव बेसिस पर किया जाय, ट्रेड यूनियन बेसिस पर न हो। उस वक्त हम कोआपरेटिव से नालां थे और ट्रेड यूनियन का सहारा ले रखा था। यह सन् ४५ –४६ की बात है। जब समिति ने यह फैसला किया तो हमने उसको मंजूर किया और कोआपरेटिव बेसिस पर अपना संगठन किया। कोआपरे-टिव बेसिस पर अपनी तंज़ीम की मगर तंज़ीम करने के बाद हस्र यह हुआ कि सिर्फ ६ ज़िले को जहां कोआपरेटिव बेसिस पर तंज़ीम की गयी सूत का कोटा दिया गया और बाक़ी तमाम सोसाइटीज़ को नजरअन्दाज़ कर दिया गया। न हमारी हुकूमत ने तवज्जह की, न इंडस्ट्री डिपा-र्टमेंट और न कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ने। इसके साथ ही साथ यह भी हुआ कि कोआपरेटिव रजिस्ट्रार की तरफ से एक सरक्यूलर जारी हुआ कि करघे वालों की कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को रजिस्टर न किया जाय। इसका नतीजा यह हुआ कि बीवर्स की सोसाइटीज़ बनना बंद हो गयीं। उन्हें न कोटा दिया गया और न सूत ही दिया गया और तरह तरह की पाबंदियां लगायी गयीं। हम दौड़े-दौड़े फिरे कि इस तरह की पाबंदियां न लगायी जायं, और जो लगायी गयीं हैं उनको हटा लिया जाय, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और वे पाबंदियां आज तक हैं। इसी बीच हैण्डलूम का शोबा कोआपरेटिव डिपार्टमेंट से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में चला गया। उनकी भी बाहम लागडाट हुई। यह भी चीज़ कुछ दिन चली कि इसको कोआ-परेटिव में रखा जाय या इंडस्ट्री के मुहकमे में रखा जाय। जब बहुत ज़ोर लगाया गया तब कहीं जाकर वीवर्स की कोआपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर होने लगीं। अगर हुकूमत ने कुछ भी ध्यान इसकी ओर दिया होता तो आज उसका एक बड़ा भारी संगठन होता।

आप यह भी ध्यान में रखें कि अगर इस सूबे का करघा उद्योग तरक्क़ी करता है तो आज यह मसला जो यह लाल टोपी वाले भी रखते हैं, सरमायादारी को ख़त्म करने का या बड़ी-बड़ी मिलों को क़ौमियाने का, वह अपने आप ही ख़त्म हो सकता है। जहां तक उसका ताल्लुक़ टैक्स्टाइल के शोबे से है, यह एक बहुत बड़ा क़दम हो सकता है क्यों कि यहां हमारे सूबे में कम से कम पौने तीन लाख हैंडलूम जो सन् ४६–४७ और ४८ में चालू थे लेकिन जब बे रोज़गारी बढ़ी कोई उसका पूछने वाला न रहा। अब तो मिल मालिकों को प्रोत्साहन मिल रहा है। आप यक़ीन कीजिये कि अगर ये ढाई पौने तीन लाख करघे चालू कर दिये जायं और उनको सूत उन दामों पर मिलने लगे जिन दामों पर मिलों को मिल जाता है तो यक़ीनन कपड़ा ज्यादा तैयार होने लगे और करघे भी बढ़ जायं। कितने अफ़सोस की बात है कि करघा उद्योग कैसे तरक़्क़ी करे। १५ फीसदी दाम तो मिलों से करघे वालों को ज्यादा अदा करने पड़ते हैं। करघे वालों को सेल्स टैक्स देना पड़ता है, मिलों में जो सूत स्पिनिंग डिपार्टमेंट से वीविंग डिपार्टमेंट को ट्रान्सफर होता है उस पर मिलों में सेल्स टैक्स लगाना चाहिये और उन पर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज़ लगाने चाहिये बजाय इसके करघे वालों पर लगाया जाय। सेल्स टैक्स और एड-मिनिस्ट्रेशन चार्जेज़ भी कर्घे वालों पर ही लगाये गये, रिटेलर और इम्पोर्टर को जो प्राफिट मिलता है उसका भार भी करघे वालों पर पड़ता है। नतीजा यह है कि १५ फीसदी दाम उनको मिलों के मुकाबले में सूत पर ज्यादा अदा करने पड़ते हैं। आप बताइये कि कर्घे वाले बाजार में कैसे मिल के बने कपड़े से मुकाबला कर सकते हैं और उस पर फिर सोने में सुहागा ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट आज भी चल रहा है। मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे इससे तक-लीफ भी होती है कि कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ थोड़ी सी यह बात जाती है। लेकिन इस सबका कारण हमारा डिपाटमेंट है। हम अपने डिपार्टमेंट से कहते हैं, डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज़ से कहते हैं, लेकिन हमको सूत नहीं मिलता। बाजार में हमें लेना पड़ता है तो हमसे ज्यादा दाम मांगे जाते हैं, मिल मालिक मांगते हैं, उनके एजेंट मांगते हैं। मेरे साथ खुद इस क़िस्म का सलूक हुआ है। तीस, चालीस रुपये का एक गांठ पर ज्यादा मांगे गये हैं। हां, उस सूत पर चोरबाजारी नहीं है जो सूत ख़राब है, जिसका इस्तेमाल करघे वाले नहीं करना चाहते। वह सूत बाजार में उन दामों से कम मिलता है जो दाम गवर्नमेंट ने मुक़र्रर कर रक्खे हैं। इस तरह की बातें हैं। कर्घा उद्योग की तरक्क़ी के लिये आपको कुछ थोड़ा सा जब्र करना पड़ेगा।

[श्री बशीर अहमद हकीम]

मिलमालिकों की नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी। कर्घे उद्योग पर जितने टैक्सेज हैं, सेल्स टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज उनको हटाना पड़ेगा। बीच एजेंट जो मुनाफ़ा लेते हैं उनको नाराज करना पड़ेगा, उनका प्राफिट बन्द करना पड़ेगा, कर्घा वालों को सूत उसी दाम पर मिलना चाहिये जिन दामों पर मिलों को मिलता है। तब कहीं जाकर कर्घा उद्योग बढ़ सकता है। मैं आपसे यह भी अर्ज करूंगा कि सन् ३४ में यहां हैंडलूम एम्पोरियम क़ायम हुआ था। हम कर्घे वालों ने यह समझा कि इससे हमको अगर कोई फायदा न होगा तो कमसे कम मजदूरी ही मिलेगी। हम लोगों ने उसका सहारा लिया। उसके जो मैनेजर थे वह अब इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में हैं। उनसे इस किस्म की बातें होती थीं। हमने निहायत कोशिश की, लेकिन कारीगर तैयार नहीं होते थे। वे जानते थे कि हम मजदूर बनाये जा रहे हैं। कहा जाता था कि जहां तुमको २ पैसा गज मजदूरी पड़ती है १ आना गज मजदूरी मिलेगी। वह अनजामकार मुस्तक़िल हुआ जो हैंडीक्राफ्ट के नाम से आज मशहूर है। इसको लाखों रुपये का फायदा उस जमाने में जब कि कंट्रोल था हो सकता था, लेकिन वह फायदा नहीं उठाया गया और जनता को भी कम दाम में वह कपड़ा नहीं मिला जो उस हैंडीक्राफ्ट के जरिये तैयार कराया जाता था। जंग के जमाने में वह भी ब्लेक में बिकता था। उस का प्राफिट कहां जाता था। जो एजेंट थे वे प्राफिट उठाते थे और दूसरे दरमियानी लोग प्राफिट उठाते थे कर्घे वालों को तो मजदूरी ही मिलती थी, और कोई फ़ायदा उनको नहीं था। उस जमाने में काम करने के लिये बहुत कम लोग तैयार होते थे। इसलिये कि अगर उनको सूत मिलता और वह काम करते अपने घर में तो उन्हें ज्यादा फायदा होता। इस हैंडीक्राफ्ट से कोई फायदा नहीं है हालांकि गवर्नमेंट का लाखों रुपया इस पर खर्च हुआ है। मैंने बजट की बहस में भी बताया था कि साढ़े अठारह लाख रुपया इस पर खर्च होगा, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा इसी तरह जो मऊ में फैक्टरी बनी है उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जो एक हैंडलूम बोर्ड बना है उससे भी हमारी उम्मीदें मुनकता होती जा रही है। उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक करोड़ या इससे भी ज्यादा जो रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाला है करघा उद्योग की उन्नति के लिये उस रुपये से एक मिल खोली जायगी। एक स्कीम आ गयी है उस बोर्ड में और उसे मंजूर भी कर लिया गया है और क्यों न मंजूर किया जाता जब कि उसमें डाइरेक्टर आफ काटेज इंडस्ट्रीज और सूबे भर के जो टेक्स्टाइल इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने बैठ कर मशविरा किया कि कौन हम लोगों के मुख़ालिफ है और कौन हमारे मुआफिक है और हां में हां मिलाने वाला है। उनकी लिस्ट बन गई और उसी के आधार पर उनके नाम हैंडलूम बोर्ड में रखे गये हैं। इस सदन में एक सदस्य बैठे हुए हैं उनकी भी मुख़ालिफत की गयी। वह तो हमारे मुख्य मंत्री जी नहीं माने और उनका नाम लाना ही पड़ा और बर्ना उनकी भी मुख़ालिफ़त थी। उनमें उन लोगों को नहीं रखा गया जो सही राय देने वाले हैं और आख़िरकार यह तय हो ही गया मिल खोली जायगी। कुछ लोग उसमें मुलाजिम हो जायंगे, कोई मैनेजर हो जायगा, कुछ सुपरवाइजर हो जायंगे चाहे करघे वालों को कोई फायदा पहुंचे या न पहुंचे। इसलिये हम लोगों की तो उम्मीद इस बोर्ड से मनकता होती चली जा रही है कि शायद उससे भी कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। मैं जानता हूं कि हमारी कांग्रेस सरकार चाहती है कि हैंडलूम की तरक्क़ी हो, लेकिन वह ऐसे फंदे में फंसी है कि कुछ भी नहीं कर पाती।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त सदन में कोई माननीय मंत्री नहीं हैं। तो क्या हम लोग इस पर बहस कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—वह तो कैबिनेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष—पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की रिस्पांसिबिलिटी उस ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी में आती है जो कैबिनेट की है ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं तो समझता हूं कि जब माननीय मंत्री किसी को डिप्यूट कर देते हैं एक काम के लिये तो फिर वह मिनिस्टर की तरफ से काम कर सकता है।

श्री राजनारायण---तो क्या श्रीमन्, आप के पास कोई सूचना है कि मिनिस्टर ने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को डिप्यूट किया है ? क्योंकि श्रीमन् कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में डिप्टी मिनिस्टर भी नहीं जोड़े गये हैं और इसलिये मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जब ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है और कैबिनेट सिस्टम है तो कोई मिनिस्टर ही उस को रिप्रेजेंट कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने जैसा अभी कहा था कि वे किसी को भी डिप्यूट कर सकते हैं। रूल्स में अगर माननीय सदस्य "मिनिस्टर" की परिभाषा को देख लें तो मालूम हो जायगा :

"Minister means a member of the Council of Ministers and includes any member of the Assembly to whom such Minister may delegate any function assigned to him under these Rules."

['मंत्री' का तात्पर्य मन्त्रिमंडल के किसी सदस्य से है और इसमें विधान सभा का ऐसा सदस्य भी सम्मिलित होगा जिसको ऐसा मन्त्री इन नियमों के अन्तर्गत सौंपे गये किसी कृत्य का प्रयोजन करे ।]

तो ऐसी हालत में जब कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी उनकी तरफ से मौजूद हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि मिनिस्टर मौजूद नहीं हैं।

श्री बशीर अहमद हकीम---तो मैं अपनी सरकार से यह अर्ज करूंगा कि वह इस तरफ खास तौर से तवज्जह दें और यह देखें कि यह तमाम रुपया जो करघा उन्नति के नाम पर खर्च हो रहा है और उससे फायदा नहीं पहुंचता है ऐसा क्यों है वह उस को बन्द करें। इसी बजट में आप देखिये जहां तक मुझे याद पड़ता है करीब पौने पांच लाख करघा उन्नति के लिये रखे गये हैं, लेकिन वह रुपया इधर उधर खर्च कर दिया जाता है और करघा उन्नति के लिये क्या सूरत अख्तियार की जा रही है मैं नहीं कह सकता। बहरहाल, लालबत्ती आ गयी है, जो लालटोपी वालों के लिये होनी चाहिये थी हमें दिखाई गयी है इसलिये हमें पालन करना चाहिये और मैं उसका पालन करूंगा। इस वक्त मुझे मौक़ा नहीं मिला है मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं। जवाब के वक्त मौक़ा मिलेगा तो कहूंगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को सदन के सम्मुख रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि सदन इसे मंजूर करेगा।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव में संशोधन देने वालों का नाम पुकारने पर।)

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---अभी तो जेनरल डिस्कशन होना है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रस्ताव पेश हो गया है। पहले संशोधन के लिये मौका दिया जायगा और उसके बाद जनरल डिस्कशन हो जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय बशीर अहमद हकीम के संकल्प में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं---

संकल्प के अन्त में निम्नलिखित अनुच्छेद (पैराग्राफ) बढ़ा दिया जाय :

"साथ ही इस बात के महत्व को अनुभव करते हुए कि कर्घा उद्योग की उन्नति के लिये सूती मिल उद्योग की प्रतिद्वन्दिता से उसकी रक्षा करना आवश्यक है, यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि सूती मिल उद्योग के समाजीकरण के लिये शीघ्र क़दम उठाया जाय, साथ ही कुछ विशेष प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन केवल कर्घा व्यवसाय के लिये सुरक्षित रखा जाय।"

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैंने उपस्थित किया है उसके दो अंश हैं। पहला अंश तो इस बात पर जोर देता है कि सूती मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, समाजीकरण होना चाहिये और दूसरे अंश में इस बात पर जोर दिया गया है कि कुछ प्रकार के कपड़ों पर सूती मिलों में प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि वह वहां न बन सकें। इस प्रश्न पर तो मैं इस निश्चित मत का हूं कि अगरचे हमारी सरकार बराबर घरेलू उद्योग धंधों की बात करती है, छोटी इंडस्ट्रीज की बात करती है लेकिन उस के पास कोई इस संबंध की निश्चित योजना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप को याद है और इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों को भी याद है कि जब हमारे देश में राष्ट्रीय आन्दोलन चल रहा था तो उस वक्त एक कार्य यह भी था कि हम विदेशी मिलों के बने कपड़ों को बायकाट करते थे और वह हमारे आन्दोलन का एक रूप हो गया था लेकिन उस बात को हमारी सरकार बिलकुल भूल गयी और आज करघे के उद्योग को, स्माल इंडस्ट्रीज को कोई संरक्षण नहीं प्राप्त होता। सरकार का उस की तरफ कोई सहानुभूति प्रदर्शित करना व्यर्थ सा ही है। पिछले सात सालों से सरकार कार्य कर रही है तो इस संबंध में सरकार की कोई निश्चित पालिसी होनी चाहिये। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हमारी सरकार केवल जबानी जमा-खर्च करना चाहती है। उस के पास कोई निश्चित योजना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस सरकार पावर में आई थी तो उस को पहला कदम यही उठाना चाहिये था कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बनाकर तमाम इंडस्ट्रीज को दो जगह अलग कर देना चाहिये था। सूती मिलें, शक्कर, लोहा, स्टील, कोयला आदि का उद्योग पब्लिक सेक्टर में आना चाहिये था और इन सब का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। अगर यह भी नहीं हुआ तो कम से कम कर्घा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सूती मिलों का राष्ट्रीयकरण बहुत ही जरूरी था। इसलिये कि एक तरफ तो आप कर्घा उद्योग को संरक्षण देते हैं और सूती मिलों को भी आप स्वेच्छापूर्वक चलने देना चाहते हैं तो यह तो दोनों परस्पर विरोधी चीजें हैं। सूती मिल तो केवल अपने मुनाफे के लिये चलती हैं और वह तो कोशिश करती है कि यहां कर्घा उद्योग न पनपे। अगर सूती मिलों का राष्ट्रीयकरण हो जायगा तो वह सरकार के हाथ में होगी और सरकार उन पर चाहे जो पाबन्दी लगा सकेगी और जैसे चाहे वह उनका संचालन कर सकती है। यह भी सदस्य जानते हैं कि कर्घा में जो सूत इस्तेमाल होता है वह सूती मिलें ही तैयार करती हैं और वह मिलें इस तरह की कोशिश करती हैं कि वह सूत कर्घा उद्योग के लोगों को जितना मंहगा मिले उतना ही अच्छा है और जैसा कि श्री बशीर अहमद साहब ने कहा कि वह मिलें अपने यहां से ही उस सूत के दाम बढ़ा देती है और वह सूत फैक्टरी के मुकाबिले में इन्डिविजुअल वीवर को १५ प्रतिशत अधिक दामों पर दिया जाता है और इसी कारण से करघे वाले मिल के माल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और मिलों का कपड़ा लोगों को सस्ता पड़ता है और दूसरी तरफ करघे के कपड़े के दाम बढ़ जाते हैं और उस को कोई नहीं पूछता। आजकल ऐसी हालत है। मैं अपने जिले की बात कहता हूं कि फैजाबाद जिला करघे के कपड़े के लिये मशहूर है और वहां पर तीन चार कपड़े के बड़े बाजार हैं जैसे टांडा, जलालपुर और अकबरपुर तथा मदरसा और किसी वक्त तो वहां की जामदानी ३०० रुपये गज तक बिकती थी और वहां का गमछा आज भी दुनिया में भेजा जाता है। लेकिन सरकार इस उद्योग की ओर ध्यान नहीं देती है। बार-बार कहा गया कि कोई सहायता दी जाय और जिस तरह से किसानों को मुख्तलिफ किस्म की तकावी वगैरा दी जाती है, परन्तु ध्यान नहीं दिया गया। मैं टांडा की ही मिसाल आप को बतला दूं कि वहां से नैपाल में एक खास इस्तेमाल होने वाली छींट होती है वह करीब १ करोड़ रुपये की भेजी जाती थी लेकिन सरकार ने उसका नैपाल भेजा जाना बन्द कर दिया है और इस से टांडा के जुलाहों पर बहुत कुठाराघात हुआ है। अगर राष्ट्रीयकरण न भी किया जाय और केवल कुछ प्रकार के कपड़ों के बनाने पर जैसे मोटे कपड़े हैं, मिलों पर प्रतिबन्ध ही लगा दिया जाय, जैसे गाढ़ा, मोटे धोती जोड़े, टेबिल क्लाथ, गमछे वगैरा हैं जो आम इस्तेमाल की

चीजें हैं उन को मिल न बना सकें, ऐसा प्रतिबन्ध लगा दिया जाय तो नतीजा यह होगा कि कर्घा उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा जैसा कि श्री बशीर अहमद साहब ने बताया और कर्घा उद्योग की जानकारी कराई। जो कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई भी गई थीं उन की भी उपेक्षा की गई और हालत यह है कि इंडिविजुअल को तो सहूलियत दी जाती है और सूत कोआपरेटिव को न देकर अलग लोगों को दिया जाता है और इसलिये मैं कहूंगा कि इस का काम इस मौखिक सहानुभूति से न चल सकेगा। बड़ी लज्जा की बात है कि जिस देश में ऐसा कपड़ा बनता था, ढाके में और फैजाबाद में ऐसा कपड़ा बनता था कि जो इंगलैण्ड में जाता था और वहां की औरतें उस को काफी पसन्द करती थीं और बाद में वह कपड़ा इंगलैण्ड की सरकार ने कानूनन वहां जाना बन्द कर दिया, लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार को ७ साल आये हो गये आजतक कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि हमारे यहां विलायती कपड़ा न आ सकेगा और वह आज भी यहां आता है। तो करघे और उद्योग धंधों का कैसे संरक्षण हो सकता है? उसका एक ही तरीका है कि बाहर का कपड़ा बन्द किया जाय और यहां के जो मिल मालिक हैं उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कल या परसों इस सदन में इस बात का जिक्र हुआ कि क्या वजह है कि बरेली की गवर्नमेंट फैक्टरी का ही फरनीचर मंगाया जाता है और चूंकि वह सरकारी है इसलिये ज्यादा दाम होने पर भी उनका ही फरनीचर मंगाते हैं। तो इसी प्रकार से करघे के लिये भी बहुत से काम किये जा सकते हैं। एक तो यह कि मिलों के ऊपर इतनी हैवी ड्यूटी लगा देनी चाहिये, इस किस्म का टैक्सेशन लगा देना चाहिये कि जो आम इस्तेमाल में आने वाला कपड़ा बाजार में आता है उससे करघे से बना हुआ कपड़ा सस्ता पड़े। यह एक मूलभूत सिद्धांत है लेकिन हमारी सरकार तो सेंट्रलाइजेशन की स्कीम के मुताबिक चलती है। उसका ख्याल यह है कि बड़े-बड़े उद्योग धंधे बड़े-बड़े व्यक्तियों के हाथ में रहने चाहिये। यह कहना कि १० साल बाद तो राष्ट्रीयकरण होने वाला है १० साल किसने देखें हैं, राष्ट्रीयकरण हो या न हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां निवेदन कर दूं कि हमारी सरकार उद्योगों के संगठन में वही रास्ता अपनाती है जो रूस या इंगलैण्ड या अमरीका अपनाता है। अमरीका में जो इण्डस्ट्रीज में लागत लगी हुई है वह फी आदमी, अगर आबादी से बांट दिया जाय, तो साढे छः हजार हो जाती है, योरोप में साढे तीन हजार, रूस में साढे चार हजार और हमारे देश में इंडस्ट्रीज में जितना रुपया लगा हुआ है वह अगर आबादी से बांट दिया जाय तो पर कैपिटा इनवेस्टमेंट १५० रुपया होता है। ऐसी स्थिति में रूस अमेरिका की नकल करना उचित नहीं है।

तो इंडस्ट्रीज में जहां तक उद्योग धंधे की बात है हम गांधी जी का नाम जरूर लेते हैं इस बात पर फख्र करते हैं कि चरखा हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। लेकिन उसके प्रोत्साहन के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, यह भी एक अजीब चीज है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि शुगर इंडस्ट्रीज के लिये सरकार प्रोटेक्शन देती है। उस प्रोटेक्शन से तो आप अवगत ही हैं। किन्तु जहां तक करघे के उद्योग का सवाल है उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। शुगर इंडस्ट्री को दिया गया और हर तरह से चीनी की कीमत बढ़ाई गयी। आज भी ३५ रुपया मन चीनी की कीमत है, मगर किसानों, के गन्ने की कीमत एक रुपया बारह आने से एक रुपया पांच आने और तीन आने कर दी गयी।

तो जब जूट की मिलों को, चीनी की मिलों को, स्पात की मिलों को और कोयले की खानों को संरक्षण दिया जा सकता है, उसी प्रकार जब करघे, और चरखे को सरकार संरक्षण देने की बात करतीं है तो इस संबंध में सख्त से सख्त कानून बना कर ही व्यवस्था हो सकती है कि घरेलू उद्योग धंधे पनप सकें।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन को माननीय बशीर अहमद मान ही लेंगे और साथ ही सरकार की भी एक मौखिक सहानुभूति वाली अपनी नीति छोड़ेगी और सही मानों में सूती मिलों के राष्ट्रीयकरण की ओर कदम उठायेगी। अगर वह संभव न हो तो सूती मिलों पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा दिया जाय जिस से वे महीन कपड़ा ही बना सकें और

[श्री रामनरायण त्रिपाठी]

आम इस्तेमाल का बनने वाला कपड़ा चरखे और करघे से बने, तभी सरकार की नीति कामयाब हो सकती है।

श्री नारायणदास (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री बशीर अहमद हकीम के संकल्प के अन्त में निम्न संशोधन पेश करता हूं, "साथ ही करघा उद्योग की उन्नति के लिये मद्रास सरकार की भांति मिलों में बनाये जाने वाले प्रतियोगी कपड़ों पर उचित प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्न और वस्त्र, ये मानव समाज के लिये बुनियादी आवश्याकतायें हैं और जब से हमारी सरकार कायम हुई है तब से हम ने यह प्रतिज्ञा की है कि अपने देश में किसी को हम भूखा नहीं मरने देंगे, किसी को हम नंगा नहीं रहने देंगे और इसका हमने जहां तक हो सका प्रतिपालन किया। आज हमारे विरोधी पक्ष के भाई भी इस चीज को कबूल करते हैं कि हमने इसमें सफलता पाई है।

आज हमारे सामने करघा उद्योग की बात है। इसमें चरखा उद्योग और करघा दोनों होने चाहिये। क्योंकि यह चर्खा करघा उद्योग जो है वह हमारे इतिहास और संस्कृति से बहुत बड़ा ताल्लुक रखता है, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। एक जमाना था उस तरफ चलिये जब कि मानव समाज नंगा पशुओं के बीच में, पक्षियों के बीच में रहता था। मानव प्राणी के दिमाग में बुद्धिबल था। उसने ताड़ व नारियल की जटाओं की पवित्र "पाश" या "फंदा" या रस्सी बनाकर भयंकर पशुओं पर विजय प्राप्त की। आगे चल कर उसने "पाश" "बउर" या जाल बनाया। उसने इससे जलचर, नभचर, और थलचर के प्राणियों पर विजय प्राप्त की। आगे बढ़ कर उसने, पूरे नर नारी समाज ने, एक चरखा काता और दूसरा ने करघे से बुना। इस प्रकार उसने जाड़ा, गरमी और बरसात पर विजय प्राप्त की, सब को चमड़ा, ऊन और सूत का कपड़ा दिया और यह उद्योग इतना फैला कि चलते-चलते जिस वक्त औरंगजेब का जमाना आया उस समय की एक मिसाल देता हूं कि हिन्दुस्तान के एक कारीगर ने एक बांस के चोंगे में चालीस गज का थान भेंट किया। उस बादशाह ने कपड़े के थान को अपनी लड़की जैबुन्निसां को दे दिया। लड़की उसको पहनती है तो सात परत करके पहनती है और जब अपने बाप के सामने आती है तो बाप कहता है कि बेटी जान, इतना बारीक कपड़ा मत पहना करो। इसमें तुम्हारा तन दिखायी पड़ता है। वह लड़की कहती है। पिता जान मैं क्या करूं सात परत यह कपड़ा है।

सोचिये इस से अच्छा कपड़ा क्या आप की मिलें संसार में बना सकती हैं। आज कोई मिल इससे अच्छा कपड़ा नहीं बना सकती है। जैसा कि इस देश के हाथ के कारीगर बनाया करते थे और वह भी हाथ के कते हुए सूत का। तो वह समय हमारे उद्योग का एक दम निकल गया। एक समय था उस समय हिन्दुस्तान में जो कपड़ा बनता था वह हमारे लिये तो काफी था ही बल्कि उसे हम सारे संसार में भेजा करते थे। जब नार्मन कौम ताकत में आयी तो उसने सबसे पहला काम यह किया कि हिन्दुस्तान का कपड़ा यूरोप के अन्दर नहीं आना चाहिये। उसने एक कानून बना दिया कि अगर हिन्दुस्तान का कपड़ा कोई यूरोप में मंगायेगा तो उसको फांसी दे दी जायगी। इत्तिफाक से विलायत में एक लड़की के पास हिन्दुस्तान का बना हुआ रूमाल निकल आया। उसको फांसी दे दी गयी। इस तरह से हमारे हिन्दुस्तान के कपड़े का बाईकाट हुआ। यही नहीं जब वही हिन्दुस्तान में आये तो उन्होंने सब से पहला काम यह किया कि यहां के कारीगर जो लाखों की तादाद में कपड़े की चीजें बनाते थे, और हिन्दुस्तान के गांव-गांव में यह उद्योग फैला हुआ था, उन कारीगरों के हाथ कटवा लिये और हमारे हिन्दुस्तान को वस्त्र से विहीन कर दिया और अपने देश के कपड़े को ला कर पाट दिया। उस जमाने में इस तरह से हमारे इस उद्योग को कुचला गया, और मिलों का कपड़ा

हमारे ऊपर ठूंसा गया और अंग्रेज हमारे देश के धन को कपड़ा बेंच कर लेते रहे, हम गरीब और कंगाल होते रहे, उसके बाद एक समय और भी आया। हमारे पूज्य बापू का समय। १९३० में मैं तो केशवराम काटन मिल्स, मटिहाबुर्ज में ताने या वारीपन का एक मजदूर था। एक दिन की बात है कि एक घंटे की छुट्टी बिड़ला जी ने दी कि हम लोग खिदरपुर के मैदान में जायं जहां हमारे पूज्य बापू जी आने वाले थे। इतने बड़े जनसमूह को या तो मैंने कांग्रेस के अधिवेशनों में देखा या खिदरपुर के मैदान में देखा जहां पर बापू ने कहा था कि तुम विदेशी कपड़े की होली जला दो और हरिजन सेवा के लिये अपने जेवर को उतार कर दे दो। हमारी माता बहनों से कहा, फल क्या हुआ, मैं अपनी देखी हुई बात बतलाता हूं कि लाखों नर नारियों ने विलायती कपड़े का अम्बार लगा दिया, और उसमें आग लगा दी गयी। उसके बाद जो लाठी, डंडा और बन्दूक चली और जो दुर्दशा हुई उसको भी हम अपनी आंख से देख चुके हैं। बापू ने यह कहा था कि अगर तुम ने इतना त्याग कर दिखाया तो हम तुम्हें सब से कीमती चीज आजादी देंगे। हमने देखा कि जब कपड़े का बाईकाट हुआ तो हिन्दुस्तान भर के जितने नर-नारी थे, उन्होंने उसका बाइकाट खूबी से किया। उसका फल यह हुआ कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट झुक गयी और डर गयी कि कहीं ऐसा न हो कि यह लोग हमें बरबाद कर डालें। हमारे जो राष्ट्र के आज कर्णधार हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके स्वर्गीय पिता पंडित मोतीलाल नेहरू का कपड़ा धुलकर फ्रांस से आता था। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि हम बिलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे। उसका फल यह हुआ कि एक बहुत बड़ी क्रांति हमारे देश में उत्पन्न हुई। उपाध्यक्ष महोदय, इस कपड़े ने हमारे देश में ऐसी क्रांति करदी कि हमारे अन्दर असीम देश भक्ति व आत्मबल आया। क्योंकि चरखे और करघे में अहिंसा की एक बड़ी भारी शक्ति है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिसाल देता हूं। जिस वक्त एक जुलाहा महासंत कबीर आता है, तो एक दिन उसके पास हिंसा में विश्वास करने वाले गोरख जी अपना त्रिशूल लेकर आते हैं और उस जुलाहे से कहते हैं कि तुम हमसे शास्त्रार्थ करो। क्योंकि हमने सुना है कि तुम एक बड़े भारी भक्त हो वे त्रिशूल पर बैठ जाते हैं आप उस समय को सोचिये कि कितना बड़ा अध्यात्मिक बल उस जुलाहे में था। वह उनसे शास्त्रार्थ करता है और इस प्रकार हिंसा का अहंकार दब जाता है। आप सोचिये कि दूसरा जुलाहा हमारा पूज्य बापू आता है, जो अपने हाथ से चर्खा चलाता है और अपना कपड़ा भी बुन लेता है। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को वह समय याद है कि अहंकारी नार्मन चर्चिल ने गांधी जी को कहा था कि उस अर्ध नंगे फकीर को तबाह कर डालेंगे, बरबाद कर डालेंगे। उसकी आवाज बापू के चरखे की आवाज से टकराई और शांत हो गयी। आज चर्चिल का दम खत्म हो गया है। अभी हमारे भाई श्री झारखंडेराय जी ने बतलाया कि हमारे यहां कम्युनिज्म जो है वह हिंसा पर आधारित है, अगर कोई हमारी बात नहीं मानता है तो उसको हम मिटा देते हैं। मैं आप से कहता हूं कि इस चरखे में इतनी बड़ी शक्ति है, अहिंसा में इतनी बड़ी शक्ति है कि वह हिंसा जिसका विकृत स्वरूप अहंकार है उसको वह अपने में जज्ब कर लेता है और अपने तेज से आदमी के हृदय को परिवर्तित कर लेता है। यह हमारे अहिंसा की विजय है, चर्खा और कर्घा की शक्ति की विजय है। हम उसी शक्ति के बल पर आजाद हुए। आजाद होने के बाद जो हमारा करघे और चरखे का रोजगार था, जो सारे देश में फैला हुआ था, उसको इधर-उधर करके हमने थोड़ा पनपाया लेकिन आज हालत यह है कि मिलें हमारे उस रोजगार को दबा देती है। इसका कारण यह है कि हमारे जो इस वक्त पढ़े लिखे भाई हैं, जो सरकारी नौकर हैं, जो यहां के रहने वाले हैं, वे अपनी उच्चता इस बात में समझते हैं कि हम दूसरे देश की भेष भूषा और भाषा की नकल करें, तब हमारी उच्चता है। लेकिन हमारे देश की अपनी संस्कृति अकेली ही रही है और वह इतनी ऊंची थी कि दुनिया ने उसे माना है। हाल ही में पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिये हमारे राष्ट्र के नेता ने आवाहन किया देशवासियों से कि १ हफ्ते काम करो। हमने देखा कि जिन लोगों ने जिन्दगी में कभी फड़वा या मिट्टी नहीं उठाई थी उन लोगों ने इतनी तेजी से काम करके दिखाया जो कि हमारी रिपोर्टों में दर्ज है। हमारे देश में आत्मविश्वास है लेकिन हमारे दिमाग के अन्दर थोड़ी सी बात हल नहीं हो पाई कि अगर हम अपनी राष्ट्रीयभाषा, अपनी

[श्री नारायण दास]

वेषभूषा और अपने हुनर को सारी दुनिया में फैलाना चाहते हैं तो पहले अपने घर को ठीक करना चाहिये। मेरा निजी विचार है कि अगर हम अपने निजी बने कपड़े को अपना लें तो ९९ फीसदी भृष्टाचार दूर हो जायगा। मैं मिल का कारीगर रह चुका हूं और १ नहीं कम से कम १० बरस मैं उसके अन्दर रहा हूं और वहां के कपड़े की जो तड़क-भड़क है हमारा करघे का कपड़ा उसे नहीं पहुंच सकता। बाजार में उसकी बिक्री नहीं होती और हमारे कारीगर भूखों मरने लगते हैं। इसलिये जरूरत इस बात की है कि चरखे व करघे के कपड़े को संरक्षण दिया जाय। मद्रास में हमने देखा कि वहां अभाव से कुछ लोगों ने आदमियों को आतंकित किया, उन्हें बरगलाया और उसके बाद थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल की। लेकिन केवल करघा उद्योग को संरक्षण देने से वे हिंसा की चीजें अपने आप खत्म हो गई। हमारे प्रदेश में लाखों जुलाहे और कोरी हैं, अगर उन्हें मिल के कपड़े से थोड़ा भी संरक्षण दे दें जिससे वे प्रतियोगिता करते हैं, कुछ क्वालिटियों को बनाने की मनाही कर दें, तो मैं समझता हूं कि करघा उद्योग अपनी उन्नत अवस्था पर पहुंच जायगा और सुन्दर तरीके से काम करने से उन लोगों की बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जायगी। उनकी माली हालत में बहुत बड़ा सुधार हो जायगा क्योंकि हम यह जानते हैं कि चाहे सहकारी संस्था हों चाहें निजी संस्था हों, जब तक सरकारी संरक्षण उनको नहीं मिलता, उनका कपड़ा सरकार नहीं लेती है, तब तक उनकी कोई भी उन्नति होना कठिन है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जैसे मद्रास गवर्नमेंट ने संरक्षण दिया है करघा उद्योग को, वैसे ही हमारी सरकार भी दे करके हमारे नरनारी समाज को उन्नतिशील बनाने में मदद दे। इस प्रकार अपनी सर्वोच्च संस्कृति और इतिहास के ऊपर जो हमने प्रतिज्ञा की है उसे हम बापू का नाम लेकर पूरा करें।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री बशीर अहमद हकीम साहेब के संकल्प में यह संशोधन पेश करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यह उसके साथ में जोड़ दिया जाय। "और कर्घा उद्योग को सूती मिलों की प्रतिद्वन्दिता से बचाने के लिये यह निश्चय किया जाता है कि प्रदेश के अन्दर केवल कर्घा उद्योग का बना कपड़ा ही इस्तेमाल में लाया जाय और सूती मिलों का बना कपड़ा बाहर के देशों को भेजा जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपके सामने श्री बशीर अहमद हकीम और श्री नारायणदास जी ने अपने प्रदेश में और देश के अन्दर कपड़े के व्यवसाय के सम्बन्ध का एक बहुत बड़ा इतिहास बतलाया और यह बतलाया कि हमारे देश के अन्दर किस प्रकार से कपड़े का व्यवसाय बढ़ा-चढ़ा था और इससे कितने लोगों का उपकार होता था और देश की उन्नति का बहुत कुछ आधार कपड़े का व्यवसाय ही था।

मैं इस कपड़े के व्यवसाय और विशेषतया इस उद्योग को दूसरी दृष्टि से लेता हूं। आज कल हमारे देश की समस्या एक ऐसी विचित्र हो चली है कि यदि हमारी सरकार और देशवासियों ने इस पर विचार नहीं किया तो मैं समझता हूं कि हमारे देश की हालत बहुत अच्छी नहीं रहेगी।

इस समय कृषि की ही उन्नति की जा रही है। कृषि की उन्नति करने के लिये तरह-तरह के साधन काम में लाये जा रहे हैं किन्तु इसके साथ में जितने देश के और दूसरे व्यवसाय हैं उनके ऊपर इस तेजी के साथ विचार नहीं किया जा रहा है जैसा कि कृषि के ऊपर विचार किया जा रहा है। इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि कृषि पर विचार न किया जाय और कृषि को उन्नतिशील न किया जाय मगर इसके साथ ही साथ मेरा यह भी सुझाव है कि जितनी कृषि की उन्नति करने के लिये हम कोशिश कर रहे हैं, वहां हमारे देश को यह चाहिये कि अपने देश को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिये, अपने देश के अंदर उद्योगों को बढ़ाने के लिये भी पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाय। वरना इसका बड़ा नुक्सान यह होगा कि सब लोगों की तवज्जुह भूमि की तरफ चली जायगी और हर एक इंसान का ख्याल होगा कि भूमि जिस पर खेती होती है,

उसी से जीविका उपार्जन हो सकती है। इसलिये हर एक आदमी जैसा कि आज कल सदन में या सदन के बाहर जो लोगों के विचारों को समझते हैं वह जानते हैं कि जो भी उठते हैं वह इस बात के लिये आवाज लगाते हैं कि भूमि का वितरण किया जाय और मैं समझता हूं कि यह आवाज लगाना ठीक है क्योंकि इस देश के अन्दर जीविका उपार्जन भूमि से ही रह जाता है। हर आदमी चाहेगा कि मुझे भी भूमि दी जाय जिससे मैं अपनी जीविका उपार्जन कर सकूं और देश की हालत यह है और जो हमारे यहां भूमि की व्यवस्था है, उससे हर एक इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि आज हमारी भूमि की इतनी शक्ति नहीं रही कि वह मौजूदा आबादी के बोझ संभाल सके और जो देश की हालत है उसको संभाल सके और हर एक इंसान को चाहे वह पहले कोई काम करता हो, अब केवल भूमि ही उसके रोजी दे सके।

इसलिये यह अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न आ जाता है कि हमें और क्या करना चाहिये। आया हम अपने देश को केवल कृषि प्रधान ही देश रखें? मैं गवर्नमेंट के सामने और अपने देश के सब भाइयों के सामने यह सुझाव रखता हूं कि भूमि को ही एकमात्र जीवन का साधन न बनाकर और केवल कृषि के ही उन्नति न करके जितने दूसरे व्यवसाय हैं उनकी तरफ भी हमें अपनी तवज्जह करनी चाहिये।

अब आपके सामने मैं दूसरे देश जो गिरी हुई हालत से ऊपर उभरे हैं, उनकी मिसाल रखता हूं उनमें रूस और चीन की मिसाल हमारे सामने है। जिस समय रूस साम्राज्यशाही सरकार से आजाद हुआ तो उन्होंने केवल कृषि ही कृषि की उन्नति नहीं की बल्कि इस बात का भी प्रयत्न किया कि जितने वहां के और दूसरे व्यवसाय थे उनको भी तरक्की दी। इसी तरह से चीन ने भी इन्हीं दो तीन वर्षों के अन्दर-अन्दर जब वह आजाद हुआ अपने देश में जहां कृषि को उन्नति दी वहां पर दूसरे व्यवसायों की भी उन्नति की। यही मार्ग मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिये भी श्रेयकर होगा कि जहां हम कृषि को उन्नति देते हैं वहां हमें जितने हमारे यहां के व्यवसाय हैं उनकी भी उन्नति करनी चाहिये जिससे सब मनुष्यों को दूसरे प्रकार के भी जीविका के साधन मिल जायं और हर इन्सान कृषि की तरफ ही न लगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अन्दर लोग अब आहिस्ता-आहिस्ता दूसरे व्यवसाय छोड़ कर खेती की तरफ आ रहे हैं और भूमि अब इतनी रही नहीं है कि वह हर एक इन्सान को दी जा सके। कौन नहीं जानता कि हमारे प्रदेश में ही खाते इतने छोटे-छोटे हो गये हैं और दिन ब दिन होते जा रहे हैं कि उनसे इन्सान का गुजारा होना भी मुश्किल होता जा रहा है। अब सवाल यह रहे जाता है कि ऐसे कौन-कौन से व्यवसाय हमारे देश के अन्दर हैं जिनमें हमारे लोग उन्नति कर सकते हैं, जिनसे उनका जीविकोपार्जन हो सके। मैं समझता हूं और हर एक कोई इस बात को मानेगा कि यह कपड़े का व्यवसाय एक मात्र ऐसा व्यवसाय है कि जो खेती के बाद दूसरे नम्बर पर आता है। इसकी अहमियत कई प्रकार से है। एक तो कपड़े के लिये जो कच्चा माल है, जिससे वह तैयार होता है वह उसी भूमि से पैदा होता है जहां पर बनाने वाला रहता है और दूसरी चीज जो इसके लिये सबसे आवश्यक है वह बाजार है, यानी जहां कपड़ा तैयार होता है वहीं उसको इस्तेमाल करने वाले भी मिल जाते हैं और तीसरी बात यह है कि इसके अन्दर उन बारीकियों की जरूरत नहीं पड़ती जिनकी आमतौर पर अक्सर व्यवसायों में पड़ती है, मामूली अक्ल रखने वाला भी कपड़े को बुनकर तैयार कर सकता है। तो ये तीन बातें हैं जिनकी वजह से कपड़े का व्यवसाय सदैव ही हमारे देश के लिये एक बहुत बड़ी चीज रही है और अब भी वह बहुत बड़ी चीज हो सकती है। मगर क्या आप समझते हैं कि इस मौजूदा दशा में जिस दशा में कपड़े का व्यवसाय इस समय चलाया जा रहा है यह उन्नति कर सकता है

[श्री बलवन्त सिंह]

है और क्या यह हमारे देश के लोगों के लिये जीवन का साधन बन सकता है? मैं यह कहूंगा कि इसकी तरफ जैसी तवज्जह हमने शुरू में दी जब कि हमारे देश की राजनीति की बागडोर हमारे बापू जी ने सम्हाली वैसी तवज्जह मुल्क की हुकूमत की बागडोर अपने हाथों में आ जाने पर हमने नहीं दी और उसका कारण यह है कि हम दूसरे कामों में फंस गये और इस बड़े व्यवसाय को, जो कि हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा साधन था हम छोड़ बैठे और उसे छोड़ बैठने का नुक़सान हमको हुआ और उसका नुक़सान यह हुआ कि वे चीजें जो कि इस व्यवसाय में नहीं बढ़नी चाहिये थीं वे उन्नति करती जा रही हैं और यह कपड़े का व्यवसाय जो कि हमारे देहात और कस्बों में हो सकता था और हो रहा था वह गिरने लगा और इस गिरने का नतीजा यह हुआ कि अब हजारों, लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको कोई व्यवसाय नहीं मिल रहा है और लोग अपने कर्घे खड्डी बेंचकर शहरों में आकर रिक्शा ड्राइवर की शक्ल में जीवनोपार्जन कर रहे हैं। अगर हमारे देश की गवर्नमेंट कोशिश करे तो मैं समझता हूं कि फिर से यह हमारा व्यवसाय अच्छे प्रकार से चलाया जा सकता है और करोड़ों आदमियों को जैसे कि पहले रोजी दिया करता था उसी प्रकार से रोजी दे सकता है। मगर अब पहले जैसी गतिविधि नहीं रही क्योंकि साइन्स जहां पर तरक्की करती है वहां पर ऐसे साधन मौजूद हो जाते हैं जो कि इन्सान के अपने हाथ से काम करने के साधनों को नष्टप्राय कर दें और इस व्यवसाय में भी ऐसा ही हुआ जहां साइन्स बढ़ी, कपड़े का उद्योग बढ़ा, मिलें उसके स्थान पर आ गयीं उनके जरिये से कपड़ा उत्पन्न होने लगा तो हाथ से काम करने वालों का काम समाप्त हो गया। जैसा कि अभी नारायणदास जी ने बताया हमारे देश में बहुत बढ़िया किस्म का कपड़ा करघे से बनाया जाता था। ऐसा भी कपड़ा होता था जो सात बार जिस्म पर लपेटने पर भी जिस्म नंगा ही मालूम होता हो। इतिहास में ऐसी मिसालें भी हैं जब कि बढ़िया तरीके की मलमल हमारे देश में हुआ करती थी मगर अब हमारे देश में उसको कुछ भी प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है।

अभी दो तीन बातें माननीय सदस्यों ने सदन के सामने रखीं और इस बात का प्रयत्न किया गया कि किस प्रकार से करघा उद्योग को सुरक्षित किया जा सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि जितने सुझाव भी इस सदन के सामने रखे गये, यद्यपि मैं यह मानता हूं कि उनसे कुछ हद तक कामयाबी जरूर होगी, मगर यह सुझाव ऐसे नहीं हैं जिससे मिलों के मुकाबले में करघा उद्योग को पूर्णतया संरक्षण मिल सके। हमें तो उसी प्रकार का संरक्षण इसको देना चाहिये जैसा कि दूसरे देशों ने इसको दिया है। मैं यह मानता हूं कि यदि हमारे अन्दर अपने कपड़े के व्यवसाय, करघा उद्योग और खादी के प्रति ऐसी मुहब्बत पैदा हो जाय जैसी कि कुछ अर्से पहले थी विलायती कपड़ा चाहे जितना अच्छा होता था, लेकिन हम खादी को ही पहनना पसन्द करते थे तो फिर मैं समझता हूं कि इसके लिये किसी भी संरक्षण की जरूरत नहीं है। मगर अब वह बातें नहीं रहीं। उस समय हमारी भावनायें दूसरी थीं लेकिन, स्वराज्य के बाद वह दूसरी हो गयी हैं। हमारे विरोधी दल के भाई बतला रहे हैं कि वह भावनायें नहीं रहीं। इसमें किंचित मात्र भी सन्देह नहीं है कि वह भावनायें हमारे अन्दर नहीं रहीं, लेकिन उनके अन्दर तो बिल्कुल ही नहीं रहीं, मुझे बताना यह है कि जापान ने मिलों के मुकाबले में करघा उद्योग को किस प्रकार से संरक्षण दिया। उन्होंने अपनी एक नीति बनाई और अगर हमें अपने करघा उद्योग को प्रोत्साहन देना है, खादी को प्रोत्साहन देना है, तो हमें भी उसी नीति को अपनाना होगा, वहां की नीति हमें माननी होगी। वह नीति यह है कि जो भी सामान मिलें बनाती हैं वह विदेश को भेजा जाय और अपने देश के अन्दर वह सामान काम में लाया जाये

जो छोटे-छोटे उद्योग धंधों के द्वारा बनाया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि करघा उद्योग को प्रोत्साहन मिले, करघा उद्योग कामयाब हो तो जितने भी सुझाव सोशलिस्ट भाइयों या और लोगों की ओर से मिले हैं उनसे काम नहीं चलेगा। जो संशोधन मैंने रक्खा है वह बशीर अहमद हकीम साहब के प्रस्ताव में जोड़ दिया जाय। मैं सदन के सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अगर वाकई उनके दिल के अन्दर करघा उद्योग के लिये मुहब्बत है, प्रेम है और वे यदि यह चाहते हैं कि अपने हाथ से बने हुये कपड़े की इस देश के अन्दर तरक्की हो तो उन्हें इसी प्रकार का साधन अपनाना होगा कि जो करघा कपड़ा बनाते हैं उसकी हमारे देश में खपत हो क्योंकि अभी वह इतना अच्छा नहीं होता कि बाहर उसकी मांग हो, और मिलों का कपड़ा बाहर भेजा जाय, अपने देश में इस्तेमाल न किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं भी रामदास आर्य को यह बता देना चाहता हूं कि उनके नाम में सबसे पहले एक संशोधन है। मैंने उनको यथा समय सम्बोधित किया था लेकिन वह यहां उपस्थित नहीं थे। मैं समझता हूं कि यह कुछ उचित बात नहीं हुई। तो भी क्योंकि उन्होंने अमेंडमेंट की सूचना दी है इसलिये मैं उनको अपना अमेंडमेंट मूव करने का मौका देता हूं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—मुझे खेद है। मैं एक आवश्यक कार्य के कारण उपस्थित नहीं रह सका।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तुत संकल्प १ की पंक्ति ३ के शब्द "और" के बाद और शब्द "प्रोत्साहन" के पहिले नीचे लिखे शब्द जोड़ दिये जायं :

"सहकारी समितियों द्वारा उन्नति की जाय, तथा"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब यह देखता हूं कि हमारे देश में गरीबों की संख्या अधिक है और इसका क्या कारण है उस सिलसिले में जो माननीय सदस्य मुझसे पहले बोले हैं उन्होंने अपने कुछ सुझाव दिये हैं उसमें मैं भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अभी देश में अपने हाथ से काम करने की बहुत ही भारी कमी है। हमने अपने हाथ से बनी हुई चीजों की कद्र अभी तक नहीं की है। जब हम अपने हाथ से बनी हुई चीजों की कद्र करेंगे और उनका प्रयोग करेंगे तभी हमारे देश के उद्योग-धंधे की उन्नति होगी। संसार में जब शुरू में कोई मशीनें नहीं थीं उस समय हमारे देशवासी पत्ते और पेड़ों की छालों से अपने बदन को ढकते थे। फिर किसी तरह से उन्होंने उन्नति की और कपास पैदा की और फिर कपास से उन्नति करते-करते हम इस नतीजे पर आये कि हमने अपने हाथ से कपड़ा बुनना शुरू किया और उसके बुनने में हमने इतनी तरक्की की। जैसा कि अन्य सदस्यों ने बतलाया है मैं भी एक उदाहरण आप के सामने रखता हूं। ढाके में इतनी बेहतरीन मलमल बुनी जाती थी, वह इतनी बारीक होती थी कि एक इंच नली में इतनी मलमल आ जाती थी कि हाथी मय अम्बार के ढंक जाता था। आज हम अपने हाथ से बनी हुई चीजों को भूल गये हैं। उनकी कद्र हमारे हृदय में नहीं है। यही कारण है कि हमारे देश के छोटे-छोटे उद्योग धंधे और कर्घा उद्योग नीचे पहुंच गये हैं। उसी की बिना पर लाखों जुलाहे आज बेकार हैं। कारण यह है कि जो कपड़ा वह बुनते हैं उसकी निकासी ठीक तौर पर नहीं होती है क्योंकि हम उस कपड़े की कद्र नहीं करते हैं।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

हम मिलों के कपड़े को पहिनना अच्छा समझते हैं क्योंकि इसकी कीमत सस्ती होती है। सस्ता होने के अलावा वह मुलायम भी होता है, लेकिन उसका ध्यान हमें नहीं

[श्री रामदास आर्य]

है कि कर्घे से छोटे-छोटे रोजगार करने वालों को रोजी भी मिलेगी। यदि आज हमारा दृष्टिकोण यह हो जाय कि हम कर्घे के उद्योग को उन्नति देना चाहते हैं तो हाथ के बने हुए कपड़े को हमें अपनाना होगा, उसकी निकासी करनी होगी, इतना ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को हाथ का बना हुआ कपड़ा भेजना होगा। तभी वह ऊंचा उठ सकता है। इसके लिये मैं सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यदि वे वास्तविक रूप में कर्घा उद्योग की उन्नति चाहते हैं तो उन्हें प्रण करना होगा कि हम विदेशी कपड़ा नहीं पहिनेंगे। आज हमारे घरों में विदेशी कपड़ा पहिना जाता है और हम कर्घे के बने कपड़े को प्राथमिकता नहीं देते हैं। यदि विदेशी कपड़ा हम न पहिनें और अपने हाथ से बने हुए कपड़े का हम प्रयोग करना शुरू कर दें तो यह उद्योग धन्धा उन्नति कर सकेगा। हम आज देश में देखते हैं कि हमारे देश में गरीबी अधिक है। लोगों के पास धन नहीं है। जो कर्घे का काम करते हैं उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वे सूत इकट्ठा कर सकें और बुनाई में काफी उन्नति कर सकें। इसीलिये मैंने आपके सामने यह संशोधन पेश किया है कि इसके लिये सहकारी समितियां बनाई जांय। गांव-गांव में सहकारी समितियां बनाई जांय। जिनके पास चर्खे नहीं हैं उनको चर्खे दिये जांय और उन सहकारी समितियों के द्वारा कपड़ा बेचा भी जाय। उसके द्वारा मैं समझता हूं कि कपास भी ली जाय और कपास से रुई तैयार की जाय और फिर कपड़ा बुनवाया जाय। सहकारी समितियों के द्वारा कर्घे का काम हो और उन्हीं के जरिये हमारे कर्घों का बना हुआ कपड़ा विदेशों में भेजा जाय ताकि हमारे इस उद्योग धंधे की उन्नति हो सके और हमारे देश के उन गरीबों को रोजगार मिले। जैसा कि हमने निश्चय किया है कि मिलों में कुछ कपड़ा न बनने के लिये पाबन्दी लगा दी जायगी कि उस किस्म का पकड़ा तैयार न होगा और वह कर्घे के जरिये से तैयार होगा वह अच्छी चीज है और उससे मैं सहमत हूं। इससे कर्घे उद्योग की उन्नति होगी। हमारे सामने जो गरीबी का मसला है, हमारे देश के उत्थान का मसला है और इससे जो हमारे छोटे-छोटे भाइयों को रोजगार देने का मसला है वह भी हल हो सकता है। चर्खे ने हमारे सामने सत्य, अहिंसा और प्रेम तीनों पाठ रखे हैं। यह तीनों चीजें हमें चर्खे ही में मिलती हैं, चाहे आदमी कितना ही गुस्से से भरा हो और अगर वह बार-बार सूत जो टूट जाता है उसको जोड़ता है तो उसका गुस्सा भी छिन्न-भिन्न हो जाता है जिस वक्त वह टूटे हुये धागे को जोड़ता है। तो हमें चर्खे से यह सबक मिलता है, यह सबूत मिलता है कि अगर हम एक दूसरे से अलग भी हो जांय तो हम सूत की तरह फिर मिल सकते हैं और इसी तरह से सत्यता का प्रमाण भी उसमें मिलता है। उसमें हमें साधारण समानता का भी प्रमाण मिलता है और कर्घे का कपड़ा हम बड़ी-बड़ी सोसाइटियों में पहन कर जा सकते हैं जो हमारी सब की गरीब और अमीर की समानता को प्रकट करता है और सबको समानता के अधिकार देता है। इसलिये मैं समझता हूं कि कर्घे के उद्योग को जितनी भी सहूलियत दी जाय उतनी ही कम है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी और हमारी सरकार इस ओर ध्यान देगी मैं चाहूंगा कि इस काम के लिये सहकारी समितियां बनाई जांय और उनको पूरा सहयोग दिया जाय। जब यह काम चल निकलेगा तो बड़ी बड़ी मिलें फेल हो जायंगी और हमारा यह उद्योग बहुत अच्छा चल सकेगा और हमारे गरीब लोग भी देश में उन्नति कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री रामनारायण त्रिपाठी, श्री रामदास आर्य और श्री नारायण दास पासी के संशोधनों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय हकीम जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन का और इस प्रदेश की सरकार का ध्यान इस अत्यन्त महत्वपूर्ण

समस्या की ओर आकर्षित किया। वास्तव में शताब्दियों से जिस प्रकार हमारे गृह-उद्योगों में कर्घा उद्योग का स्थान रहा है उसको जीवित रखने के लिये यह आवश्यक है कि हम इस कर्घे की समस्या के महत्व को समझें। यह ठीक है कि इसके लिये सरकार ने एक हैंडलूम बोर्ड बनाया है और शायद मंत्री जी कहें कि उस बोर्ड के बनने के बाद इस प्रस्ताव की कोई महत्ता नहीं रह जाती, लेकिन मेरे विचार में इस प्रस्ताव की महत्ता इसलिये है चूंकि मैं समझता हूं कि बजट में ९–१० लाख रुपये के प्रबन्ध से या हैंडलूम बोर्ड बनाने से इस समस्या का कोई सुलझाव नहीं हो सकता। इससे ८ लाख बुनकरों को रोटी और रोजगार मिल रहा है और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का बाजार में क्रय-विक्रय हो रहा है। यह १ लाख ३७ हजार रुपये का जो प्राविजन कर्घा बुनकरों के कार्य के लिये किया गया है इससे क्या काम चल सकता है कहां तो ८ लाख बुनकर परिवार और कहां यह छोटी सी रकम, क्या उन लोगों का भला होने वाला है यह समझ में नहीं आता। संरक्षण के बारे में ४० प्रतिशत मिलों को संरक्षण दिया गया है, लेकिन उस संरक्षण के सम्बन्ध में इस सरकारी रिपोर्ट में लिखा है कि "धोती के ४० प्रतिशत संरक्षण के हेतु की गई हाल की घोषणा ने इस प्रान्त में इस उद्योग को किसी प्रकार की सुविधा नहीं पहुंचाई। इसके अलावा मिलों ने ४५ इंच अर्ज वाला कपड़ा, जो धोती के उपयुक्त था उत्पादन करके इस छूट से प्राप्त क्षति की पूर्ति की।" यानी हमारी मिलों ने इस प्रतिबन्ध से बचने के लिये ४५ इंच वाला कपड़ा धोती के रूप में बेचना शुरू कर दिया। इसलिये जब हमारी सरकार मानती है कि मिलें सूत देने में आनाकानी करती हैं और बुनकरों का दुर्भाग्य है कि उनका कम्पीटीशन भी उन्हीं मिलों से है जो इस समय उनकी प्रतिद्वन्दी भी हैं। क्योंकि बुनकरों की प्रतिद्वन्दिता मिलों से है। लेकिन बुनकरों को अपना कपड़ा बनाने के लिये उसी सूत पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि मिलें देती हैं। मिलें कई प्रकार से बुनकरों को दबाती हैं। एक तो सूत देने में आनाकानी करती है, दूसरे सूत ऊंचे दामों पर देती हैं और तीसरे मिलों और करघे में, जो संघर्ष होता है, उसमें वह अपने तिकड़म से करघे के कपड़े का कम विक्रय होने देती हैं। इसलिये मिल के समाजीकरण का प्रश्न उठता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि वह अपने उस प्रस्ताव के अंश को देखें, जिसको सदन ने पारित किया है कि हम पूंजीवाद के सभी साधनों का समाजीकरण करेंगे और फिर हाल ही में उसको दोहराया भी जा चुका है। तो कम से कम अगर हम इस बात को मानते हैं कि उद्योग धंधों का समाजीकरण करेंगे और इस बात को भी मानते हैं कि करघों के बुनकरों को संरक्षित करेंगे तो यह आवश्यक है कि सूत की मिलों का समाजीकरण किया जाय ताकि बुनकरों को सस्ता सूत मिल सके। और जो इस प्रकार के तिकड़म मिलें किया करती हैं कि ४५ इंच का कपड़ा बाजार में भेज दिया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने उनके लिये क्या किया जिन्होंने ४५ इंच के अर्ज का कपड़ा बाजार में भेजा और संरक्षण वाले क्लाज को खत्म किया। उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह संरक्षण के बारे में है। केवल बुनी हुई धोती के संरक्षण की बात नहीं होती। एक प्रस्ताव का जिक्र सरकारी रिपोर्ट में किया गया है। यह प्रस्ताव है कि (१) १६ नम्बर के सूत तथा उससे निम्नकोटि के सूत वाले वस्त्रों, (२) सभी सजावट के वस्त्रों, (३) सब प्रकार के तौलिए और तौलियों के कपड़े, (४) गोरखपुर में रेशम तथा स्टेपिल से बने वस्त्रों के उत्पादन भी संरक्षित वस्त्रों के सूत में सम्मिलित किये जांय।

तो इन चार श्रेणियों के बारे में जिनका जिक्र सरकारी रिपोर्ट में किया गया है माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह क्यों नहीं इन चार वस्तुओं के संरक्षण के बारे में कोई नियम या कानून बनाते।

इसके बाद माननीय रामदास आर्य जी ने बड़ा उचित संशोधन रखा कि एक बड़े पैमाने पर कोआपरेटिव सोसाइटियों के जरिये करघे के माल का उत्पादन होना चाहिये। मैं इस संबंध

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

में माननीय मंत्री जी का ध्यान स्कैंडिनेवियन प्रणाली की ओर ले जाना चाहता हूं । शायद हम लोग कुछ गलतफहमी में रहते हैं कि यूरोप में जो कि औद्योगिक देश हैं, जो कि हैवी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कहे जा सकते हैं, वहां काटेज इंडस्ट्रीज का स्थान नहीं है । लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । यूरोप में और खासकर स्वीटजरलैंड, नार्वे और डेनमार्क में करघे का बहुत बड़ा स्थान है । वहां पर हर जिले में करघे की सोसाइटियां हैं जिनको हन्सहाज्ड कहते हैं जिनकी दूकानें और उत्पादन केन्द्र हैं और अच्छे से अच्छा कपड़ा वह बनाती है । वहां जो बुनने का उद्योग है वह सरकारी संरक्षण में कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा जिनको हंसहाज्ड कहते हैं, होता है । एक राष्ट्रीय पैमाने पर वहां तीन प्रकार की सोसाइटियां काम करती हैं, स्वैडिश क्वालिटी सोसाइटी, दि नैशनल अलायंस आफ होम इंडस्ट्री सोसाइटी और दि सोसाइटी फार स्वैडिश होम क्राफ्ट, तो क्या स्वैडन की तरह इस मामले में हम व्यवस्था नहीं कर सकते, क्या कम से कम एक अन्तरप्रान्तीय संगठन नहीं बनाया जा सकता, जो कि करघों द्वारा बनाये गये सामान का विक्रय उत्पादन और रिसर्च वर्क को मिला सके । ब्रिटेन में करघा उद्योग आज एक नयी करवट ले रहा है । वहां पर भी इस वक्त तरक्की हो रही है और अगर वहां पर मैनचेष्टर और लंकाशायर के कारखाने काम कर रहे हैं तो ५ साल में वेल्स और स्कांटलैंड के पुराने उद्योग चालू हो रहे हैं और वहां एक कोआपरेटिव्स आफ हाईलैंड होम इंडस्ट्रीज के नाम से सारा करघा उद्योग दोबारा चालू हो रहा है ।

फ्रांस में आज भी कपड़ों के मसले में श्रेणी में, सब से अच्छा कपड़ा बुनने वाला करघा उद्योग ही है और वहां पर एक अन्तर्राष्ट्रीय रूप से एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रेणी की एक मशहूर यूजिन रोडियर फार्म है, जो पिकारडी में सन् १८५३ से काम कर रही है और यह इंस्टीट्यूट करघे और हाथ का बुना हुआ कपड़ा बुनता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और फ्रांस के कपड़ा उद्योग में कम्पीटीशन, प्रतिद्वन्दिता होते हुए भी कितना कार्य किया है और उन्नति की है, इसको जानने की क्या कभी हमारी सरकार और उद्योग विभाग ने चेष्टा की है और हमारे जो अन्वेषक हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने स्वीडन की कोआपरेटिव्स के अनुकरण से लाभ उठाने की चेष्टा की है ? मैं समझता हूं कि ऐसा कम हुआ है ।

इसलिये मैं रामदास जी आर्य के संशोधन की ताईद करता हूं और इस बात की आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी जितने भी यहां जिले हैं या ग्रामीण, जो केन्द्र हैं वहां इस प्रकार की सहयोगी समितियां बनवाकर, उनका संगठन कर करघा उद्योग को एक सुनिश्चित श्रेणी में रखेगी और बनायेगी । श्रीमन्, यह प्रश्न केवल आर्थिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि यहां के नियोजन के दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है । हमारा देश और प्रदेश एक ऐसी श्रेणी में आता है कि हमारे यहां जनसंख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन उत्पादन के साधन और कच्चे माल की यहां पर कमी है । इसलिये हम विस्तृत पैमाने पर उद्योग धंधों की बात सोच ही नहीं सकते हैं। चाहे गांधीवाद हो, सर्वोदयवाद हो या समाजवाद हो, कहीं हमारे प्रदेश के नियोजन में उद्योग धंधों को स्थान, करघे को स्थान और बुनकरों के ८ लाख परिवारों के बेकार न होने का स्थान कहां तक है, यह विचारने की चीज है । क्या मैं आशा करूं कि हमारी सरकार केवल बोर्ड के बनाने की ओर ही ध्यान नही देगी, बल्कि अति शीघ्र सरकार कदम उठायेगी ताकि ये बुनकर बेकार न हो सकें और हमारे प्रदेश का सब से प्राचीन उद्योग धंधा तरक्की करे और बेकारी का प्रश्न सामने न आये ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सदन के सामने प्रस्ताव है उसमें हमने चार माननीय सदस्यों को बोलते हुए सुना, लेकिन उसमें मैंने स्वयं ही देखा कि कमेटी की डिमांड है । आज देश में, आज प्रान्त में कोने-कोने में, जिस गली में निकलिये और जहां भी जाइये गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म चलता है कि गवर्नमेंट स्कीम तो हमेशा बनाती है, लेकिन यह सक्सेसफुल नहीं होती । अंग्रेजी की छोटी सी कहावत है कि "वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल

यू प्ले, दैट इज टु बी हैपी एंड गे" । आज मुल्क को काम करना है । महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि हम भारत में मैनचेस्टर नहीं बनाना चाहते । हम विदेशी कपड़ा पहिनेंगे लेकिन मिल अपने यहां नहीं खड़ा करना चाहते । हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार, हमारे देश के अनुसार, हमारे नेताओं के विचारों के अनुसार हम यहां कोई मिल नहीं चाहते । लेकिन, "कहता बहुते मिले कर्त्ता मिले न कोय" । कमेटियां बनाने से काम चलेगा नहीं । करघे और चरखे का प्रचार हो और चक्र सुदर्शन की तरह से वह काम करेगा ।

लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वार के जमाने में जिन भाव पर करघे का कपड़ा बिका है वह सबको मालूम है, छिपा नहीं है । अगर आज वाकई समाज में समता लाना है, देश की गरीबी दूर करना है, तो उसका प्रचार करना चाहिये । हमने हिसाब लगाया है कि २० या २५ रुपया से बेशी किसी करघे पर नहीं लग रहा है । हमारी सरकार ने लगभग एक करोड़ रुपया अपने बजट में रखा है इस उद्योग के लिये । हैन्डलूम कमेटी बनी हुई है । अगर उस कमेटी के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, तो हम यह समझेंगे कि सरकार पर हमारे माननीय सदस्य का विश्वास नहीं है, क्योंकि इसी सरकार ने इस कमेटी को बनाया है । होना यह चाहिये कि इस कमेटी से काम लिया जाय, इस कमेटी में जितने लोग हैं उनसे काम लिया जाय । हमारी यह कमजोरी है कि हम उससे काम नहीं लेते हैं । हम देखते हैं कि हमारे माननीय सदस्य लोग पीछे रह जाते हैं और शिकायत आ करके यहां करते हैं । जिले में प्रान्त में जहां भी आफिसेज हैं, जहां हमारा काम है, वहां हमें डट करके काम लेना चाहिये । हमको धीरे-धीरे गांवों में भी प्रचार करना है कि सब कुछ सरकार ही नहीं करेगी । हमको भी हाथ पैर मारना है, तभी देश का कल्याण होगा । यहां इतिहास की बात कही गयी । सन् १८५७ में या प्लासी की लड़ाई के बाद हमारे देश में कारीगरों के हाथ काटे गये, यह गलत बात नहीं है । जब हमारे करघे फूंके गये थे तब वे चन्द जुलाहों के ही घर रह गये थे ।

मैं हरिजन बन्धुओं से भी कुछ कहना चाहता हूं । हमने लोगों से पूछा कि तुम्हारा गुजारा क्यों नहीं होता है, तो वे कहते हैं कि तीन पैसे पर हमसे हल जोताया जाता है, फिर गुजारा कैसे हो । जब मैंने इसकी अनालेसिस की तो मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि हम लोग कपड़ा बुनते थे, लेकिन हमने इस व्यवसाय को त्याग दिया और केवल खेती पर रह गये । रोज लाल टोपी वाले नारा लगाते हैं कि जमीन का डिस्ट्रिब्यूशन कर दिया जाय, लेकिन अगर ३५ करोड़ आदमी खेती ही करने लगेंगे तो इससे देश का कल्याण नहीं होगा । आज आवश्यकता यह है कि जो टीचर है वह टीचर का काम करे । जो वकील है वह वकील का काम करे, जो कपड़ा बुनता है वह कपड़े का काम करे । सिर्फ गाल बजाने से काम नहीं चलेगा । आज दोपहर में एक सज्जन ने इसी कपड़े की बातचीत के सिलसिले में कहा कि इतनी मंहगी क्यों है । मैंने उनसे कहा कि मोटे कपड़े को पहनने की कोशिश कीजिये । एक समय था जब अंग्रेजों के लिये मांस, शराब और सिग्रेट विलायत से आती थी, लेकिन मैं आज हिन्दोस्तानियों को भी देखता हूं कि वे टाई बांधे और सूट पहने घूम रहे हैं । क्या इसके लिये भी गवर्नमेंट किसी से कहती है कि इसे पहनो । आखिर क्या-क्या गवर्नमेंट करे ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं । अभी हमारे शिवनारायण जी ने यह कहा कि सब अपना-अपना कार्य करें । मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि उनकी बिरादरी के जो रैदास लोग हैं वे अपना चमड़े का काम क्यों बन्द कर रहे हैं ?

श्री शिवनारायण—चमार हमारी जो बिरादरी है वह चमड़े का काम नहीं बन्द कर रही है बल्कि बड़े-बड़े ठाकुर, राजा और रानी लोग इस रोजगार को करने लगे हैं । वे हमसे इस रोजगार को छीन रहे हैं । दिल पर हाथ रखकर सोचिये । मखौल करने से काम नहीं चलेगा । आज कानपुर या आगरा में चलिये वहां बड़े-बड़े मुसलमान और दूसरे लोग इस रोजगार को कर रहे हैं । बड़े-बड़े लोग दो चार चमारों और

[श्री शिवनारायण]

खटिकों को रख लेते हैं और जो तत्व है उसको छीन लेते हैं और इसी की बदौलत लोग मोटे होकर घूम रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि हमें उस रोजगार को दे दिया जाय। हम ३५ रुपये की मास्टरी नहीं करना चाहते हैं। मुझे आपकी इस बात से शिकायत नहीं है बल्कि मैं इसका स्वागत करता हूं। हर आदमी आज एक दूसरे की चीज छीन लेना चाहता है। मैं ठाकुर साहब से कहना चाहता हूं कि आप हमें विश्वामित्र जैसे पंडित दीजिये जिनकी धोती आकाश में सूखती थी। हम तो पंडित जवाहर लाल नेहरू और पंडित गोविन्द बल्लभ पंत के पीछे चल रहे हैं। कहां हम उनको छोड़े हुये हैं ? हम उन ठाकुरों को मानते हैं जिन्होंने राणाप्रताप की तरह मुसीबत उठाई हो। ठाकुर हुकुम सिंह के एलेक्शन में ठाकुर ब्रिजेन्द्र सिंह जन संघ की तरफ से खड़े थे। (इंट्रप्शन) जो देश के सच्चे सिपाही हैं, जो देश के सच्चे नागरिक हैं, उनके साथ हम हैं।

श्री अध्यक्ष—आप व्यक्तियों के नाम मत लीजिये।

श्री शिवनारायण—बहुत अच्छा। हम चाहते हैं कि कर्घा गांव-गांव और घर-घर में फैल जाय। सरकार की एजेंसीज हर जगह फैली हुई हैं। हमारे कोआपरेटिव डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अध्यापक और प्लानिंग डिपार्टमेंट हैं। यह इसमें काफी सहायता कर सकते हैं। लेकिन आज हो तो यह रहा है कि लोग कुवां बनवाने के नाम से सीमेंट लेकर, आधा बाजार में बेंचकर खा जाते हैं। हमनें प्लानिंग आफिसर से कहा तो उन्होंने कहा कि लिखकर हमको दो हम तहकीकात करेंगे। हमारे एक भाई ने अमेंडमेंट दिया कि मिल का सामान बाहर भेज दिया जाय। अरे, कोई उसे खरीदने वाला भी तो हो या ऐसे ही आप भेज देंगे। यदि उन्होंने कह दिया कि भारतीय मिलों का बायकाट करो, तब आप क्या करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव हमारे सामने है कि कमेटी बनायी जाय तो मैं समझता हूं कि कमेटी की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन सरकार से मैं जरूर कहूंगा कि इसे संरक्षण दिया जाय और इसकी बढ़ोत्तरी की जाय, १ करोड़ के बजाय २ करोड़ सरकार करे। तो मैं गवर्नमेंट का वेलकम करूंगा और इसका प्रचार किया जाय। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि हम लोग गांधी जी की स्कीम को सफल बनावें।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हकीम साहब को इस प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के लिये हार्दिक बधाई देता हूं। यह एक ऐसा प्रस्ताव आज हमारे सामने है कि इस सदन में अनेकों प्रस्ताव आते हैं, अनेकों नियम बनते हैं और उनके विरोध एवं समर्थन में काफी वादाविवाद हो जाता है, लेकिन आज बड़ी खुशी है कि इस प्रस्ताव का सभी ने हृदय से स्वागत किया है। हम सभी ने सदैव करघे से प्रेम रखा है, क्योंकि हम लोग शुद्ध खद्दर पहनने वाले हैं, जो कि करघे से ही तैयार होता है। किन्तु केवल हम लोगों के ही खद्दर पहनने से तो करघे को पूरा प्रोत्साहन नहीं मिल जाता। हम लोग अपने तक ही सीमित रह जाते हैं, हमारे घरों में जितना कपड़ा व्यय होता है लगभग वह सब मिल का ही बना होता है। हमारी सरकार का यह ध्येय है कि हम भुखमरी को मिटावेंगे और गरीबी को दूर करेंगे। इस समस्या को हल करने में कर्घा काफी सहायक हो सकता है। करघे से जितना भी कपड़ा तैयार होता है, वह मैं समझता हूं कि तमाम बाधाओं के सामने होते हुये भी आज मिल के कपड़े के मुकाबले में बाजार में सस्ता ही मिलता है और हर तरीके से उपलब्ध है। इस करघे की ही बदौलत कंट्रोल के जमाने में हमारे देश की जनता को तन ढकने का सहारा मिल सका है वरना नहीं मालूम कितनों की किस तरीके से बेइज्जती होती बिना कपड़े के। मिल के बने हुये कपड़े की तरफ चित्त आकर्षित होता है और उसको अच्छा देखकर उसे मनुष्य पसंद करता है, करघे के द्वारा भी जितना कपड़ा बनता है अगर करघे को अच्छी तरह से सूत मिलता रहे और सूत मिलने में उसको कोई बाधा न हो तो उससे एक से एक अच्छा कपड़ा बुना जा

सकता है। प्राचीन कपड़ों के संबंध में हमारे सामने मिसालें आईं, ढाका की मलमल की मिसाल हमारे सामने आई। मैं यह कहता हूं कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज भी हमारे यहां करघे से ऐसी ऐसी चीजें बनती हैं जिनका मुकाबला मिलें कभी नहीं कर सकतीं। मदुरा की साडियां और बनारस की साडियां करघे द्वारा ही तैयार होती हैं। उनकी कीमत के मुकाबले में मिलों की चीजें ठहर नहीं पातीं।

इस करघे से संबंध रखने वाले बहुत से व्यक्ति हमारे प्रदेश में हैं। हमारे देश में इसके लिये विशेष रूप से जातियां मुकर्रर हैं। कोरी और जुलाहों का तो जीवन इसी पर निर्भर करता है। लेकिन उनको सूत नहीं मिलता और उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता जिसके कारण वह बहुत बेकार हो रहे हैं और उन में काफी गरीबी छाई हुई है। उनके करघे कामयाब नहीं हो पाते हैं और वह अपने इस काम से आज ऊब रहे हैं और उसे छोड़कर दो चार पैसे की मजदूरी के लिये इधर-उधर दौड़ते हैं। ऐसी हालत में अगर करघे संभाल लिये जाते हैं तो देश की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है।

मैं समझता हूं कि यदि सरकार अपनी पूरी चेष्टा के साथ ध्यान दे तो यह एक ऐसा प्रश्न है--कुटीर उद्योग के संबंध में--कि भूमि व्यवस्था के बाद सबसे पहले इधर ही ध्यान जाना चाहिये क्योंकि जैसा कि माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा कि अगर हम उद्योग की तरफ चेष्टा नहीं करते हैं तो सबकी मांग केवल जमीन की ही रह जायगी और जमीन के द्वारा ही सबका जीविकोपार्जन किया जा सकना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में करघों को प्रोत्साहन देने के ठोस कदम उठाने के लिये सरकार से हमारा निवेदन है। करघों को कुचलने के लिये जो मिल मालिक षडयंत्रकारी नीति से काम करते हैं उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। उनका इस बात के लिये सतत प्रयत्न रहता है कि करघा कामयाब न हो पाये और उनको सूत न मिलने पाये और अगर मिले भी तो इतना महंगा मिले कि वह हमारे कपड़े से सस्ता कपड़ा न दे सकें। जब हम सोचते हैं तो हमारे सामने विकट समस्या उत्पन्न होती है जिसको हमें हल करना पड़ेगा। यदि करघों के उद्योग में हम सफल हो जाते हैं तो हमारे उद्देश्यों की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसको प्रोत्साहन देने में काफी ठोस कदम उठाये और काफी प्रयोग के साथ-साथ इसमें संलग्न हो।

उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने है उससे सरकार पूरी-पूरी हमदर्दी रखती है और उससे हमदर्दी होनी भी चाहिये क्योंकि हमारे प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी की गुजर बसर इस उद्योग पर है। करीब ८ लाख आदमियों की गुजर-बसर इससे होती है। इसलिए जो कोई बात करघे के सिलसिले में की जाय, जाहिर है कि पूरी तवज्जूह के साथ और हमदर्दी के साथ सरकार उसको सुनेगी। लेकिन बावजूद इस हमदर्दी के मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस रिजोल्यूशन को मंजूर नहीं करती है। इसकी वजह यह नहीं है कि कोई ऐसी चीज इसके अन्दर है जिसकी मुखालिफत करनी है बल्कि उसकी वजह यह है कि यह जो प्रस्ताव है उसकी जरूरत नहीं है।

जो काम इस प्रस्ताव के जरिये चाहा जा रहा है, वह हो रहा है। इस प्रस्ताव के दो हिस्से हैं। एक तो यह कहा गया कि करघों को प्रोटेक्शन दिया जाय तो इस सिलसिले में कार्रवाई हो रही है। यहां से सरकार की तरफ से केन्द्रीय सरकार को यह लिखा गया है कि १६ और २० नम्बर सूत के लिये ऐसा किया जाय कि मिलें कपड़ा न बना सकें और सिर्फ करघे के काम में २० नम्बर का सूत आये।

माननीय तिवारी जी ने जैसा कहा कि यहां जो रिजर्वेशन दिया गया है उससे हमारे कर्घा उद्योग को कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा है यह बात सही है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहां ज्यादातर मारकीन और गाढ़ा बनता है और यही चीजें मिल में बनती हैं, धोतियां यहां कम बनती हैं। इस वजह से कर्घे को कुछ बहुत फायदा

[श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री]

नहीं पहुंच रहा है। लिहाजा सरकार की तरफ से केन्द्रीय सरकार को यह कहा जा रहा है कि गाढ़ा और मारकीन जिसमें २० नम्बर का सूत इस्तेमाल होता हो उसको करघे के लिये सुरक्षित कर दिया जाय। तो जहां तक इसका ताल्लुक है उसके लिये कोई समिति बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह काम किया जा रहा है। दूसरे जहां तक कर्घा उद्योग को तरक्की देने का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में एक मुस्तकिल स्कीम सरकार चालू करना चाहती है। इसके अलावा यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि हकीम बशीर साहब ने कहा कि जो हैंडलूम बोर्ड बना है उससे उनको कोई उम्मीद नहीं रही, जो और कमेटी बनी है उससे भी उनको कोई उम्मीद नहीं रही तो अगर उनसे उनको कोई उम्मीद नहीं रही तो उस कमेटी से जिसको बनाने के लिये उन्होंने प्रस्ताव रखा है वह कैसे कोई उम्मीद कर सकते हैं। उस कमेटी से भी वह नाउम्मीद हो सकते हैं इसलिये कि अगर वह उनके मेम्बरों को देखें तो १७ गैर सरकारी मेम्बर हैं हैंडलूम बोर्ड में और उनमें से हर एक का कर्घा उद्योग से ताल्लुक है या उससे बहुत ज्यादा हमदर्दी रखता है। जहां तक अफसरों का सवाल है वह खुद भी तजवीज रखते हैं कि डायरेक्टर आफ काटेज इंडस्ट्रीज उस कमेटी के मेम्बर हों। तो इसलिये कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जिसकी वजह से एक जायद कमेटी कायम कर दी जाय जब कि हैंडलूम बोर्ड इसी ग़रज़ से कायम हुआ है। अभी उसकी एक ही मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में कुछ तजवीजें आयीं हैं। अभी से उससे नाउम्मीद होने की कोई वजह नहीं मालूम होती। अगर कुछ दिनों के बाद जब यह हैंडलूम बोर्ड काम कर चुका होता तब यह प्रस्ताव आता तो कुछ बात समझ में आ सकती थी कि वह अपने मक़सद में कामयाब नहीं हुआ जिसकी वजह से वह समझते हैं कि एक और कमेटी बनायी जाय। मगर इस वक्त उनकी यह तजवीज कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं मालूम होती। मैं बशीर अहमद साहब से आपके जरिये, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि जो बहुत ज्यादा नाउम्मीदी उनके ऊपर छाई हुई है उसको वह कुछ दूर करें। पहले उनको इस बात पर ग़ौर करना चाहिये कि आखिर कर्घा उद्योग की दिक्कतें क्या हैं और वह किस सूरत से दूर की जा सकती हैं। अगर वे दिक्कतें महज़ एक समिति बनाने से दूर हो सकें तो एक नहीं बल्कि दो समितियां बनाने के लिये सरकार तैयार हो जायगी लेकिन समिति से कुछ नहीं होता। असल में दिक्कत यह है, जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि सूत मिलें बनाती हैं और वे कपड़ा भी बुनती हैं। तो इसलिये जिस ज़माने में कपड़े की मांग ज्यादा होती है तो कर्घे वालों को सूत कम मिलता है और जिस ज़माने में कपड़े का बाजार मंदा हो जाता है उस ज़माने में कर्घों को सूत मिलता है। दूसरी दिक्कत यह है कि उन मिलों से मुकाबिला करना है खास कर कम्पोज़िट मिलों से जिनके यहां से सूत आता है उनको सस्ता मिल जाता है और कर्घे वालों को जैसा कहा गया १५, २० फीसदी मंहगा मिलता है। तो एक दिक्कत तो प्राइस कम्पटीशन की है और दूसरे कच्चा माल मिलने की और तीसरी दिक्कत फाइनेन्स की होती है। जैसा कि अभी कहा गया और वैसे भी हमारे सदन के जितने सदस्य हैं वे जानते हैं कि कर्घा रोज़गार जिन लोगों का है वे बहुत अमीर नहीं हैं, वे ग़रीब हैं। इसलिये उनको फाइनेन्स की दिक्कत होती है। ये तीन सवाल कर्घा उद्योग के सामने हैं और इन तीन सवालों का हल होने पर कर्घा उद्योग की तरक्की या तनज्जुली का इनहिसार है।

जहां तक उनको सूत देने का सवाल है जैसा कि पहले किसी ज़माने में यह हो जाता था कि सूत किसी वक्त नहीं मिलता था, जैसी कि शिकायत बशीर अहमद साहब ने की उसके बाद कभी ऐसा भी ज़माना आता था जब कि सूत इतना होता था कि

उसका लेने वाला कोई नहीं होता था, जैसा कि आज कल है इसलिये यह जरूरी समझा गया कि ऐसी सूरत अख्तियार की जाय कि सूत का जो बाजार है, जो उत्पादन है, उसके ऊपर अगर हम असर न डाल सकें तो कम से कम यह तो कर सकें कि उसकी कीमत पर असर डालें। इस नयी स्कीम में यह तय किया गया है कि एक स्पिनिंग मिल कायम की जाय जिसमें गवर्नमेंट, कोआपरेटिव व प्राईवेट लोगों के शेअर्स हों। उसके जरिये यह तो नहीं होगा कि करघा वालों को सूत पूरा-पूरा दिया जा सके, लेकिन यह जरूर हो जायगा कि उसकी वजह से हम दामों पर कंट्रोल रख सकेंगे। इस मिल के अलावा हम चार रीजनल यूनिट्स और कायम कर रहे हैं जिनके जरिये से कुछ थोड़ी हद तक सूत करघों को दिया जा सकता है और बाजार पर असर डाला जा सकता है।

इसके अलावा इस स्कीम में यह भी रखा गया है कि हम सूबे में काफी तादाद में सोसाइटीज बनायें और जल्दी ही कम से कम १२५ सोसाइटीज कायम कर दें जिनके जरिये से सूत इकट्ठा लिया जाकर तकसीम किया जा सके। इस तरीके से मिल मैन का प्राफिट कम हो सकता है।

अब सवाल रहा फाईनेंस का। इस सिलसिले में कोआपरेटिव आर्गेनाईजेशन तवज्जह दे रहा है और अपेक्स आर्गेनाइजेशन कायम किया जा रहा है और उनके जरिये से करघा वालों को फाईनेंस किया जायगा और अब जैसा कि कहा जाता है कि करघे वालों को मजदूर बनाया जा रहा है, इसके जरिये से यह कोशिश की जायगी कि कोआपरेटिव सोसाइटीज ही सूत को तकसीम करें, माल को तैयार कराकर उसकी निकासी का बन्दोबस्त करें।

मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस सूरत से अपनी चीज को बाजार में बेचा जाय। जहां तक ऐडवर्टिजमेंट का सवाल है, करघे वाले बहुत गरीब होते हैं इसलिये वे गरीबी की वजह से एडवर्टाइज नहीं कर पाते। उसके लिये भी इन्तजाम हो रहा है कि उनका ऐडवर्टिजमेंट काफी हो। हमारी कलकत्ता और बम्बई में इस किस्म की दूकानें हैं जहां पर बाहर के लोगों को अपने यहां के सामान को बता सकते हैं, उनके हाथ उस सामान को बेंच सकते हैं। यह भी तजवीज है कि बाहर के मुल्कों में वहां से आदमी भेजे जायं जो वहां जाकर आर्डर्स हासिल करें। जो आर्डर्स वे लायेंगे उसी पर उनको कमीशन दिया जायगा। ताकि महज तनख्वाह बनाने के ख्याल से लोग बाहर न जायं।

मेरा कहने का मतलब यह है कि करघे बढ़ाने के सिलसिले में जो हमारी १ करोड़ रुपये की स्कीम है बशीर अहमद साहब उसको पढ़ें और अगर उसमें कोई सुझाव हो तो उसको हैंडलूम बोर्ड के सामने रखें। मक़सद यह है कि जो भी स्कीम आये उसको वह देखें और वक्तन फवक्तन सुझाव दें जिससे किसी तरह से भी करघों की उन्नति हो। जो चीजें उन्होंने अपने मक़सद को हासिल करने के लिये की है वही सरकार की ओर से भी की जा रही है। जब दोनों का मक़सद एक ही है तो फिर एक दूसरी नयी कमेटी बना कर ख्वामख्वाह काम बढ़ाने और दिक्कत मोल लेने की जरूरत मालूम नहीं देती। उनका जो भी मक़सद हो सकता है उसको तो हम कर ही रहे हैं और हम कोआपरेटिव के जरिये उनके लिये सूत बांटने का इन्तजाम, कपड़ा बेंचने का इन्तजाम, कर्जा देने का इन्तजाम यह सब कुछ कर ही रहे हैं। और उनके रिजर्वेशन का जहां तक सवाल है उसमें भी सरकार की तरफ से कार्यवाही हो रही है। तो उसके बाद इस कमेटी की जरूरत बाकी नहीं रहती। सरकार को हमदर्दी है, लेकिन वह इस तजवीज को इसलिये कबूल नहीं कर सकती और इसलिये मैं बशीर अहमद साहब से दरख्वास्त करता कि अपने प्रस्ताव को वे वापस ले लें।

[श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री]

जो संशोधन पेश हुये हैं वे भी अगर प्रस्ताव वापस हो जाता है तो अव्वल तो वे वापस हो ही जावेंगे लेकिन उनमें भी बातें ऐसी हैं जिनको मंजूर नहीं किया जा सकता। जब ऐसी तजवीज की जावे तो यह ख्याल रखना चाहिये कि क्या चीज ऐसी है जिसको प्रदेशिक सरकार कर सकती है और क्या चीज है जिसको यह नहीं कर सकती और जिसका ताल्लुक केन्द्रीय सरकार से है। एक माननीय सदस्य ने जैसे यह कहा कि सूती मिलें नेशनलाइज कर ली जायें तो इस गवर्नमेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा हमारा जो प्लानिंग कमीशन है उसने एक पंचसाला प्लान दिया है और उसमें प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स को अलहदा अलहदा कर दिया है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इस सरकार की कोई फिक्स्ड पालिसी नहीं है और वह यह नहीं करती कि क्या-क्या बातें प्राइवेट सेक्टर्स की हैं और क्या-क्या पब्लिक सेक्टर्स में आनी चाहिये। वह बातें तो हो चुकीं और अब जो कहा जाता है कर दिया जाय उसका मतलब क्या हो सकता है। वह तो हो चुकीं।

इसके बाद में बशीर अहमद साहब से कहूंगा कि जो काम उन्होंने बतलाया है वह तो हो रहा है और तेजी से होगा और उनके जो सुझाव हों वे हैंडलूम बोर्ड को भेज दें और वह उन पर पूरा ध्यान देगा। इसके बाद मैं उनसे फिर अपील करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन मिलों ने ४५ इंच अर्ज का कपड़ा बनाने में धोती वाले प्रोटेक्शन क्लाज को वायलेट किया है क्या उनके खिलाफ कोई ऐक्शन लिया जा रहा है।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—उन्होंने उस कायदे को वायलेट नहीं किया है सिर्फ उसको ट्विस्ट किया है। जैसे धोती के लिये रिजर्वेशन था अब उसका उन्होंने थान बना दिया। तो कायदे की कोई खिलाफवर्जी नहीं हुई और इसलिये कार्यवाही भी नहीं की जा सकती।

श्री बशीर अहमद हकीम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव रखा था वह बहुत लम्बा चौड़ा था लेकिन उसका मकसद सिर्फ यह था कि मैं हुकूमत की तवज्जह इस तरफ मबजूल करा सकूं कि वह करघा उद्योग के लिये कुछ करे। मैं यह भी अर्ज करूंगा कि मैंने कर्मचारियों पर जो तुक्ताचीनी की है उधर जरूर ध्यान दिया जाय। एक बात मैं कह चुका हूं और फिर कहता हूं कि यह जो फैक्टरी पर लाखों रुपया खर्च किया जायगा इससे कर्घा उद्योग को कोई फायदा नहीं होगा; उसके लिये कोई ऐसी स्कीम और बनानी पड़ेगी कि जिससे कर्घा उद्योग को और ज्यादा फायदा पहुंचे। बहरहाल, अब मैं उम्मीद करूंगा कि जैसा अभी बतलाया गया है कि गवर्नमेंट इसके लिये तैयार है। वह कुछ कर रही है। करना चाहती है। यह सदा तो बहुत दिनों से सुनने में आ रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इस तरफ तवज्जह होगी। इसलिये अब मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं और जैसा कि मैंने पहले कहा था इस प्रस्ताव का मंशा भी यही था कि मैं हुकूमत को थोड़ी सी तवज्जह दिला दूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्या सदन इस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति देता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:—

पक्ष में— १२२
विपक्ष में—१४।)

गांवों में दगड़े बनाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं—

इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के एक गांव से दूसरे गांव का सम्बन्ध रास्तों तथा दगड़ों जिनके द्वारा बैलगाड़ी तथा मोटर एक साथ आ जा सके, हो जाना आवश्यक है। अतः ऐसे पुराने दगड़े जिन्हें अगल-बगल के खेत वालों ने काट-छांट कर तंग या टेढ़ा कर दिया है नपवाकर दगड़ों (खोरों) की शक्ल में तुरन्त कर दिया जाय और यदि कहीं ऐसी खोरें (दगड़े) न हों तो पहाड़ी स्थानों को छोड़कर सम्पूर्ण प्रदेश में यथासम्भव एक गांव से दूसरे गांव के बीच दगड़े तुरन्त निकलवा दिये जांय जिनकी चौड़ाई कम से कम ४ गज हो।

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण अगले असरकारी दिन को जारी रखेंगे।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता था कि इतना निर्विवाद यह प्रस्ताव है कि अगर १५ मिनट का समय बढ़ा दिया जाय तो उसी में इसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप प्रस्ताव पेश करें समय बढ़ाने का।

श्री गेंदा सिंह—जी हां, मैं समय बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर सोमवार, ३० मार्च, १९५३ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२७ मार्च, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४८ पर)

कैदी संख्या	अपराध धारा		
४	धारा	१०७/११७	सी० आर० पी० सी०
४१	"	१०९	"
२	"	११०	"
१७	"	३०२	आई० पी० सी०
२०	"	४५८	"
४	"	३७९/४११	"
२	"	३७९	"
४	"	३७९/३०२/ २२५	"
९	"	३९७/३९५	"
४	"	४५७	"
२	"	३८०	"
१३	"	३९९/४०२	"
१	"	४५२/३०७	"
११	"	३०४	"
२	"	४५४	"
२	"	३९६	"
१	"	३७६	"
४	"	१४७/३२३	"
२	गैम्बलिंग ऐक्ट		
१	म्यूनेसी ऐक्ट		
१	ओपियम ऐक्ट		
२	आर्म्स ऐक्ट		
कुल . . १४९			

अध्यक्ष पटल सभा

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४६ पर)

सन् १९५२–५३ के वर्ष में उत्तर प्रदेश के राजस्व से सुल्तानपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों के अनुदान प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं की तालिका—

सुल्तानपुर	रु०
१—शिव सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला, बिलवाई	१,२००
२—कमलाकर विद्यालय, लेहरामऊ	१,२२४
३—हनुमत संस्कृत पाठशाला, विजैयुआ, महावीर पो० आ० पीकरपुर	७३२
४—श्रीमत परहंस संस्कृत विद्यालय, जिकोरमई, पो० आ० भावर	९४८
५—हिन्दू संस्कृत विद्यालय, भारतीपुर पो० आ० भडैया	६३६
६—राजकीय संस्कृत पाठशाला, कुन्दवार	६९६
७—राजकीय संस्कृत पाठशाला, पो० आ० दियरा	३४८
८—देवी पाटन संस्कृत पाठशाला, अमेठी	५१६
९—गौरीशंकर संस्कृत पाठशाला, सिगरी, त्रिसुंडी, सुल्तानपुर	३३६
१०—बलदेवदास हनुमत संस्कृत पाठशाला, उनुरखाकुटी, हमीदपुर, सुल्तानपुर	३१२
११—संस्कृत मंच विद्यालय, कौहारमल, शाहगढ़, सुल्तानपुर	३९६

प्रतापगढ़	
१—रघुराज संस्कृत पाठशाला, बेटी	१,२६०
२—अजित सोमवंशीय संस्कृत पाठशाला, सुखपालनगर	४८०
३—वाराही संस्कृत पाठशाला, रानीगंज	७३२
४—मुनेश्वर संस्कृत पाठशाला, गौरी, माफी	८७६
५—श्रीकृष्ण रामानुज संस्कृत विद्यालय, पूरे ब्रह्मचारी हम्डोर, पो० सगरा	४२०
६—राधाकृष्ण गौरीशंकर संकीर्तन संस्कृत विद्यालय, कूराडीह, रानीगंज	६८४
७—बी० एन० मेहता संस्कृत विद्यालय	८१६
८—रामाधार स्मारक श्री विष्णु संस्कृत पाठशाला, पूरेकण्डी, पो० लक्ष्मीकान्त	६००
९—संस्कृत पाठशाला, लक्ष्मीकान्त गंज	६७२
१०—जाह्नवी संस्कृत पाठशाला, कालाकांकर	३६०

लोकसभा सचिवालय

मत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८७ व ८८ के उत्तर पीछे पृष्ठ २५५ पर)

पद	वेतन की दर	प्रथम नियुक्ति की तारीख
१—असिस्टेंट रजिस्ट्रार आफ ट्रेड यूनियन	३००+२५–६००	११–१–४७
२—ट्रेडयूनियन इन्स्पेक्टर	२५०–८५०+३५ सी० ए०	२६–७–४७
३—असिस्टेंट ट्रेडयूनियंस इन्स्पेक्टर	२००–३५०+२५–सी० ए०	१४–११–५०
४— " "	" "	१४–११–५२
५—रिटर्न असिस्टेंट	१२०–३००	२०–११–५२
६—हेड क्लर्क	८०–२४०+३० विशेष वेतन	१७–९–४६
७—स्पेशल क्लर्क	८०–२४०	२६–५–४८
८—सीनियर असिस्टेंट	८०–२४०	१८–१२–५२
९— " "	" "	१८–१२–५२
१०— " "	" "	१८–१२–५२
११—रिटर्न्स असिस्टेंट	८०–१४०	१–४–४९
१२—ट्रेड यूनियन असिस्टेंट	८०–१४०	१–७–४७
१३—स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार	१००–२४०	१–८–४७
१४—स्टेनोग्राफर ट्रेड यूनियन इन्स्पेक्टर	७५–१५०	१०–१२–५२
१५—रिफरेंस क्लर्क	६०–१००	२०–८–४७
१६—कम्पाइलेशन असिस्टेंट	८०–१४०	१८–१२–५२
१७—टाईपिस्ट	६०–१००	२३–७–५१
१८— "	६०–१००	२०–१२–५२
१९— "	६०–१००	२३–१२–५२
२०—डिस्पेंचर	६०–१००	३१–३–५२
	चपरासी	
१—आरडरली, असिस्टेंट रजिस्ट्रार	२५–३०	१६–५–४७
२—आरडरली ट्रेड यूनियन्स इन्स्पेक्टर	२५–३०	२८–८–४७
३—आडरली ट्रेड यूनियन्स इन्स्पेक्टर	२५–३०	२९–१२–४७
४—पियून	२५–३०	१६–९–४७
५—पियून	२५–३०	१०–१०–४७

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५६ पर)
जिला मुजफ्फरनगर में १-१-५२ से ३१-१२-५२ तक होने वाली डकैतियों का विवरण

क्रम संख्या	स्थान जहां डकैती हुई	डकैती की तिथि
१	मोघपुर	२१/२२-१-५२
२	बाजीदपुर	२८/२९-१-५२
३	मारपुर	८/९-२-५२
४	बसी खुर्द	४/५-३-५२
५	परासोली	७/८-३-५२
६	खिलावड़ा	२५/२६-३-५२
७	बनेड़ा जट	१२/१३-४-५२
८	शुक्रतारी	२१/२२-४-५२
९	सूली	३०-४-५२
१०	खिलावड़ा	१०/११-७-५२
११	मटना बली	२२/२३-७-५२
१२	लांक	२३-९-५२
१३	अलीपुर अटेरना	१-१०-५२
१४	चन्देना	५-१०-५२
१५	मैसानी	२०-१०-५२
१६	काजीपुरा	३०-१०-५२.
१७	नगला राय	१/२-१०-५२

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५७ पर)

सन् १९५०-५१ में बुलन्दशहर जिले के जिन विद्यार्थियों को राजनैतिक पीड़ितों वाली छात्रवृत्ति तथा पुस्तकों के लिए अनावर्त्तक अनुदान स्वीकृति की गई थी उनकी सूची-

क्रमांक	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	संस्था का नाम	द्रव्य प्रतिमास
१	विरेन्द्रनाथ	१०	डी० ए० वी० कालेज, बुलन्दशहर	१२ रु० प्रतिमास
२	शकुन्तला	६	बी० राजकीय बालिका विद्यालय (ए० मा०) बुलन्दशहर	८ रु० "
३	ओमप्रकाश	८	हाई स्कूल सयाना, बुलन्दशहर	८ रु० "
४	अमरनाथ	८	राजकीय उ० मा० विद्यालय बुलन्दशहर	८ रु० "
५	अवधेश	६	" " "	८ रु० "
६	महाबीर सिंह	१	प्राइमरी स्कूल, खजौर, बुलन्दशहर ग्राम तथा प्रचालय सलार	५ रु० पुस्तकों के लिये
७	राजबीर सिंह	३	" " "	५ रु० "
८	धर्मपाल सिंह	३	प्राइमरी स्कूल, शाहाबाद, बुलन्दशहर	५ रु० "
९	रमेशचन्द्र त्यागी	३	बी० एल० जूहा, स्कूल डंकन, बुलन्दशहर	५ रु० पुस्तकों के लिये
१०	एस० अली० कौसर	१२	विज्ञान डी० ए० वी इंटरकालेज, बुलन्दशहर	४० रु० पुस्तकों के लिये
११	दया सागर	११	एन० आर० ई० सी० कालेज, खुरजा बुलन्दशहर	२० रु० प्रतिमास

सन् १९५१-५२ में बुलन्दशहर जिले के जिन विद्यार्थियों को राजनैतिक पीड़ितों वाली छात्रवृति स्वीकृत की गई थी उनकी सूची-

क्रमांक	विद्यार्थियों का नाम	कक्षा	संस्था का नाम	द्रव्य प्रतिमास
१	विरेन्द्र नाथ	११	डी० ए० वी० कालेज, बुलन्दशहर	२० रु० प्रतिमास
२	दया सागर	१२	एन० आर० ई० सी० कालेज, खुरजा, बुलन्दशहर	२० रु० "
३	अवधेश नाथ	७	राजकीय उ० मा० विद्यालय बुलन्दशहर	८ रु० "
४	बहोरीलाल गुप्ता	१२	विज्ञान एन० आर० ई० सी० कालेज खुरजा, बुलन्दशहर	२० रु० "

जिन विद्यार्थियों ने अपने प्रार्थना-पत्रों में स्थानीय पता नहीं दिखलाया था उनके स्कूल का पता सूची में दिखलाया गया है।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ २६२ पर)

४ मार्च १९५३ को उत्तर प्रदेश विधान सभा में सर्वश्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी तथा जगन्नाथ मल्ल के व्यवहार व आचरण पर आधारित विशेषाधिकार प्रश्न से संबंधित विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन ।

अध्याय १

घटना जिसके फलस्वरूप विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठा

४ मार्च, १९५३ को प्रश्नों का समय समाप्त होने के बाद विरोधी दल के नेता श्री राजनारायण ने श्री अध्यक्ष से इस बात की अनुज्ञा मांगी कि अध्यापक सत्याग्रहियों को विधान भवन के सामने से पुलिस द्वारा हटाये जाने के विषय में वे एक काम रोको प्रस्ताव उपस्थित कर सकें । श्री अध्यक्ष ने प्रस्ताव को नियमानुकूल बताया और वांछित अनुज्ञा नियम ६८ के अनुसार देकर श्री राजनारायण से कहा कि वे नियम ७१ (१) के अन्तर्गत सदन से अनुज्ञा मांगें । श्री राजनारायण ने अपने प्रस्ताव को पढ़ा और सदन से अनुज्ञा मांगते हुए उसके पक्ष में बोले । तब गृह मंत्री ने खड़े होकर अनुज्ञा देने में आपत्ति की । तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने कहा कि जो सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हों वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें, ताकि वे यह मालूम कर सकें कि अनुज्ञा देने के लिए ३६ सदस्यों का समर्थन प्राप्त है या नहीं । इस पर श्री नारायण दत्त तिवारी ने श्री अध्यक्ष से प्रार्थना की कि उनको नियम ७१ स्थगित करने के लिए नियम २२१ के अन्तर्गत प्रस्ताव लाने की अनुमति दी जाय । नियम ७१ के अनुसार यह आवश्यक है कि ऐसे प्रस्ताव की अनुमति देने के लिये कम से कम ३६ सदस्य खड़े हों ।

श्री नारायण दत्त के इस प्रस्ताव को श्री अध्यक्ष ने उपस्थित करने की अनुमति नहीं दीं, क्योंकि नियम १५३(३) के अन्तर्गत बजट के दिन, प्रश्न पूछने तथा उनके उत्तर देने के अतिरिक्त और कोई अन्य कार्य श्री अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता । तथापि श्री अध्यक्ष ने यह कहा कि पांच बजे के बाद अनुदानों की मांगों पर मतदान समाप्त हो जाने पर यह प्रस्ताव लिया जा सकता है । परन्तु श्री राजनारायण ने इस बात पर हठ किया कि श्री नारायणदत्त तिवारी के प्रस्ताव पर तत्काल विचार होना चाहिये । क्योंकि उनके दल के लिये यह संभव न था कि काम रोको प्रस्ताव के पक्ष में ३६ सदस्यों को खड़ा कर सकें । श्री अध्यक्ष ने पुनः श्री राजनारायण का ध्यान आकर्षित किया कि इस समय श्री तिवारी जी के प्रस्ताव का लिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि यह दिन मांगों पर मतदान के लिये निश्चित है और श्री राजनारायण जी को तीन बार बतलाया कि वे सदन के कार्य में इस प्रकार बाधा न डालें । श्री अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जब श्री राजनारायण जी अपने काम रोको प्रस्ताव के पक्ष में ३६ वोट भी नहीं पा सकते तो वे सदन में बहुमत कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिये लगभग १५० सदस्यों के वोट की आवश्यकता है । श्री अध्यक्ष ने श्री राजनारायण से बैठ जाने के लिये चार बार कहा, परन्तु वे नहीं बैठे । जब श्री नेकराम शर्मा ने वैधानिक आपत्ति उठायी तब भी वे न बैठे । तब श्री अध्यक्ष ने उनको सदन से बाहर चले जाने की आज्ञा दी । श्री राजनारायण ने उस का पालन नहीं किया । श्री अध्यक्ष ने अपनी आज्ञा को दो बार दुहराया किन्तु श्री राजनारायण खड़े रहे और बोलते ही रहे । तब श्री अध्यक्ष ने श्री राजनारायण के इस दुराग्रहयुक्त बर्ताव की ओर सदन का ध्यान दिलाया और आदेश दिया कि उनको न्यूनतम बल का प्रयोग करके सदन से बाहर निकाल दिया जाये । तदनुसार पुलिस को बुलाया गया किन्तु श्री राजनारायण सदन में पालथी मार कर बैठ गये और पुलिस को उन्हें उठा कर बाहर ले जाना पड़ा ।

२—श्री राम नारायण त्रिपाठी ने भी लगभग इसी प्रकार का व्यवहार किया । उन्होंने श्री राजनारायण द्वारा की गयी प्रार्थना को दुहराना आरम्भ किया । उनसे भी पहले तो बैठने

के लिए कहा गया, परन्तु उन्होंने न माना और बोलते रहे। श्री अध्यक्ष ने पूछा कि क्या उसी प्रकार आप भी सदन को छोड़ देना चाहते हैं और श्री त्रिपाठी ने उत्तर दिया कि मैं भी सदन छोड़ने के लिए मजबूर हूं। इसलिए उनको भी श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन से बलपूर्वक हटा दिया गया।

३—श्री जगन्नाथ मल्ल खड़े हुये और उन्होंने भी इसी प्रकार दुहराया। उन्होंने भी आरम्भ में श्री राजनारायण वाली प्रार्थना को बार-बार दुहराया और श्री अध्यक्ष के यह आदेश देने पर भी कि आप बैठ जाइए और भाषण बन्द कीजिए उन्होंने न माना। उनको भी सदन से हटा दिया गया। श्री जगन्नाथ मल्ल ने ऐसी भाषा का भी प्रयोग किया जिससे सदन में श्री अध्यक्ष के आचरण पर पक्षपात का आरोप लगता था।

अध्याय २

विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट प्रश्न

४—श्री राजनारायण और श्री रामनारायण त्रिपाठी के हटाये जाने के बाद ही श्री अध्यक्ष ने उन दोनों के अवज्ञापूर्ण व्यवहार का हवाला दिया और कहा कि उनके आचरण से स्पष्ट रूप से सदन के विशेषधिकार की अवहेलना होती थी। इसलिये श्री अध्यक्ष ने उनके मामले जांच पड़ताल तथा रिपोर्ट के वास्ते उत्तर प्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम ६७ के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को सौंप दिये। अगले दिन ५ मार्च को श्री अध्यक्ष ने उन सदस्यों के उच्छृंखल बर्ताव के लिए उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के विषय में प्रस्तावित श्री रामप्रसाद देशमुख के संकल्प का हवाला सदन में दिया। उन्होंने यह आज्ञा दी कि श्री राजनारायण तथा श्री रामनारायण त्रिपाठी के साथ-साथ श्री जगन्नाथ मल्ल के ४ मार्च के आचरण की भी जांच पड़ताल कर विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट दे।

५—विशेषाधिकार समिति की पहली बैठक ७ मार्च, १९५३ को दिन के ११ बजे हुई। सभापति श्री हर गोबिन्द पंत के अतिरिक्त सर्वश्री चरण सिंह, राधामोहन सिंह, महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, जुगुल किशोर, गेंदा सिंह और महाराजकुमार बालेन्दुशाह उपस्थित थे। श्री फूल सिंह, श्री अब्दुल मुईज खां और श्री लीलाधर अष्ठाना अनुपस्थित रहे। समिति ने मामले की प्रारम्भिक बातों की चर्चा की और इस विषय पर भी विचार किया कि किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाय। कई सदस्यों ने यह पूछा कि जो बातें समिति को सौंपी गयी हैं उनसे वास्तव में विशेषाधिकार की अवहेलना होती है या नहीं। सदस्यों ने इस प्रश्न पर अपने व्यक्तिगत मत दिये और अन्त में यह निर्णय हुआ कि जिन सदस्यों के विरुद्ध शिकायत हुई है उनके बयान लेने के बाद ही इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। तब बैठक १७ मार्च, १९५३ तक के लिए स्थगित की गयी।

६—विशेषाधिकार समिति की दूसरी बैठक १७ मार्च, १९५३ को सायंकाल सवा पांच बजे हुई। श्री उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में श्री चरण सिंह उस दिन के लिये सभापति चुने गये।

श्री हर गोबिन्द पंत और श्री लीलाधर अष्ठाना को छोड़कर सब सदस्य उपस्थित थे। जिन तीन सदस्यों के विरुद्ध शिकायत की गई थी, अर्थात् श्री राजनारायण, श्री रामनारायण त्रिपाठी और श्री जगन्नाथ मल्ल ने पत्र भेज कर यह प्रार्थना की कि उन्हें समिति के सामने अपने वकील द्वारा पैरवी करने की आज्ञा दी जाय। समिति ने यह निर्णय किया कि पहले सदस्यों के बयान सुने जायं। इसलिये उन्हें बुलाया गया और समिति के सदस्यों ने घटना के संबंध में उनसे प्रश्न पूछे तीनों सदस्यों से सीधे यह पूछा गया कि वे ४ मार्च, १९५३ के अपने आचरण को विशेषाधिकार की अवहेलना या उसे किसी दूसरी तरह से आपत्तिजनक समझते हैं या नहीं।

इस प्रश्न पर तीनों सदस्यों के उत्तर कुछ ज्यादा स्पष्ट और निश्चित नहीं थे। इस के उपरान्त समिति ने बहुमत से यह निर्णय किया कि तीनों सदस्यों की वकील द्वारा पैरवी करने की प्रार्थना अस्वीकृत कर दी जाय। किन्तु उनसे कहा गया कि वे अपने लिखित स्पष्टीकरण पेश करें। उस के बाद बैठक २४ मार्च, १९५३ तक के लिये स्थगित हो गयी। समिति सदस्यों की ओर से प्रायः यह प्रार्थना की गयी कि विधान सभा सचिवालय इसी प्रकार की उन घटनाओं और प्रथा के संबंध में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट और दूसरे विधान मंडलों में हुये हों एक नोट तैयार करे। ऐसा किया गया और इस विषय पर एक नोट २१ मार्च को समिति के सदस्यों को दे दिया गया था। तीनों सदस्यों ने अपने स्पष्टीकरण लिखकर भेजे और उनकी प्रतियां २१ मार्च, १९५३ को समिति के सदस्यों को भेज दी गयीं।

७—विशेषाधिकार समिति की बैठक जो २४ मार्च के लिये रखी गयी थी अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गयी और २५ मार्च, १९५३ को शाम के ५ बजकर १५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में समिति की बैठक हुई। श्री जुगलकिशोर को छोड़ कर शेष सब सदस्य उपस्थित थे। जिन तीन सदस्यों के विरुद्ध शिकायत की गयी थी उनकी ओर से पुनः एक और प्रार्थना की गयी कि उन्हें अपने वकील द्वारा पैरवी करने की अनुमति दी जाय। समिति ने इस विषय पर पुनः विचार किया और उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। कुछ सदस्यों ने यह कहा कि तीनों सदस्यों का बलपूर्वक हटाया जाना ही काफी दंड है और यदि उन्हें और सजा दी गयी तो इसका मतलब यह होगा कि उन्हें एक ही अपराध के लिये दो बार दंड दिया जा रहा है। उन्होंने बतलाया कि संविधान के अनुच्छेद २०(२) के अन्तर्गत दो बार दंड की मनाही है। इस बात पर विस्तारपूर्वक बहस हुई और एक या दो सदस्यों को छोड़कर समिति इस परिणाम पर पहुंची कि सदस्यों का हटाया जाना तो नियम १८९ (१) के अन्तर्गत व्यवस्था स्थापित करने के लिये, केवल एक निरोधात्मक कार्यवाही है जब कि समिति यदि तीनों सदस्यों को विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के लिये दोषी पाये तो उसका कर्त्तव्य यह है कि वह दंडात्मक कार्यवाही तजवीज करे। इस संबंध में दीवानी और फौजदारी के मामलों से इसी प्रकार के कुछ उदाहरण भी दिये गये। यह भी बतलाया गया कि ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में एक इसी प्रकार के मामले में २ जुलाई, १९३१ को उच्छृंखल सदस्य को सदन से हटाया गया था और उसके कुछ समय बाद स्पीकर ने सदन को सूचित किया कि सदस्य को हटाने के लिये चूंकि बल का प्रयोग आवश्यक था इसलिये उस सदस्य को शेष सत्र के लिए सदन की सेवा से निलम्बित किया जाता है। (मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस, १५वां संस्करण—पृष्ठ ४५२)। इसी प्रकार की एक घटना ९ मार्च, १९५३ को हमारी लोक सभा में भी हुई थी जब कि एक सदस्य के बैठने से इनकार करने पर मार्शल को बुलाया गया और उस सदस्य को बैठना पड़ा और उसने क्षमा याचना की, किन्तु श्री उपाध्यक्ष ने उस सदस्य को दिन के शेष भाग के लिए सदन से हट जाने का आदेश दिया। इस संबंध में यह भी बात है कि १९०९ से ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में यह प्रथा रही है कि शिकायत के विषय को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है और समिति की रिपोर्ट आने तक सदन अपना निर्णय स्थगित रखता है। वाद-विवाद के बीच में यह भी कहा गया कि विधान सभा के नियम ५४ के अन्तर्गत जो उपचार आवश्यक हैं वे सब के सब श्री जगन्नाथ मल्ल के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने में पूरे नहीं होते। समिति का यह मत रहा कि श्री जगन्नाथ मल्ल का मामला नियम ६७ के अन्तर्गत सौंपा गया है। समिति की आम तौर से यह राय थी कि तीनों सदस्यों ने विशेषाधिकार की अवहेलना की है और उन्हें दंड दिया जाना चाहिये। इसके बाद बैठक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिये अगले दिन चार बजे अपराह्न तक के लिये स्थगित हो गयी।

८—रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिये समिति की अंतिम बैठक २६ मार्च, १९५३ को हुई। श्री गेंदा सिंह ने रिपोर्ट पर एक विमति टिप्पणी दी।

अध्याय ३

शिकायत किये जानेवाले सदस्यों के विरुद्ध आरोप

९—श्री राजनारायण के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप हैं—

(क) नियमों का उल्लंघन—

(१) नियम १८४ के अनुसार अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी भी सदस्य को, यदि वह असंगत बातें करे या व्यर्थ पुनरावृत्ति करता रहे, तो उसको अपना भाषण बन्द कर देने का निदेश दे सकता है। श्री राजनारायण बार-बार नियम को निलम्बन करने के लिये अपनी प्रार्थना की पुनरावृत्ति कर रहे थे। श्री अध्यक्ष ने उन्हें चार बार अपना भाषण बन्द कर देने के लिये तथा अपना स्थान पुनः ग्रहण करने के लिये कहा परन्तु वे खड़े ही रहे। अतः उन्होंने इस नियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया।

(२) नियम १८६ (१) के अधीन जब अध्यक्ष खड़े हों, तो उस समय जो सदस्य बोल रहा हो अथवा बोलने की प्रार्थना कर रहा हो, तुरन्त बैठ जाय। श्री अध्यक्ष कई बार खड़े हुये, परन्तु श्री राजनारायण ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया। अतः उन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया।

(३) नियम १९३ (२) के अधीन, जब व्यवस्था का प्रश्न (Point of order) उठाया जाय, तो उस समय, जो सदस्य सदन में भाषण करते हों, तुरन्त ही अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। श्री नेकराम शर्मा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, परन्तु श्री राजनारायण ने माननीय अध्यक्ष के आदेश देने पर भी पुनः अपना स्थान नहीं ग्रहण किया। अतः उन्होंने इस नियम के उपबन्धों का भी उल्लंघन किया।

(४) नियम १८९ (१) के अधीन अध्यक्ष को अधिकार है कि वह उच्छृंखल सदस्य को सदन से बाहर जाने की आज्ञा दे और यह विशेष नियम सदस्य को अनिवार्य कर देता है कि वह उसी समय सदन के बाहर चला जाय। परन्तु श्री राजनारायण ने श्री अध्यक्ष द्वारा दिये गये तीन बार आदेश पर भी सदन नहीं छोड़ा। अतः उन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया।

(ख) सदन की कार्यवाही निष्पादन करने में बाधा—

श्री राजनारायण सदन के फ़र्श पर बैठ गये और प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किया और श्री अध्यक्ष के आदेशों की अवज्ञा की और इस प्रकार सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचायी।

१०—श्री रामनारायण त्रिपाठी के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप हैं—

(क) नियमों का उल्लंघन—

(१) नियम १८० उपबन्ध करता है कि जब सदस्य बोलने के लिए खड़ा हो तो उसका नाम अध्यक्ष द्वारा पुकारा जायगा। श्री रामनारायण त्रिपाठी खड़े हो गये और भाषण देना आरम्भ कर दिया यद्यपि माननीय अध्यक्ष ने उनका नाम नहीं पुकारा था। यह इस नियम का उल्लंघन था।

(२) नियम १८४ यह प्रतिषेध करता है कि कोई भी सदस्य अपने ही तर्कों की या वाद-विवाद में दूसरे सदस्यों द्वारा दिये गये तर्कों की पुनरावृत्ति न करे। श्री रामनारायण त्रिपाठी ने श्री राजनारायण के तर्कों की पुनरावृत्ति की और सम्बन्धित नियम का निलम्बन करने के लिए आग्रह किया। श्री अध्यक्ष ने उन्हें अपना स्थान ग्रहण करने तथा भाषण बन्द करने के लिए कहा परन्तु श्री त्रिपाठी ने ऐसा नहीं किया। अतः उन्होंने इस नियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया।

(३) नियम १८६ (१) के अधीन जब अध्यक्ष खड़े हों तो उस समय जो सदस्य बोल रहा हो अथवा बोलने की प्रार्थना कर रहा हो, तुरन्त बैठ जायगा। श्री अध्यक्ष के खड़े होने पर भी श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पुनः अपना स्थान नहीं ग्रहण किया। अतः उन्होंने नियम १८६ के उपबन्धों का उल्लंघन किया।

(४) नियम १८९ (१) के अधीन अध्यक्ष को अधिकार है कि वह उच्छृंखल सदस्य को सदन से बाहर जाने की आज्ञा दे सकता है। श्री अध्यक्ष ने श्री रामनारायण त्रिपाठी को स्पष्ट रूप से तो सदन से बाहर जाने का आदेश नहीं दिया, परन्तु उनके कथन का यही अभिप्राय था। यह भी नियम का उल्लंघन है।

(ख) सदन की कार्यवाही निष्पादन करने में बाधा—

श्री रामनारायण त्रिपाठी ने अपने आचरण द्वारा सदन की कायवाही निष्पादित होने में बाधा उत्पन्न की।

११—श्री जगन्नाथ मल्ल के विरुद्ध आरोप—

(क) नियमों का उल्लंघन—

(१) नियम १८० के अधीन यह अधिकार है कि यदि सदस्य बोलने के लिए खड़ा हो तो उसका नाम अध्यक्ष द्वारा पुकारा जायगा। श्री जगन्नाथ मल्ल खड़े हो गये और भाषण देना प्रारम्भ कर दिया यद्यपि माननीय अध्यक्ष द्वारा उनका नाम नहीं पुकारा गया था।

(२) नियम १८४ के अधीन अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सदस्य को अपना भाषण बन्द कर देने का निदेश करे यदि वह असंगत बातें करे या अपने ही तर्कों को या अन्य सदस्यों द्वारा किये गये तर्कों की पुनरावृत्ति करे। श्री जगन्नाथ मल्ल ने श्री राजनारायण और श्री रामनारायण त्रिपाठी की प्रार्थनाओं की पुनरावृत्ति की और श्री अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेश पर भी न तो अपना भाषण ही बन्द किया और न अपने स्थान पर बैठे ही। अतः उन्होंने इस नियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया।

(३) नियम १८६ (१) के अधीन जब अध्यक्ष खड़े हों, तो उस समय जो सदस्य बोल रहा हो, तुरन्त बैठ जायगा। श्री जगन्नाथ मल्ल ने श्री अध्यक्ष के खड़े होने और उनके द्वारा बैठ जाने के आदेश दिये जाने पर भी अपना स्थान नहीं ग्रहण किया। अतः उन्होंने इस नियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया।

(४) नियम १८९ (१) के अधीन अध्यक्ष को अधिकार है कि वह उच्छृंखल सदस्य को सदन से बाहर जाने की आज्ञा दे सकता है। श्री जगन्नाथ मल्ल के सम्बन्ध में यद्यपि यह आदेश बहुत स्पष्ट नहीं था तथापि माननीय अध्यक्ष के कथन से यह स्पष्ट था कि यह उनके लिए भी लागू था। यह भी नियम का उल्लंघन करना है।

(ख) सदन की कार्यवाही निष्पादित करने में बाधा--

श्री जगन्नाथ मल्ल ने अपने आचरण द्वारा सदन की कार्यवाही निष्पादित होने में बाधा उत्पन्न की ।

श्री जगन्नाथ मल्ल ने अपने भाषण के बीच श्री अध्यक्ष पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए यह कहा--

"जब यह गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है और आप भी उसका पक्ष ले रहे हैं" अतः उन्होंने श्री अध्यक्ष पर पक्षपात का आरोप लगाया ।

अध्याय ४

विशेषाधिकारों की अवहेलना और सदन का अवमान

१२--भारत के संविधान के अनुच्छेद १९४ (३) के अन्तर्गत राज्य के विधान मण्डल के एक सदन तथा सदस्यों और ऐसे सदन की समितियों के अधिकार, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां (जब तक कि विधान मण्डल के अधिनियमों द्वारा पारिभाषित न किये जायं) वही हैं, जो कि संविधान के आरम्भ में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के हाउस आफ कामन्स तथा उसके सदस्यों और समितियों के हैं। यह विधान मंडलों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के सम्बन्ध में तात्विक विधि से सम्बन्धित है, किन्तु उत्तर प्रदेश विधान सभा को इन विशेषाधिकारों को क्रियान्वित करने के लिये संविधान के अनुच्छेद २०८ के अन्तर्गत अधिकार है। ब्रिटिश संसदीय प्रक्रिया पर पुस्तकों से निम्नलिखित उद्धरणों से हाउस आफ़ कामन्स के विशेषाधिकारों के विषय में तात्विक विधि का अनुमान लगाया जा सकता है--

(*a*) "Members persistently and wilfully obstructing public business without just and reasonable cause are guilty of the contempt of the House of Commons". (May, P. 105).

(*b*) "Disobedience to the orders of either House, whether such orders are of general application or require a particular individual to do or abstain from doing a particular act, or contravention of any rules of either House, is a contempt of that House". (May, P. 111).

(*c*) "Reflection on the character of the Speaker and accusation of partiality in the discharge of his duties have been held as constituting breach of privilege of the House of Commons". (May, P. 126).

(*d*) "If the matter of complaint is not disposed of at the time by the House in which it was raised, it is ususally referred in each House to the Committee of Privileges". (May, P. 135).

(*e*) "The House of Commons exercises powers of suspension of Members on grounds of privileges". (Campion., P. 70).

(*f*) "Disrespect to the House collectively, whether committed by a member or any other; Disobedience to orders of the House, or interference with its procedure, with its officers in the execution of their duty" is a breach of privilege. (Campion, P. 71).

(*g*) "It may be stated generally that any act or omission which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duties or which has a tendency directly or indirectly as a contempt even though there is no precedent of the offence". (May, P. 109).

१३—इसलिए यह निश्चित है कि नियमों का उल्लंघन, सदन की कार्यवाही के निष्पादन में बाधा और अध्यक्ष के व्यवहार को पक्षपातपूर्ण बतलाना हाउस आफ कामन्स में प्रत्यक्ष रूप से विशेषाधिकार की अवहेलनायें समझी जाती हैं। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि नियमों का उल्लंघन सदन के अवमान का द्योतक है। विशेषाधिकार की अवहेलना में प्रायः सदन का अवमान सम्मिलित है। यह 'मे' की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस, १५वें संस्करण के पृष्ठ ४१ और ८९ से प्रत्यक्ष है।

१४—इन उदाहरणों के तथ्य सम्भवतः किसी के भी द्वारा विवादग्रस्त न समझे गये हों, और ऊपर उद्धत विधि इस विषय पर पूर्ण रूप से स्पष्ट है। ९ मार्च, १९५३ को संसद् में लगभग एक समान घटना हुई जब श्री बी० जी० देशपाण्डे ने अपने एक भाषण के अन्तर्गत आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। श्री उपाध्यक्ष ने, जो उस समय सभापति थे, उन्हें व्यवस्था रखने के लिए संबोधित किया। श्री देशपाण्डे ने बोलना जारी रखा। तब श्री उपाध्यक्ष ने फिर उन्हें व्यवस्था रखने के लिए सम्बोधित किया और उनसे अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। श्री देशपाण्डे ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया, किन्तु बोलना जारी रखा। तब श्री उपाध्यक्ष ने फिर उन्हें व्यवस्था रखने के लिये सम्बोधित किया, परन्तु श्री देशपान्डे ने बहुत ऊंची आवाज में बोलना जारी रखा। श्री उपाध्यक्ष ने मार्शल को आज्ञा दी जो कि माननीय सदस्य की ओर बढ़ा। श्री देशपाण्डे ने तब श्री उपाध्यक्ष से क्षमा मांगी और अपना स्थान ग्रहण किया। श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि यह एक गम्भीर स्थिति थी और सदस्यगण उनकी सिधाई का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी बहाना सहन न किया जायगा और श्री देशपाण्डे को सदन छोड़ देने और शेष दिन के लिए बाहर रहने की आज्ञा दी। इस पर श्री देशपाण्डे ने सदन छोड़ दिया। श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि सदस्य की मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए यह दण्ड भी पर्याप्त न था, परन्तु चूंकि यह पहला ही अवसर था उन्होंने इस विषय में अधिक कठोर कार्यवाही करना उपयुक्त नहीं समझा। इस अवसर पर मार्शल के प्रयोग के ऊपर कई सदस्यों ने आपत्ति उठायी। परन्तु श्री उपाध्यक्ष ने निर्णय दिया कि वही एक मात्र मार्ग था जिससे ऐसे विषय में उनकी आज्ञाओं के पालन के लिए उचित कार्यवाही की जा सकती है। इस निर्णय के विरोध में कुछ सदस्य उठकर बाहर चले गये।

१५—यह मामला बहुत स्पष्ट है कि तीन सदस्यों ने बहुत उच्छृंखल रीति से व्यवहार किया। उन्होंने श्री अध्यक्ष के बार-बार निदेश देने पर भी न अपना स्थान ग्रहण किया और न सदन छोड़ा और जब वैधानिक आपत्ति उठायी गयी तो उसको सुनने के लिए भी तैयार न हुए। श्री अध्यक्ष को नियम १८९ (१) के अन्तर्गत कार्य निष्पादन के लिए शांति स्थापित करनी थी और यह तभी सम्भव था जब कि उच्छृंखल सदस्य बाहर निकाल दिये जाते। अतः उन्होंने नियम १८९ (३) के अन्तर्गत कार्य किया और सदस्यों को सदन से बल का प्रयोग करके निकलवा दिया। यह केवल व्यवस्था स्थापित करने के दृष्टिकोण से किया गया था जैसा कि लोकसभा में श्री देशपाण्डे के मामले में हुआ था। वस्तुतः यह सम्बद्ध सदस्यों के दोषों के प्रति कोई दण्ड न था। सदन में व्यवस्था स्थापित करने के उपरान्त उन्होंने इन मामलों की परीक्षा, जांच तथा प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया ताकि जहां-जहां पूरे प्रश्न पर शांत वातावरण में विचार किया जा सके और उन सदस्यों को जिनके विरुद्ध शिकायत की गयी है अपना मामला उपस्थित करने में अधिक सुविधा हो सके।

अध्याय ५

समिति की अवाप्तियां

१६—अतः समिति की राय है कि सर्व श्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी तथा जगन्नाथ मल्ल ने विशेषाधिकार की अवहेलना की और उन्होंने अपने लिए संविधान तथा प्रक्रिया नियमावली द्वारा सदन को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत दण्ड का पात्र बना लिया है। अतः समिति सदन से यह सिफ़ारिश करती है कि श्री राजनारायण और श्री रामनारायण त्रिपाठी को सदन की वर्तमान बैठक की समाप्ति तक सदन की सेवा से निलम्बित कर दिया जाय। श्री जगन्नाथ मल्ल के बारे में, चूंकि उन्होंने श्री अध्यक्ष के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाकर अधिक गम्भीर अपराध किया है, समिति यह सिफारिश करती है कि उनको सभा के वर्तमान सत्र के अवसान तक सदन की सेवा से निलंबित कर दिया जाय।

हरगोविन्द पन्त।
चरण सिंह।
राधामोहन सिंह।
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव।
अब्दुल मुईज खां।
फूल सिंह।
महाराजकुमार बालेन्दु शाह।
*गेंदा सिंह।
जुगल किशोर।

सर्वश्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी तथा जगन्नाथ मल्ल के विरुद्ध ४ मार्च, १९५३ को विधान सभा में होने वाली घटना के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न—

उक्त घटना के सम्बन्ध में तब तक हम ठीक फैसला नहीं दे सकते जब तक कि हम उस दिन के श्री राजनारायण जी के अध्यापक मंडल, उत्तर प्रदेश के अनशनकारियों के प्रति बर्बरतापूर्ण सरकारी कार्य के सम्बन्ध में कार्यस्थगन के प्रस्ताव तथा श्री नारायण दत्त तिवारी के प्रक्रिया नियमावली के नियम १७ के निलम्बित करने के प्रस्तावों के महत्व पर विचार न कर लें।

४ मार्च को प्रातःकाल ३ बजे के लगभग विधान भवन के सामने वाली जमीन से अपने बक़ाया वेतन, भत्ते तथा अन्य प्रान्तों के स्केल के समान वेतन की मांग के सम्बन्ध में अध्यापक मण्डल, उत्तर प्रदेश के चार अनशनकारियों को पुलिस द्वारा बल प्रयोग से हटाया गया तथा उनका कैम्प उखाड़कर जब्त कर लिया गया और उसके स्थान पर पुलिस का कैम्प डाल दिया गया। यह एक ऐसी घटना है जिससे किसी भी प्रजातान्त्रिक सरकार का सर शर्म से झुक जाना चाहिए।

इसी घटना पर सदन में वाद-विवाद के लिए माननीय राजनारायण जी ने कार्यस्थगन का प्रस्ताव रखा; चूंकि कार्यस्थगन के प्रस्ताव के लिए माननीय अध्यक्ष की अनुमति के बाद सदन की अनुमति के लिए उसके पक्ष में ३६ सदस्यों का खड़ा होना आवश्यक है, इसीलिए माननीय नारायणदत्त तिवारी ने एक प्रस्ताव की सूचना दी थी कि राजनारायण जी के उपरोक्त

---

*असहमति टिप्पणी के अधीन हस्ताक्षर किये।

स्थगन के प्रस्ताव के लिए प्रक्रिया नियमावली का नियम ७१ निलम्बित कर दिया जाय, ताकि ३६ सदस्यों को खड़ा होने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में केवल २४ सदस्य होने के कारण कोई इस प्रकार सदन की अनुज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता। माननीय अध्यक्ष ने कार्यस्थगन के प्रस्ताव की अनुमति दे दी, परन्तु श्री नारायणदत्त तिवारी के प्रस्ताव को पेश करने की अनुज्ञा नहीं दी। मेरी राय में माननीय अध्यक्ष यदि उक्त प्रस्ताव की अनुज्ञा दे देते तो उस दिन जो घटना हुई है वह न होती। यह निश्चित था कि कार्यस्थगन के प्रस्ताव की अनुज्ञा के लिए सदन में ३६ सदस्य नहीं उठ सकेंगे। अतः यदि माननीय अध्यक्ष श्री नारायणदत्त तिवारी के प्रस्ताव के लिए अनुज्ञा दे देते तो अन्त में इस बात की सम्भावना के अतिरिक्त कि वह प्रस्ताव भी गिर जाता, प्रस्ताव पर वाद-विवाद के सिलसिले में विरोधी दल के सदस्य पुलिस द्वारा अनशनकारियों के साथ ज्यादती के सम्बन्ध में सरकारी की काफ़ी टीका-टिप्पणी कर सकते और यह भी सम्भव था कि नारायणदत्त जी के प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों की वांछित संख्या प्राप्त हो सकती थी, क्योंकि काम रोको प्रस्ताव, जैसा तीव्र आलोचना का भाव नारायणदत्त जी का प्रस्ताव नहीं रखता था। इसलिए सरकारी पक्ष के सदस्यों से इस अहम प्रश्न पर सहानुभूति की आशा करना अनुचित न होगा।

यह सही है कि विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १५३ के अनुसार अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना प्रश्नों के अलावा अन्य विषय बजट अनुदानों के दिनों में नहीं लाये जा सकते। परन्तु माननीय अध्यक्ष को श्री नारायणदत्त तिवारी के प्रस्ताव के लिए अनुज्ञा देने में कोई बाधा नहीं थी। जहां तक कार्यस्थगन तथा नियम ७१ के निलम्बित करने के प्रस्ताव का महत्व था माननीय अध्यक्ष इससे स्वयं सहमत थे। इसीलिए उन्होंने माननीय नारायणदत्त जी के प्रस्ताव के लिए ५ बजे के बाद समय देने के लिए कहा था। परन्तु ५ बजे के बाद श्री नारायणदत्त तिवारी के प्रस्ताव के लिये अनुज्ञा देने का कोई महत्व नहीं था क्योंकि उसको तो कार्यस्थगन के प्रस्ताव के लिये प्राथमिकता मिलना चाहिये थी। यदि श्री नारायणदत्त जी के प्रस्ताव पर एक आध घंटा समय भी लग जाता तो उतना समय उस दिन के अनुदान के लिए ५ बजे के बाद बढ़ाया जा सकता था। इस बार बजट सेशन में कई बार विभिन्न अनुदानों के लिए समय बढ़ाया गया।

श्री राजनारायण जी ने सदन में आने के पहले श्री नारायणदत्त जी के साथ जाकर माननीय अध्यक्ष से उपरोक्त दोनों प्रस्तावों को ले आने की अनुज्ञा देने के लिए निवेदन भी कर दिया था।

माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय श्री नारायणदत्त जी तिवारी के प्रस्ताव की अनुज्ञा न देने पर श्री राजनारायण जी ने बार-बार माननीय अध्यक्ष से उसके लिए अनुज्ञा देने के लिए प्रार्थना ही की। माननीय रामनारायण त्रिपाठी और जगन्नाथ मल्ल ने भी प्रस्ताव के लिये अनुज्ञा देने की ही प्रार्थना की थी। और इस प्रकार की प्रार्थना करने के सिलसिले में इच्छा न रहते हुए भी इन लोगों से अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। इस बात को मैं केवल एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विशेष रूप से प्रोटेस्ट करना ही मानता हूं। प्रोटेस्ट का भी संसदीय प्रणाली में एक विशेष स्थान है। विशेष परिस्थिति में यह तीनों सदस्य उद्वेग में आ गये थे। किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए हम इस वस्तु स्थिति को भी आंखों से ओझल नहीं कर सकते।

माननीय राजनारायण जी द्वारा श्री नारायणदत्त तिवारी के प्रस्ताव की अनुज्ञा के लिये की गयी बार-बार प्रार्थना ठुकराये जाने के अतिरिक्त मेरी समझ में माननीय अध्यक्ष का पुलिस द्वारा उनको बाहर निकलवाने की धमकी देने के कार्य का औचित्य भी विवादग्रस्त है। इस कारण भी तीनों माननीय सदस्यों के उद्वेग में वृद्धि हुई।

अन्य देशों में ऐसी परिस्थिति के लिए सार्जन्ट एट आर्म तथा उनके मेसेन्जर रखे जाते हैं। दिल्ली तथा पंजाब में मार्शल नियुक्त हैं। जब कि हमारे यहां इस प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं थी, तो ऐसी दशा में साधारण पुलिस द्वारा बलप्रयोग से बेहतर तो थोड़े देर के लिए सभा को स्थगित कर देना था। उस थोड़े काल में यह मामला स्वयं शान्त हो गया होता।

यदि तीनों माननीय सदस्य सदन के स्थगन के बाद भी उसी प्रकार कार्य करते तो पुलिस के प्रयोग का औचित्य सिद्ध किया जा सकता था। यहां यह भी वर्णन कर देना अनुपयुक्त न होगा कि यूनाइटेड किंगडम के हाउस आफ़ कामन्स में माननीय सदस्य को अध्यक्ष द्वारा इंगित करने के बाद नेता सदन के प्रस्ताव पर निलम्बित हो जाने के उपरान्त बलप्रयोग द्वारा सदन से बाहर किया जाता है।

उक्त घटना के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया नियमावली के नियम १८९ के उपनियम १ और ३ के अनुसार जो दण्ड माननीय सदस्यों को पुलिस द्वारा बल प्रयोग से सदन से हटवाकर तथा उस दिन शेष समय के लिए माननीय सदस्यों को उनके सदन में बैठने के अधिकार से वंचित करके दिया है उसके बाद विशेषाधिकार समिति की यह रिपोर्ट कि माननीय सदस्यों को सदन के इस सेशन के शेष दिनों के लिए निलम्बित करना एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दण्ड देना है जो भारतीय संविधान की धारा २० (२) के विरुद्ध है। यहां यह भी निवेदन कर दूं कि उस घटना के बाद उक्त तीनों माननीय सदस्यों ने श्री महाराजकुमार बालेन्दु शाह, सदस्य विशेषाधिकार समिति द्वारा सचिव, विधान सभा-सदन में दुबारा जाने के सम्बन्ध में पुछवाया था जिसके उत्तर में श्री सचिव ने यह कहा था कि वे लोग नियमावली के नियम १८९ (१) के अनुसार उस दिन शेष समय के लिए सदन में नहीं आ सकते।

इस प्रकार की घटनाओं के सम्बन्ध में मिस्टर मे की पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के पन्द्रहवें संस्करण में पृष्ठ ४४८, तीसरा पैरा के आधे के शेषांश में तथा पृष्ठ ४४९ में दूसरे पैरा में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि माननीय अध्यक्ष सम्बन्धित सदस्य को बल प्रयोग द्वारा सदन से निकलवा सकते हैं या उसे इंगित कर सदन से सजा दिलवा सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं।

बहुत कुछ प्रयत्न करने के बाद भी विशेषाधिकार समिति के माननीय सदस्यों को और विधान सभा के सचिव को कोई ऐसी नजीर नहीं मिली जिसमें इस प्रकार की घटनाओं के सम्बन्ध में सदन में तत्काल कार्यवाही हो जाने के उपरान्त किसी का मामला विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया गया हो। माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने अपने बयान में ६ नजीरें पेश की हैं जो इसी बात को पुष्ट करती हैं।

विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट में लोक सभा दिल्ली में ९ मार्च, १९५३ को घटित श्री बी०जी० देशपाण्डे की घटना का जो जिक्र किया गया है वह तो समिति की रिपोर्ट के विरुद्ध जाती है; क्योंकि उसमें तो स्पष्टतः माननीय अध्यक्ष ने माननीय देशपाण्डे जी को उस दिन शेष समय के लिए उनके सदन में बैठने के अधिकार से वंचित करने की सजा को ही काफी समझा है। कमेटी ने मिस्टर मे की पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसं के पृष्ठ १०५, १११, १२६, १०९ तथा १३५ और कैम्पियन की पुस्तक के पृष्ठ ७०, ७१ की जो नजीरें दी हैं, उनमें जो मेम्बरों से सम्बन्ध रखती हैं उन सभी में सदन में तुरन्त कार्यवाही हुई है। किसी का भी मामला विशेषाधिकार समिति में नहीं भेजा गया और मे के पृष्ठ १३५ का मामला तो सदन के सदस्यों से सम्बन्ध ही नहीं रखता और भी जो मामले जो सदन के सदस्यों से सम्बन्ध नहीं रखते उनकी नजीर देना तो बिल्कुल बेकार है।

हाउस आफ कामन्स यूनाइटेड किंगडम के स्टैंडिंग आर्डर, २१,२२ के आधार ही पर विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली का नियम १८९ बनाया गया है।

इतना अन्तर अवश्य है कि ब्रिटेन में स्टैंडिंग आर्डर २२ (६) के अनुसार सदन में तत्काल कार्यवाही हो जाने के बाद भी यह अधिकार सुरक्षित रखा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर प्राचीन प्रथाओं के अनुसार ऐसी परिस्थिति में अन्य भी कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु हमारे यहां के नियम १८९ में इस प्रकार का कोई अधिकार सुरक्षित नहीं रखा गया है। अतः इस प्रकार का कोई प्रश्न ब्रिटेन की हाउस आफ कामन्स के लिए यदि विशेषाधिकार के प्रश्न हों भी तो वे इस विधान सभा के लिये विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं हो सकते और चूंकि हमारा नियम १८९ बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए भारतीय संविधान की धारा १९४ (३) के अनुसार यहां ब्रिटेन की लोक सभा की परम्पराओं के अनुसार कार्य नहीं किया जा सकता।

अब मैं कुछ लीगल टेक्निकलिटीज के बारे में अपनी राय जाहिर करना चाहता हूं।

मेरा यह निश्चित मत है कि प्रक्रिया नियमावली के नियम ६७ में वाक्यांश "इन नियमों का" मतलब विशेषाधिकार सम्बन्धी अध्याय ८ के नियम ४४ से ६६ तक ही है। नियम १८९ बिल्कुल स्पष्ट है। अतः उस सम्बन्ध में नियम ६७ के अनुसार रिफ़रेंस नहीं हो सकता।

मैं इस मत का भी हूं कि माननीय अध्यक्ष ने वास्तव में इस मामले को विशेषाधिकार समिति को रिफ़रेंस किया ही नहीं। अगर्चे उन्होंने इस आशय की घोषणा सदन में अवश्य की थी। रिफ़रेंस के लिए आवश्यक था कि प्रत्येक सदस्य के नाम अभियोग लगाते हुए माननीय अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर से विशेषाधिकार समिति के नाम पत्र भेजते। इस टेक्निकलिटी के पूरा न होने के कारण विशेषाधिकार समिति को इस मसले पर विचार ही नहीं करना चाहिए था।

माननीय जगन्नाथ मल्ल जी का मामला सचिव विधान सभा के प्रतिवेदन पर भेजा गया। उसके लिए आवश्यक था कि नियमावली के नियम ५४ के अनुसार वह रिपोर्ट सदन के सामने आती। इस कार्यवाही के अभाव में उनके मामले पर विचार करना भी विशेषाधिकार समिति के अधिकार में नहीं था।

श्री जगन्नाथ मल्ल के खिलाफ अध्यक्ष के ऊपर पक्षपात का अरोप मिस्टर मे की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पन्द्रहवें संस्करण के पृष्ठ ३६५ के अनुसार एट दि अर्लियस्ट अपार्चुनिटी (सर्व प्रथम प्राप्त अवसर) पर आना चाहिए था। ऐसा न होने के कारण उस प्रश्न पर तो विचार ही नहीं किया जा सकता। मिस्टर मे के पृष्ठ ३६४ और ३६५ के वर्णनों से स्पष्ट है कि विशेषाधिकार के बड़े से बड़े प्रश्न भी इस टेक्निकलिटी के अभाव में अध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये हैं।

मैं इस मत का हूं कि माननीय अध्यक्ष को माननीय रामनारायण त्रिपाठी तथा जगन्नाथ मल्ल को न केवल बाहर जाने की निश्चित आज्ञा ही देनी चाहिए थी, बल्कि उसे कई बार दोहराना भी चाहिए था। इस बात के अभाव में इन लोगों के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।

माननीय राजनारायण के खिलाफ़ यह भी अभियोग लगाया गया है कि वे माननीय नेकराम शर्मा के प्वाइण्ट आफ आर्डर पर नहीं बैठे। यह कोई अभियोग नहीं है उसी सदन में हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री पं० गोविन्द बल्लभ पन्त भी माननीय श्री रामनारायण त्रिपाठी के प्वाइण्ट आफ़ आर्डर पर नहीं बैठे थे और इस घटना के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने स्पष्ट व्यवस्था दी थी कि प्वाइण्ट आफ आर्डर पर बैठना आवश्यक नहीं है। यहां पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि जब माननीय राजनारायण जी को बाहर निकालने के लिए माननीय अध्यक्ष पुलिस बुलवा ही चुके थे, तो उन पर न बैठने का नया चार्ज कैसे लग सकता है ?

उपरोक्त कारणों से मेरा यह निर्णय है कि इन तीन माननीय सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता ; और उक्त घटना के सम्बन्ध में जो दण्ड इनको मिल गया, वह उपयुक्त है। अतः मैं कमेटी के बहुमत द्वारा इन सदस्यों के लिए प्रस्तावित दण्ड से अपनी असहमति प्रकट करता हूं। मुझे यह लिखते हुए दुःख होता है कि माननीय विशेषाधिकार समिति ने ऐसी रिपोर्ट देकर देश में उदीयमान प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए कोई उत्तम उदाहरण नहीं पेश किया।

गेंदा सिंह,
सदस्य, विशेषाधिकार समिति।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ७ एल० ए०—१९५३—८५०